खण्ड-128, अंक-1
सोमवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1875
(21 दिसम्बर, 1953 ई0)

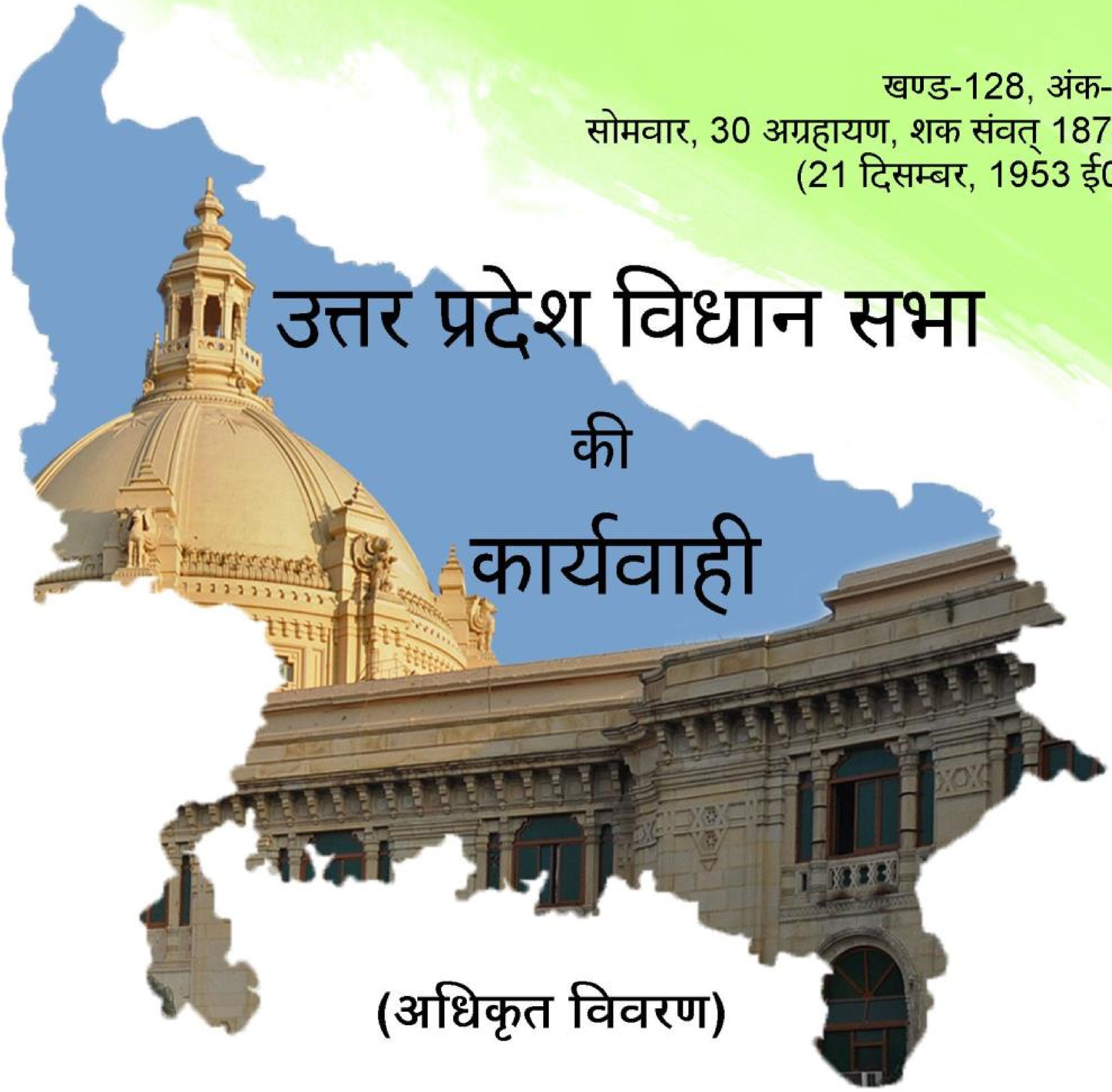

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 128 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगा धर, श्री
गंगा धर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र कांछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मित्तल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)।
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मही लाल , श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अग्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन विधेयक के सम्बन्ध में पूछताछ

*१—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन विधेयक विधान सभा के समक्ष कब उपस्थित किया जायगा ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन विधेयक जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधत हुआ था अभी हाल ही में सभा द्वारा फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। समिति द्वारा उस पर विचार हो जाने पर उसे सभा के समक्ष उपस्थित किया जायगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—इस विधेयक को विधान सभा के समक्ष उपस्थित करने में इतनी देर क्यों लगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—विधान सभा के समक्ष यह विधेयक उपस्थित किया गया तो इसी विधान सभा ने इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वहां से विचार होकर आने पर यह उपस्थित किया जायगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि इसलिये देर की गई ताकि म्युनिसिपल चुनावों पर इसका विपरीत असर न पड़े।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह आक्षेप है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई बिल सिलेक्ट कमेटी में जाय तो कितने दिन में वह वापस आजाना चाहिये इसके सम्बन्ध में क्या कोई नियम है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपको नियम जानना चाहिये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसको एक्जामिन किया जा रहा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बिल को प्रवर समिति में पेश किये हुये कितने दिन हो गये?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह विधान सभा की पिछली बैठक में प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था वैसे ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह विधेयक कितनी बार प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को मालूम है कि पहली दफा प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था। प्रवर समिति की रिपोर्ट के आने पर यह विधेयक फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ मास से अधिक हो जाने पर भी प्रवर समिति की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आयी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अभी प्रवर समिति की बैठक नहीं हो पायी है, मुमकिन है उसके लिये समय बढ़ाने के लिये विधान सभा से आज्ञा लेनी पड़े।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक

*२—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या राजस्व मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि पर्वतादि क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक विधान सभा के समक्ष कब उपस्थित किया जायगा?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह विषय सरकार के विचाराधीन है और बहुत जल्दी निर्णय होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न सन् १९३७ ई० से विचाराधीन पड़ा हुआ है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा यहां पर भी १९५२ में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास हुआ है। सभी प्रश्नों पर इसके सम्बन्ध में अर्से से सोचा जा रहा है। जमींदारी विनाश विधेयक जब पास हो गया तो पहाड़ी इलाकों में भी सोचा जा रहा है कि किस रूप में वहां इसको लागू किया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि सरकार ने एक साल पहले भी यही उत्तर दिया था कि विचाराधीन है, क्या अब यह आशा की जा सकती है कि बजट के पहले यह सभा के सामने आ जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता कि बजट के पहले आ जायगा, लेकिन वह अर्से से विचाराधीन है, सरकार उसके बारे में अभी किसी अन्तिम फैसले पर नहीं पहुंची है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या पर्वतीय क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सर्वे या रिकार्ड आपरेशन्स हुए हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सर्वे जोनसार भाभर में हुयी है जिसके बारे में माननीय सदस्य को मालूम भी होगा। वैसे जमींदारी के सिलसिले में सर्वे आदि नहीं हो रही है सिर्फ यह देखा जा रहा है कि क्या दिक्कतें हैं तथा वहां परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार वह लागू किया जा सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि पहाड़ों पर जमींदारी उन्मूलन न होने की वजह से जमीदारों और किसानों में बड़ी भारी लड़ाई चल रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारों और किसानों की किस तरह की लड़ाई चल रही है इसकी सूचना इस समय तो नहीं है, सूचना प्राप्त होने पर यह पता चल सकता है कि लड़ाई किस प्रकार की है ?

रामनगर (बनारस) के बिजलीघर के मजदूरों को नोटिस

*३—श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि रामनगर (बनारस) के बिजलीघर के मजदूरों को सरकार द्वारा नौकरी से अलग करने को नोटिस दे दी गयी है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी हां।

*४—श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से सरकार के पास कई मास पहिले इन मजदूरों के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र आया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां। एक आवेदन-पत्र जून, १९५३ ई० में प्राप्त हुआ था। बिजलीघर के जो कर्मचारी किसी अन्य विभाग में लिये जाने के लायक होंगे उन्हें जगह होने पर वहां रखने का प्रयत्न किया जायगा। बाकी कर्मचारियों को टेहरी-गढ़वाल रामपुर ऐन्ड बनारस (डिस्चार्ज पर्सनल रूल १९५० के अन्तर्गत जो पेंशन, ग्रेचुइटी या मुआविजा) मिल सकता है वह दिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

रोडवेज विभाग के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले चार वर्षों में रोडवेज विभाग में कितने केस गबन के हुये, उनमें कितना नुकसान हुआ, कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और कितनों को सजा हुयी ?

*२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज की सेंट्रल और रीजनल वर्कशाप का कितना रुपया उन व्यक्तियों पर पावना है जिन्होंने अपनी गाड़ियों की वर्कशाप में मरम्मत करवाई है ?

*३—क्या सरकार इस सम्बन्ध में अंतिम आडिट नोट के उद्धरण मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

कृषि-उप मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी है। सम्पूर्ण सूचना लगभग चार सप्ताह में एकत्रित करके उत्तर दिया जायगा।

तराई की बोक्सा जाति के निष्कासित काश्तकारों का पुनर्वासन

*४--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि किछा कोलोनाइजेशन की असावधानी से तराई के पुराने कृषकों व बोक्सा जाति के काश्तकारों के अनेक गांव जबर्दस्ती कोलोनाइजेशन में शामिल कर नये कृषकों को एलाट कर दिये गये? अगर हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त गांवों के नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--पुराने कृषक अथवा बोक्सा जाति के काश्तकार की जमीन जबरदस्ती कोलोनाइजेशन क्षेत्र में शामिल नहीं की गयी। राजकीय नीति के अनुसार उन कृषकों की भूमि, जो पहले से खेती करते चले आये हैं छोड़ दी जाती है या उनको अन्य किसी स्थान पर भूमि दे दी जाती है। गांवों के नाम बतलाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि वह ऐसे निष्कासित बोक्सा जाति के तथा अन्य पुराने काश्तकारों को दुबारा आबाद करने के लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--प्रश्न नहीं उठता।

तराई के हेमपुर स्टेट फार्म में गन्ने की उपज

*६--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि तराई के हेमपुर स्टेट फार्म में पिछले तीन वर्षों में कुल कितना गन्ना (अलग अलग सीजन में) कितने एकड़ भूमि में लगाया गया और परिणामस्वरूप कितना गन्ना पैदा हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

'(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १११ पर)

सरकारी ट्रैक्टरों की संख्या तथा क्रय

*७--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास अब कितने ट्रैक्टर हैं और वे कितने रुपयों में किन-किन कम्पनियों से मोल लिये गये थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार के पास अब ५५८ ट्रैक्टर हैं और वे जिन कम्पनियों से जितने में मोल लिये गये हैं उसके लिए सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२-११३ पर)

*८--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार बतायगी कि क्या सब ट्रैक्टर काम में लाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत--नहीं, क्योंकि कुछ ट्रैक्टरों की मरम्मत हो रही है, कुछ स्पेयर पार्ट्स के अभाव में बेकार पड़े हैं और कुछ चलते-चलते अब अनुपयोगी (unserviceable) हो गये हैं।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने ट्रैक्टर्स इस समय काम में आ रहे हैं और कहां-कहां पर हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस समय ३०४ ट्रैक्टर्स चालू हालत में हैं जो काम में आ रहे हैं। १२७ ट्रैक्टर्स अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर सिंचाई विभाग के पास हैं, ७३ डिप्टी-डायरेक्टर मिकेनाईजेशन, ४२ डायरेक्टर आफ कोलोनाईजेशन और ६२ अन्य विभागों के पास हैं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रैक्टर्स स्पेयर पार्ट्स के अभाव के कारण पड़े हुये हैं उनके न मिलने के कारण क्या हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उनके न मिलने के कारण यही हैं कि वे यहां मौजूद नहीं थे और उनके मंगाने की कोशिश की जा रही है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ऐसे ट्रैक्टर्स जिनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते किस लागत के होंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको बता दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन ट्रैक्टरों की संख्या, जो कि स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण बेकार पड़े हुये हैं, कितनी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उनकी तादाद १७ है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि ट्रैक्टर विभाग ने क़रीब ३ लाख रुपये के टायर और ट्रैक्टर्स के ऐसे पुर्जे खरीदे, जो दुनिया के किसी मुल्क में काम नहीं आते ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर सहारनपुर के एक माननीय सदस्य के पास पांच साल से पड़ा हुआ है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—एक ट्रैक्टर एक माननीय सदस्य के पास जरूर था और वह ट्रैक्टर अब उन्होंने खरीद लिया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार इस बीच में कोई नये ट्रैक्टर्स खरीदना चाह रही है ?

श्री चरण सिंह—आजकल तो कोई नहीं खरीद रही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार इन ट्रैक्टर्स को, जिनके पुर्जे बेकार पड़े हुये हैं, बेचना चाहेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—माननीय सदस्य अगर खरीदना चाहें तो बेचने में कोई एतराज नहीं है ?

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ट्रैक्टर्स किसी को बेचे जाते हैं उनकी कोई क़ीमत लगायी जाती है या नीलाम किये जाते है। ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उनकी क़ीमत लगायी जाती है। हम यह देखते हैं कि उसमें हमें कोई घटी न रहे।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय कृषि मंत्री को मालूम है कि इन ट्रैक्टरों में ८ ट्रैक्टर्स राजा साहब भदरी, प्रतापगढ़ को दिये गये थे और वहां से सब बरबाद होकर लौटे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है। सम्भवतः माननीय त्रिपाठी जी को कोई सूचना हो।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर के जिन सदस्य को ट्रैक्टर बेचा गया है वह कौन सा मेक था और किस क़ीमत पर बेचा गया ?

श्री चरण सिंह—मेक तो इस वक्त मुझे याद नहीं है और न कितनी क़ीमत पर बेचा गया यही ठीक याद है। कुछ उनका रुपया गवर्नमेंट पर वाजिब था और कुछ गवर्नमेंट का उन पर वाजिब था तो हिसाब फहमी के बाद गवर्नमेंट ने जितना रुपया उस ट्रैक्टर का लेना मुनासिब समझा उतने रुपये में वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर और उस जोन के जो ऐग्रीकल्चर इंजीनियर हैं उन दोनों पर छोड़ दिया गया था कि उस पर उनको बेच दिया जाय।

टिड्डी दलों से हानि

*९—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल टिड्डियों के कितने दल यू० पी० में आये और इससे सूबे को क्या हानि हुई ?

श्री चरण सिंह—सन् १९५३ में उत्तर प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रवेश १७ मई से आरम्भ हुआ और १८ जुलाई तक जारी रहा। इस काल में कुल मिला कर लगभग ३१ टिड्डी दल इस प्रदेश में पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम दिशाओं से प्रविष्ट हुये। इन टिड्डी दलों द्वारा प्रदेश के २० जिलों में कुल मिला कर ४६५२.५५ एकड़ के क्षेत्रफल में कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई, गन्ना, धान, सांवा, महुवा, अरहर, ढैंचा, मूंग, उर्द, और खरबूजा की फसलों तथा ६,११० आम, अमरूद, जामुन, इमली, महुआ, शीशम, पीपल, बरगद, बबूल, बांस, खजूर, नीम व ढांक के वृक्षों को हानि पहुंची। अनुमानित हानि लगभग २९,००० रुपयों की हुई।

*१०—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन टिड्डी दलों से बचने के कौन से उपाय सरकार ने किये और उनका क्या फल निकला ?

श्री चरण सिंह—१९ जिलों में कुल मिला कर १२,४८८ एकड़ के क्षेत्रफल में जिलों के टिड्डी विनाशक संगठन व राजकीय कृषि रक्षा सेवा द्वारा इन टिड्डी दलों को नष्ट करने का कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप लगभग १२३ मन टिड्डियां नष्ट की गयीं। यह कूतना बहुत मुश्किल है कि यदि इतनी टिड्डियां नष्ट न की जातीं तो उनसे और कितना नुक्सान होता परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि इनके मारने से फायदा तो हुआ ही इसके अतिरिक्त कुछ टिड्डी दलों ने जुलाई के महीने में मैनपुरी, मथुरा तथा बदायूं के जिलों में अंडे दिये थे। इन अंडों तथा उनसे निकलने वाले टिड्डी के बच्चों को नष्ट करने का कार्य सब मिला कर २,७२७ एकड़ के क्षेत्र फल में इन तीन जिलों के टिड्डी विनाशक संगठन व कृषि रक्षा सेवा द्वारा किया गया। इसके फलस्वरूप मैनपुरी तथा मथुरा के जिलों में लगभग १,९६३८ रुपये की फसलों की बचत हुई।

गन्ने की उपज का तखमीना तथा गुड़ उत्पादन

*११—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस वर्ष के लिये कितना एकड़ गन्ना प्रदेश में बोया गया था और उसमें कितनी उपज का तखमीना लगाया गया था ?

श्री चरण सिंह—इस वर्ष (सन् १९५२-५३) प्रदेश में २६,४५,०६१ एकड़ गन्ना बोया गया था और उसमें लगभग ७१.५७ करोड़ मन उपज का अनुमान किया गया था।

*१२—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—इस समय तक कुल कितना गन्ना पेरा जा चुका है, कितना खेत में खड़ा है और कितने का गुड़ बनाया गया है ?

श्री चरण सिंह—चीनी मिलों द्वारा १९.५३ करोड़ मन गन्ना पेरा गया और लगभग ३५.१६ करोड़ मन गन्ने का गुड़ बनाया गया। शेष गन्ना बीज, चूसने तथा और अन्य कामों में लाया गया। केवल ४७ हजार मन गन्ना (२० हजार मन खड्डा मिल क्षेत्र में और २७ हजार मन रामपुर मिल क्षेत्र में) बगैर पेरे रह गया।

कुर्क अमीनों का वेतन तथा भत्ता

*१३—श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुर्क अमीनों के तनख्वाह की शरह क्या है ? क्या सरकार उनका वेतन बढ़ाने का इरादा रखती है ?

श्री चरण सिंह—कुर्क अमीनों के मासिक वेतन की दर ६०-४-८०-५-१२० रु० है। ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१४—श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)—क्या कुर्क अमीनों को वसूल किये हुये रुपये प्रति सप्ताह तहसील में जमा करने पड़ते हैं ? यदि हां, तो उनके आने-जाने का मार्ग-व्यय क्या सरकार देती है ? यदि नहीं, तो क्या देने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

नियमों के आधार पर अस्थायी कुर्क अमीन अपने हल्के के अन्दर रेल व्यय प्रति मील के अतिरिक्त किसी और प्रकार के मार्ग-व्यय के अधिकारी नहीं हैं।

जी नहीं।

जिला देवरिया में फार्मों की संख्या

*१५—श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के अन्दर ५० एकड़, १०० एकड़ तथा इससे अधिक के कितने फार्म हैं ?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले में ५० एकड़ से १०० एकड़ वाले फार्मों की संख्या १२ तथा इनसे, अधिक क्षेत्रफल वाले फार्मों की संख्या १४ है।

*१६-१८—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में सरकार द्वारा वितरित धान के बीज की शिकायत

*१९—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सरकार द्वारा वितरित धान के बीज से जो धान के पौदे उत्पन्न हुये थे उनके सम्बन्ध में बस्ती जिला से कोई शिकायत उनके पास आई थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*२०—श्री झारखण्डे राय—अगर हां, तो वह शिकायत क्या थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—बीज गोदामों से लिये गये धान के बीज से फसल अच्छी पैदा नहीं हुई।

*२१--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि उसने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री जगन प्रसाद रावत--अधिकारियों से कह दिया गया है कि जिन लोगों की फसल खराब हो गई है उनसे बीज की वसूली अगली फसल तक स्थगित कर दी जाय और उनसे देर की अदायगी के कारण कोई तावान न लिया जाय।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि खराब बीजों की वजह से कितनी हानि हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--बीजों के खराब होने की वजह से कोई हानि नहीं हुई। असल में कारण यह था कि उस साल पानी सितम्बर में नहीं बरसा और उसकी वजह से फसल को हानि हुई। लेकिन जो कुछ हानि इस कारण से भी हुई उसके लिये भी उनके साथ रियायतें की गईं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बतायेगी कि यह बीज जो सरकार किसानों को देती है उस का जरमिनेशन प्रतिशत क्या होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--ऐसे तो कोई सही आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि सीड स्टोर से बीज देने से पहले ऐसा कोई टेस्ट लिया जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--वहां जो कृषि के अधिकारी होते हैं वह देख लेते हैं कि बीज खराब नहीं है और उसमें कोई दोष नहीं है।

श्री शिव कुमार शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि इसके क्या कारण हैं कि बीज खराब हो जाते हैं और उनकी वाइटेलिटी गिर जाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--बीज खराब न हों तो उसके कारण ही क्या बताये जायं।

नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर केन्द्र की पट्टियों में टिड्डियों से हानि

*२२--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर केंद्र के आस-पास की पट्टियों में टिड्डियों ने तमाम फसल को नष्ट कर डाला ? अगर हां, तो पीड़ित ग्रामों को क्या-क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री चरण सिंह--मुक्तेश्वर केंद्र की तल्ली कोटोली और मल्ली कोटोली पट्टियों में टिड्डियां बहुत थोड़े समय के लिये आई थीं जिससे मडुये की फसल को कुछ हानि हुई, जो नहीं के बराबर थी। अतः किसानों को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में मालगुजारी की वसूली में वारन्ट गिरफ्तारी तथा कुर्की

*२३--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले की चारों तहसीलों में चालू वर्ष की मालगुजारी की वसूली में कितने व्यक्तियों के नाम वारंट, गिरफ्तारी तथा वारंट कुर्की जारी किये गये ?

श्री चरण सिंह--देवरिया जिले की चारों तहसीलों में फसली १३६० में मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में १,१४५ व्यक्तियों के नाम वारंट गिरफ्तारी तथा ४७० व्यक्तियों के नाम वारेंट कुर्की जारी किये गये थे।

*२४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—जिन व्यक्तियों के ऊपर उक्त प्रकार की कार्यवाही की गयी क्या वे उन गांवों के मालगुजार हैं जहां ओले से क्षति हुई है ?

श्री चरण सिंह—जिन व्यक्तियों के ऊपर उक्त प्रकार की कार्यवाही की गई उनमें से कुछ व्यक्ति उन गांवों के भी मालगुजार हैं जहां ओले से क्षति हुई।

*२५—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—ओले से क्षति-ग्रस्त गांवों में वारंट गिरफ्तारी तथा वारंट कुर्की कितने व्यक्तियों पर की गई, कितने लोग गिरफ्तार हुये और कितने लोगों के पशु मवेशीखाने तक पहुंचाये गये ?

श्री चरण सिंह—ओले से क्षति-ग्रस्त १,०४४ गांवों में २५९ व्यक्तियों पर वारंट गिरफ्तारी तथा १३ व्यक्तियों पर वारंट कुर्की जारी की गई। केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और ३ व्यक्तियों के पशु मवेशीखाने तक पहुंचाये गये।

जौनपुर जिले में भूदान-यज्ञ के लिए प्राप्त भूमि का वितरण

*२६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि श्री विनोबा जी को भूदान यज्ञ में मिली है और उसका वितरण किस प्रकार किया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—३१ अगस्त, १९५३ तक प्रत्येक तहसील में प्राप्त भूमि के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

शाहगंज में	..	..	३०४३.९५ एकड़
केराकत में	..	..	४७७.८० ,,
मछली शहर में	..	..	४६५.६१ ,,
मड़ियाहूं में	..	..	५०१.३९ ,,
जौनपुर में	..	..	४८०.०० ,,

इसके अतिरिक्त महाराजा बनारस से १०७८.९३ एकड़ भूमि प्राप्त हुई जिसका तहसीलवार विभाजन अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। जहां तक वितरण का प्रश्न है, शाहगंज तथा मछलीशहर तहसीलों में अभी वितरण नहीं हो सका है। अन्य तहसीलों में जो भूमि वितरित हुई है उसका रक़बा इस प्रकार है :—

जौनपुर में	..	..	१३० एकड़
केराकत में	..	..	६० ,,
मड़ियाहूं में	..	..	५३ ,,

*२७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल भूमि में से कितनी भूमि हरिजनों को दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वितरित की गयी भूमि में से ९५ प्रतिशत भूमि हरिजनों को दी गई है। इस प्रश्न तथा प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में जो आंकड़े सूचित किये गये हैं वे स्थानीय भू-दान समिति से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि महाराजा बनारस से जो भूमि प्राप्त हुई है उसका विभाजन कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो भू-दान समिति करेगी।

श्री बाबूनन्दन—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहगंज के मछलीशहर में अब तक वितरण क्यों नहीं हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह सब भू-दान समिति के अधिकार में है, वही करेगी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह भूमि हरिजनों के लिये है या भूमिहीन किसानों के लिये है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आचार्य विनोवा भावे भूमिहीन किसानों के लिये मांगते हैं, उनमें हरिजन भी हैं।

लाखीपुर, जिला आजमगढ़ में वृक्षारोपण

*२८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत लाखीपुर ग्राम में दिसम्बर, ५२ में सरकार की ओर से कितने पेड़ लगाये गये थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सामुदायिक विकास क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत स्थित ग्राम लाखीपुर में गत अगस्त व सितम्बर में ९५ फलदार वृक्ष लगाये गये। दिसम्बर मास में कोई भी वृक्ष नहीं लगाया गया।

*२९—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन पेड़ों में से कितने लगे और कितने सूख गये और उनके लगाने में कुल व्यय कितना हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उन पेड़ों में से केवल २७ लगे और ६८ सूख गये। उनके लगाने में सामुदायिक विकास क्षेत्र, कृषि विभाग, या किसी अन्य शासकीय विभाग की किसी भी मद से कोई व्यय नहीं हुआ। उन वृक्षों में से अधिकतर वृक्षों को सम्बन्धित ग्राम सभा ने लगाया था और उसमें उस निमित्त कुल ८० रु० व्यय किये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि लाखीपुर ग्राम के बगीचे के उत्सव में राज्यपाल महोदय भी गये थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ८० रु० जो व्यय इस बगीचे के लगाने में हुआ वह किस ग्राम सभा ने दिया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—लाखीपुर ग्राम सभा ने दिया।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ग्राम सभा सामुदायिक विकास क्षेत्र में है और सामुदायिक विकास क्षेत्र में इन पेड़ों को लगाने के लिये पैसे दिये गये थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तो मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यह सामुदायिक विकास क्षेत्र के किसी मद से नहीं है, लेकिन सामुदायिक विकास क्षेत्र में जो भी ग्राम सभायें होती हैं काम करने के लिये सामुदायिक विकास योजना के अनुसार उनसे सम्बन्ध रखने वाले कामों के लिये सहायता अवश्य दी गयी है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बगीचे की रखवाली के लिये ग्राम सभा की ओर से कोई कर्मचारी नियुक्त है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तो ग्राम सभायें स्वयं ही रखवाली के लिये, जहां भी जिसको सुपुर्द करती हैं, कर देती हैं। हर ग्राम सभा के लिये यह कोई निश्चित नहीं है कि वे कोई रखवाला रखें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि जो पेड़ लगाने के लिये दिये जाते हैं इन विकास एरियाज के अन्दर, उन पेड़ों को सरकार देती है गांव वालों को ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो पेड लगाने के लिये दिये जाते हैं वे दाम लेकर भी दिये जाते हैं । जो ग्राम सभायें चाहती हैं तो बिना क़ीमत के भी पेड़ लगाने के लिये दिये जाते हैं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार ऐसे विकास एरियाज के अन्दर बाहर से पेड़ों का प्रबन्ध करने के बजाय वहां पर नर्सरी जारी करने को सोच रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि जहां तक सम्भव हो सके, जहां कहीं भी पेड़ लगने वाले हों, हर जिले में नर्सरी से ही पेड़ दिये जायं और सरकार हर जिले में ज्यादा से ज्यादा नर्सरीज लगाने का प्रबन्ध भी कर रही है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---जहां पर सरकार खुद अपनी नर्सरीज नहीं लगा रही है, क्या सरकार वहां पर वहां की ग्राम सभाओं को अपनी-अपनी नर्सरी लगाने के लिएकुछ मदद देने को सोच रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कोई ग्राम सभा इस प्रकार की कोई योजना हमारे पास भेजेगी तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ९५ पेड़ जो लाखीपुर ग्राम में लगाये गये हैं उन्हें सरकारी पैसे से खरीदा गया या गांव वालों ने खुद अपने पैसे से खरीदा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो मैं नहीं कह सकता कि सरकारी पैसे से खरीदा गया या ग्राम सभा ने स्वयं अपने पैसे से खरीदा । इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पेड़ खरीदे जाते हैं उनकी क़ीमत ऐसी नहीं ली जाती जो बहुत ज्यादा हो ।

जिला फैजाबाद के ओरिल और रम्भोपुर ग्रामों को आजमगढ़ जिले में मिलाना

*३०---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सत्य है कि जिला फैजाबाद, तहसील अकबरपुर, परगना सुरहरपुर के ओरिल और रम्भोपुर ग्राम पुलिस विभाग के मामलों के लिये आजमगढ़ में मिला दिये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--- जी हां ।

*३१---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या राजस्व मन्त्री फैजाबाद तथा आजमगढ़ के जिलाधीशों से रिपोर्ट मंगाकर दीवानी और माल के मामलों के लिहाज से भी इन गावों को आजमगढ़ जिले में जिसका, सदर मुकाम इन गावों से केवल २५ मील है, मिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--- इस विषय पर एक रिपोर्ट भूमि व्यवस्था कमिश्नर, उत्तर प्रदेश से अभी हाल में ही प्राप्त हुयी है और सरकार के विचाराधीन है ।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में सरजू नदी की बाढ़ से क्षति

*३२---श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में १९५२ में सरजू नदी की बाढ़ से कितनी खेती नष्ट हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सन् १९५२ ई० में तहसील सलेमपुर में सरयू नदी में बाढ़ नहीं आई थी, केवल नदी का पानी कुछ बढ़ा था और किनारे की लगभग १९० एकड़ भूमि जलमग्न हो गई थी, परन्तु इससे खड़ी फ़सल को कुछ भी क्षति नहीं पहुंची।

*३३---श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या ऐसे बाढ़ को रोकने का कोई प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सरयू नदी की बाढ़ को रोकने की कोई विशिष्ट योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। बाढ़ के प्रभाव को तथा उससे होने वाली क्षति को यथाशक्ति कम करने के सामान्य प्रश्न पर अभी हाल में बाढ़ समिति ने विचार किया है। उसकी सिफारिशों पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सलेमपुर तहसील में मंझरिया में पीड़ी के पास हर साल हजारों लोग बाढ़ से डूब जाते हैं और तबाह हो जाते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिस गाँव का नाम लिया गया इसकी सूचना तो हमको नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि सरजू नदी की बाढ़ से कुछ गाँव जरूर डूब जाते हैं और इस साल १२,२२३ एकड़ भूमि बाढ़ के पानी में आ गयी थी।

ताल कटोरा वर्कशाप, (लखनऊ) और बगवाड़ा कैम्प (नैनीताल तराई) में पड़े हुये ट्रैक्टरों का उपयोग

*३४---श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ताल-कटोरा (लखनऊ) और बगवाड़ा कैम्प (नैनीताल) तराई में जो ट्रैक्टर और तत्सम्बन्धी सामान और औजार पड़े हैं उनको उपयोग में लाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---ताल कटोरा वर्कशाप (लखनऊ) और बगवाड़ा कैम्प (नैनीताल तराई) में जो ट्रैक्टर तथा अन्य सामान पड़े हैं उनकी जहाँ तक सम्भव है मरम्मत की जा रही है। जो सामान ठीक होता जा रहा है उसको कृषि इंजीनियरिंग विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों को, जहाँ इनकी जरूरत है, भेजा जा रहा है।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या यह सत्य है कि आज ४ साल से बगवाड़ा में जो सामान पड़ा हुआ है उसमें से बहुत सा सामान चोरी चला गया है और बहुत से सामान की मरम्मत नहीं हुयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--- चोरी चले जाने की कोई इत्तिला सरकार को नहीं है।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या यह सही है कि ऐसा वहाँ पर है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--- वह सामान वहाँ पर पड़ा नहीं है कुछ खराब जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यह है कि जो सामान अभी तक काम में नहीं लिया जा सका है इस बात की कोशिश की जा रही है कि वह मरम्मत करके काम में ले लिया जाय।

चुनार तहसील में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता

*३५—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि २० मील के घेरे में चुनार तहसील के भुइली परगने में केवल एक पशु चिकित्सालय अलदहटा में है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अलदहटा में केवल एक पशु सेवा केन्द्र (स्टाकमेन सेन्टर) है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार इस बीस मील वाले क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस समय तो कोई पशु चिकित्सालय खोलने की वहाँ पर सम्भावना नहीं है।

अल्मोड़ा के बारामंडल सब-डिवीजन में विचाराधीन मुक़दमे

*३६—श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के बारामंडल सब-डिवीजन में कितने मुकदमे एस० डी० एम० और जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में इस समय विचाराधीन हैं ?

श्री चरण सिंह—३० सितम्बर, १९५३ तक एस० डी० एम० की अदालत में २,३९१ मुकदमे और जुडीशियल मजिस्ट्रेटों की अदालतों में २९८ मुकदमे।

*३७—श्री भूपाल सिंह खाती (अनुपस्थित)—इनमें से ऐसे मामले कितने हैं जो दो वर्ष पूर्व दायर हुये थे ?

श्री चरण सिंह— १८०।

*३८—श्री भूपाल सिंह खाती (अनुपस्थित)—एक साल से पूर्व दायर हुये पंचायती अदालतों की नजर सानियों (Revisions) की संख्या क्या है ?

श्री चरण सिंह—एक।

पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीन काश्तकारों को भू-दान

*३९—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीन काश्तकारों के लिये ३ हजार एकड़ भूमि देने का सरकार ने फैसला किया है ? यदि हां, तो यह भूमि तराई भावर में कहां-कहां, किस-किस स्थान पर है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां। पहले यह निश्चय किया गया था कि निम्नलिखित स्थानों पर ३,००० एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी जाय—

१—हिम्मतपुर ब्लाक	.. ..	७५६.८ एकड़
२—खमियां ब्लाक	.. ..	२५७०.२ ,,

अब सरकार ने फैसला किया है कि बजाय ३,००० एकड़ के ४,५०० एकड़ दी जाय। ३,००० एकड़ उपरोक्त स्थानों पर होगी और बाकी किसी और ब्लाक में दी जायगी।

*४०—श्री खुशीराम— इस भूमि को आबाद करने वालों को सरकार क्या-क्या सुभीते देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इन काश्तकारों को यह भूमि तराई व भावर गवर्नमेंट इस्टेट्स खाम टर्म्स रिवाइज्ड १९४८ [Tarai and Bhabar Govt. Estates Kham Terms (Revised) 1948] के अनुसार दी जायगी। जो सुविधायें इन खाम टर्म्स में दी हुई हैं वही इन लोगों को दी जायेंगी। मुख्य २ सुविधाओं की सूची नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११४ पर)

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बजाय ३ हजार के जो ४।। हजार एकड़ भूमि बांटी जायगी यह बाकी भूमि किस जगह कहां-कहां पर और किन-किन स्थानों पर है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस ३ हजार के बजाय जो १,५०० एकड़ जमीन और है वह किन-किन स्थानों पर मिलेगी इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो ३ हजार एकड़ जमीन सरकार भूमिहीन किसानों में बांट रही है, उसमें एक किसान को कितनी जमीन देगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--साढ़े सात एकड़ देने का निश्चय किया गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ३ हजार एकड़ जमीन देने का फैसला सरकार ने कब किया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--३ हजार एकड़ देने का फैसला तो काफी पहले हो चुका था फिर बाद को साढ़े चार हजार एकड़ का कर दिया गया।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस ४ हजार एकड़ में से कुछ भूमिहीनों को अभी तक जमीन दी भी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--चूंकि उस जमीन को देने के पहले जमीन का सर्वे करना जरूरी है कि सड़क कहां होनी चाहिए, आबादी कहां होनी चाहिए और सर्वे अभी हुआ नहीं, इसलिये अभी जमीन का बटवारा हुआ नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह जमीन उन भूमिहीन किसानों को दे दी जावेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो भूदान कमेटी को इस काम को सिपुर्द किया गया है। भूदान कमेटी की बैठक २३-११-५३ को हुई थी। जमीन के बांटने के निर्णय की सूचना अभी मिली नहीं है, लेकिन उनकी सहायता से जमीन बांटी जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय-- क्या पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले भूमिहीन लोग हैं उन्हें जो जमीन ३ हजार से साढ़े चार हजार कर दीगई है उसमें से कुछ पहाड़ी इलाकों में भी दी जायगी ?

श्री चरण सिंह--सारी पहाड़ी इलाके वालों के लिए ही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार उन भूमिहीन किसानों को जो पहाड़ी इलाकों से यहां बसने के लिए आयेंगे, कुछ आर्थिक सहायता भी देगी, जिससे वह कुछ खा-पी सकें।

श्री चरण सिंह--अगर गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति इजाजत देगी तो उनको आर्थिक सहायता दी जायगी, वरना नहीं।

बस्ती जिले में पटवारियों के त्यागपत्र

*४१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसीलवार कितने-कितने पटवारी त्याग-पत्र दे चुके हैं और उनमें से कितनों के इस्तीफे वापस हो गये और कितने मंजूर हो गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य— बस्ती जिला के प्रत्येक तहसील के पटवारियों की संख्या, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है और जो इस्तीफे वापस हुये तथा मंजूर हुये निम्नलिखित हैं—

तहसील		त्याग पत्र दिये पटवारियों की संख्या	इस्तीफे वापस हुये पटवारियों की संख्या	इस्तीफे मंजूर हुये पटवारियों की संख्या
बस्ती	..	१८९	१३६	५३
हरैया	..	१४९	९१	५८
खलीलाबाद	..	..	..	..
डुमरियागंज	..	१६४	२१	१४३
बांसी	..	१४९	१४८	१
योग	..	६५१	३९६	२५५

श्री राजाराम शर्मा—और जगह जो लेखपाल मुकर्रर किए गये हैं उनमें क्या हरिजन भी हैं ?

श्री चरण सिंह—बस्ती जिले में कुल ५७ आदमी नये भर्ती किये गये हैं और वह सबके सब वह हैं जो पहले पटवारी की ट्रेनिंग हासिल कर चुके थे। हरिजन उनमें कितने हैं मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल है कि शायद ही कोई हो। क्योंकि पहले जिन्होंने ट्रेनिंग पायी थी उनमें हरिजन ज्यादा नहीं थे।

बस्ती जिले में गांव सभाओं द्वारा मालगुजारी की वसूली

*४२—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहिली अप्रैल से जिन २८१ ग्राम सभाओं को मालगुजारी वसूल करने का कार्य सौंपा जायगा उनमें बस्ती जिले की कितनी गांव सभायें सम्मिलित हैं, और उनके नाम क्या हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—रबी १३६० फसली में बस्ती जिले की किसी गांव सभा को मालगुजारी वसूल करने का काम नहीं सौंपा गया है।

श्री राजाराम शर्मा—बस्ती जिले में जो मालगुजारी की वसूली का कार्य ग्राम सभाओं को नहीं सौंपा गया उसके क्या कारण हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वहां के जिलाधीश अगर अधिकार देने के लिए सिफारिश करेंगे तो विचार किया जायगा। अब तक तो किसी गांव पंचायत को अधिकार देने की बात लागू भी नहीं है।

मुंडेरवा मिल जोन में केन डेवलपमेंट विभाग द्वारा जनहित के कार्य

*४३—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन० डे० विभाग की तरफ से मुंडेरवा मिल जोन में कौन-कौन से काम जनता के हित में किये गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो मेरे पास प्रश्न भेजा गया और जो एजेंडा में छपा है उसमें अन्तर है। जो मेरे पास भेजा गया था उसमें तो लिखा था "काम किये जाते हैं" और एजेंडे में छपा है "काम किये गये"। तो इसको सुधार लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसको मुल्तवी कर देता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा अन्तर है।

श्री जगन प्रसाद रावत—असेम्बली विभाग से जो प्रश्न गया था उसमें था "किये जाते हैं"।

श्री अध्यक्ष—श्री राजाराम शर्मा! आप क्या चाहते हैं?

श्री राजाराम शर्मा—मैं तो "किये गये हैं" चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसको मुल्तवी किए देता हूं। दो हफ्ते के लिए कर दूं?

श्री जगन प्रसाद रावत—मेरे ख्याल में अगर दूसरा सवाल कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

आगरा सदर तहसील के अरतौनी आदि गांवों में बन्दरों तथा जंगली गायों का उपद्रव

*४४—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार को मालूम है कि आगरा सदर तहसील अरतौनी और आस-पास के गांवों में बन्दरों तथा कुछ गावों में जंगली गायों का उपद्रव बढ़ता जा रहा है? सरकार उसे रोकने के लिये क्या सोच रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं परन्तु अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है।

आगरा में पेट्रोल में आग लग जाने के कारण बस दुर्घटना

*४५—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या यातायात मंत्री को विदित है कि आगरा में पेट्रोल में आग लग जाने के कारण रोडवेज की एक बस जल गई? यदि हां, तो उससे कितने आदमी मरे और कितने घायल हुये? क्या सरकार उसके कारणों की जांच करेगी?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी नहीं। आगरा रीजन की कोई बस आग से नहीं जली।

*४६—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआविजा देने पर विचार कर रहे हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले के कुछ गांवों का सुल्तानपुर जिले में मिलाया जाना

*४७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के कुछ गांव सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जिले में मिलाये जा रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले के कुछ गांव सुल्तानपुर जिले में अवश्य मिलाये गये हैं, परन्तु प्रतापगढ़ में कोई भी गांव नहीं मिलाया गया है।

*४८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—यदि हां, तो कितने और कौन-कौन गांव मिलाये जाने वाले हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—२६ गांव सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हैं जिनकी एक सूची नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११५ पर)

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय माल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गाँव जौनपुर जिले से सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हैं वहाँ की जनता सुल्तानपुर जिले में नहीं जाना चाहती थी?

श्री चरण सिंह—यह २६ गाँव जो सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हैं वह तकरीबन चारों तरफ से सुल्तानपुर के गांवों से घिरे हुये थे और सुल्तानपुर और कादीपुर तहसील वहाँ से निकट पड़ती है बनिस्बत जौनपुर क। दोनों जिलाधीशों की राय यही थी कि इससे शासन के लिये सुविधा हो जायगी और गाँव वालों के लिये भी सुविधा हो जायगी अगर यह सुल्तानपुर में मिला दिये जायेंगे। यह बात सही है कि कुछ गाँव वालों ने चाहा था कि सुल्तानपुर में न मिलाये जायं, लेकिन आम जनता का हित सुल्तानपुर में मिलाने में ही था।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के सरहद गौरीपुर गाँव में किसी राजनैतिक सम्मेलन में किसी माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रस्ताव द्वारा जनता ने पास किया था कि हमारा गाँव न मिलाया जाय?

श्री चरण सिंह—यह ठीक है कि मैं वहाँ एक सभा में गया था और वहाँ इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कुल मौके को देख कर और दोनों जिला अधिकारियों से बात करके मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि आम जनता का हित सुल्तानपुर के मिलाने ही में था। जिस तरह से प्रस्ताव पास किये जाते हैं वह तो मुझे और श्री रमेशचन्द्र जी को दोनों को ही मालूम है।

श्री बाबू नन्दन—क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो गाँव एक जिले से दूसरे जिले में मिलाये गये हैं उनसे संबंधित कागजात भेज दिये गये या नहीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह तो गजट में भी छाप दिया गया और अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई कि यह गाँव मिला दिये गये।

श्री बाबू नन्दन—मैंने कागजात के संबंध में पूछा था। जो गाँव मिलाये गये हैं उनसे संबंधित कागजात एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिये गये या नहीं?

श्री चरण सिंह—अगर अभी तक न भी भेजे गये होंगे तो भेज दिये जायेंगे।

गोरखपुर से फरेंदा तक रोडवेज की बस चलाने का सुझाव

*४९—श्री गौरी राम (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से फरेंदा तक रोडवेज की बस चलने वाली थी? यदि हाँ, तो वह क्यों नहीं चली?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं था।

रायबरेली जिले की तहसील सलोन की ग्राम सभाओं का सार्वजनिक सम्पत्ति पर कब्जा

*५०—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले की तहसील सलोन के कमोली सवैया हसन, सवैयामीरा ग्रामों की ग्राम सभाओं को, सार्वजनिक भूमि, पेड़, तालाब आदि पर कब्जा नहीं मिला ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ग्राम सभाओं को सार्वजनिक भूमि, पेड़, तालाब आदि का कब्जा नहीं दिया गया है यह सब गाँव समाजों में निहित हुई है और उनका कब्जा है।

*५१—श्री दल बहादुर सिंह—क्या यह सही है कि इन ग्रामों के भूतपूर्व जमींदारान उक्त भूमि, पेड़, तालाब, आदि पर अब भी जबरदस्ती क़ब्जा किये हुये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं, इस प्रकार की शिकायत न तो जिलाधीश को मिली और न सरकार में आई।

*५२—श्री दल बहादुर सिंह—क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों के पंचायत अधिकारियों के रिपोर्ट करने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं, गाँव समाजों में जो भी सार्वजनिक सम्पत्ति निहित हुई है उनके कब्जे के संबंध में जमींदारों द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई शिकायत नहीं हुई, कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दल बहादुर सिंह—क्या माननीय मालमंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि ग्राम समाज कमौली सवैया हसन, सवया मीरा को कितनी एकड़ जमीन, पेड़ आदि मिले ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री दल बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि १५ नवम्बर, १९५२ और ३१ दिसम्बर, १९५२ के बीच में कितने प्रार्थना पत्र वहाँ के सभापतियों ने जिला पंचायत अधिकारियोंकी मार्फत जिलाधीश और सरकार को भेजे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसकी सूचना तो ठीक नहीं है लेकिन जो नियम ११५ (सी) और ११५ (एस) इसके लिये बना दिये गये हैं उसके अनुसार भूमि प्रबन्धक समितियाँ प्रस्ताव पास करके जिलाधीश के पास भेजें तो जिलाधीश महोदय उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

जौनपुर जिले में कलेक्टरी कचेहरी से मिसलों के गायब होने की सूचना

*५३—श्री बाबू नन्दन—क्या यह सच है कि अभी हाल ही में जौनपुर जिले की कलक्टरी कचेहरी में कुछ मिसलें गायब हो गई हैं ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हाँ, मिसलों के खोने की सूचना १६ जनवरी, १९५३ को प्रातःकाल कचहरी खुलने पर मिली, ये मिसलें जुडिशल आफिसर के इजलास की थीं। मिसलों के खोने के कारण का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका।

*५४—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वे मिसलें कितनी और किस-किस केस के संबंध की थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कुल ७५ मिसलें गायब हुई जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११६-११७ पर।)

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मिसलें गायब हो गयी हैं उसके संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो मिसलें गायब हो गयी हैं उनकी दूसरी फाइलें तैयार कर ली गई ह, केवल चार का अभी तक पता नहीं है। जो उनमें फरीकैन हैं उनका पता नहीं चला है। लेकिन और सभी मिसलें तैयार कराई जा चकी हैं और यह चार भी तैयार हो जायंगी।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मिसलों के गायब होन के कारण जिन को जो क्षति पहुंची है, उसकी व्यवस्था क्या सरकार कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो मुकदमे अदालत में हैं और अदालत में जो उन मुकदमों की दूसरी फाइलें तैयार हुई हैं उनके मुताबिक फैसला होगा, उसमें क्षति का सवाल कहाँ पैदा होता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि मिसलों के गायब होने का कारण क्या है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अदालत में जिन दो अहलमदों ने मिसलों को पहले दिन रखा था और दूसरे दिन नहीं मिलीं, उनके खिलाफ मुकदमे पुलिस ने चलाये और अदालत ने उनको छोड़ दिया, अब कौन सा आदमी उसका जिम्मेदार हुआ यह तो पता चला नहीं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुडीशल आफिसर्स या दूसरे मैजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कलेक्टर्स के अहलमद और पेशकार के खानगी मुहर्रिर भी इन मिसलों को ले जाया करते हैं?

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, मुझे प्वांइट आफ आर्डर रेज करना है कि क्या अखबार पढ़ने का अधिकार सदन में माननीय सदस्यों को है?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, माननीय सदस्य जो अखबार पढ़ रहे हों, वे खामोशी से प्रश्नोत्तर भी सुना करें तो अच्छा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अदालतों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, फाइलों को लेने, रखने वगैरा का अधिकार उन्हीं को है। जाब्ते से दरख्वास्त दे करके जो फाइलें देखना चाहें उन्हें भी देखने का अधिकार है।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि जिन अहलमद के हाथ से मिसलें गायब हुई, क्या उनके किसी खानगी मुहर्रिर के हाथ से तो नहीं गायब हुईं?

श्री चरण सिंह--मुकामी अधिकारियों ने पूरी जाँच की है और तहकीकात के बाद जिन लोगों को उन्होंने मुजरिम समझा उनका चालान कराया, और अदालत से वे छूट गये। अब यह कि वे घर पर ले गये थे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिपोर्ट से पता लगता है कि फाइलें दफ्तर से गायब हुईं।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह दोनों अहलमद अब भी सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बोर्ड ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये ताकीद की है।

जिला जौनपुर में भूमिधरों की मंसूख सनदें

*५५--श्री बाबू नन्दन--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में भूमिधर होने के लिये जिन्होंने दसगुना जमा किया था उनमें से कितनों की सनदें मंसूख हुई और क्यों?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले में कुल ३११ सनदें मंसूख हुई जिनमें ५० सनदें रुपया कम जमा करने के कारण और बाकी २६१ सनदें उत्तर प्रदेशीय काश्तकार विशेषाधिकार उपार्जन अधिनियम, १९४९ ई० की धारा १२ के अन्तर्गत मंसूख हुईं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार जिनकी सनदें मंसूख हुईं उनका रुपया वापस करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नियमों के मुताबिक कार्यवाही हो रही है।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या १३५६ फसली के बाद की जमनदस्त के लिखे हुये किसानों को जो सनदें खिलाफ कानून जारी की गई थीं उनको मंसूख करने का आर्डर अब भी जारी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--दफा १२ के मुताबिक कार्यवाही अब भी हो सकती है।

ब्रज-भूमि को मरुभूमि में परिणत होने से बचाने की योजना

*५६--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ब्रजभूमि (जिला मथुरा) की रक्षा के लिये बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने के हेतु कोई योजना सरकार बना रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--योजना बन चुकी है और उसके अनुसार कार्य हो रहा है।

*५७--श्री रामहेत सिंह--यदि हाँ, तो उस योजना के अन्तर्गत जो चरागाह व बंजर जमीन १९४६ के बाद तोड़ी गई है उन्हें चरागाह व जंगलात के लिये लेने पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत--आवश्यकता पड़ने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

*५८--श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मथुरा जिले में ब्रज-भूमि को हरा-भरा बनाने के हेतु एक योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस योजना का संक्षेप में स्पष्टीकरण देगी?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हाँ। योजना का अभिप्राय राजस्थान के बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकना तथा आगरा और मथुरा जिलों में जिसमें ब्रज-भूमि स्थित है शनैः-शनैः मरुभूमि में परिणत होने से बचाना है। इसके अन्तर्गत आगरा-मथुरा सड़क, गोबर्धन-बरसाना सड़क और गिरि गोबर्द्धन के परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ घनी वृक्षावली तैयार की जा रही है। गिरि गोबर्द्धन और परिक्रमा मार्ग के बीच की भूमि में कुंज एवं सघन वृक्षावलियाँ लगाई जा रही हैं। ब्रज भूमि के प्रसिद्ध १२ बनों तथा २४ उपवनों में भी वृक्ष लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेकार जमीनों में भी वृक्ष लगाये जायेंगे। आगरा और मथुरा जिलों की पहाड़ियाँ तार से घेरी जायंगी ताकि उनपर स्वाभाविक रूप से घास इत्यादि उग सकें उसके बाद वहाँ भी वृक्ष लगाये जायंगे।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जितने भी पेड़ लगाये गये वे प्रायः पानी की कमी के कारण मर चुके हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह इत्तिला माननीय सदस्य की सही नहीं है। जितने भी पेड़ लगाये जाते हैं उनका कुछ फीसदी तो हमेशा मर जाया करता है और कहीं पर भी पेड़ १०० फीसदी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन साधारण तरीके से जितने फीसदी पेड़ बचते हैं उससे हमको अधिक ही सफलता प्राप्त हुई है।

श्री रामहेत सिंह--क्या इन सब योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये वहाँ खास सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है?

श्री जगन प्रसाद रावत—माननीय सदस्य का अभिप्राय मथुरा जिले से है। तो मथुरा तो उन जिलों में से है जहाँ सिंचाई की काफी आवश्यकता है पेड़ लगाने के अतिरिक्त भी।

श्री रामहेत सिंह—इस योजना के साथ-साथ नन्दगाँव बरसाना के आस-पास के तीर्थस्थानों में अभी भी क्या कदम की खंडी काटी जाती है और क्या उसे रोकने के लिये सरकार कोई सख्त कदम उठावेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—वृक्षों को कटने से बचने के लिये काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतावेगी कि अब तक कितने हजार एकड़ में ये बन लगाये जा चुके हैं ?

श्री चरण सिंह—२,३०० एकड़ में।

अपार वृष्टि से पहाड़ी जिलों में हानि

*५९—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि अपार वृष्टि होने के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में विशेष हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह—अति वृष्टि के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में इस वर्ष कोई विशेष हानि नहीं हुई। गढ़वाल जिले में केवल ६ आदमियों की मत्यु हुई और टेहरी-गढ़वाल में १८ गाँवों की २७ एकड़ भूमि की खेती को बाढ़ से हानि हुई।

*६०—श्री रामनरेश शुक्ल—यदि हाँ, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि वहाँ की क्षतिग्रस्त जनता की क्या सहायता की गयी ?

श्री चरण सिंह—उपर्युक्त अवस्था में किसी विशेष प्रकार की सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल तथा अलमोड़ा जिलों के कुछ भागों में अन्नाभाव की स्थिति प्रकट हो रही थी। अतः शासन ने टेस्ट वर्क्स, मुफ्त सहायता, तकावी, सस्ते अन्न की दुकानों आदि का प्रबन्ध किया है। इन सुविधाओं का उपभोग बाढ़ पीड़ितों ने भी किया।

नैनीताल-तराई कोलोनाइजेशन में जालसाजी से भूमि-प्राप्ति

*६१—श्री शिवबचन राव (जिला देवरिया)—क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि नैनीताल तराई कोलोनाइजेशन में कुछ आदमियों ने कलेक्टर के जाली हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट बना कर जमीन ली है और उसके बाद कम सूद पर सरकार से कर्ज भी लिया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*६२—श्री शिवबचन राव—यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और सरकार इन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जांच करने से ज्ञात हुआ कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५ है, इनमें से ४ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ५वें व्यक्ति के सम्बन्ध की रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं हुई है। रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उन पांच व्यक्तियों के नाम यह हैं—श्री राजकिशोर, नागेश्वर राय, राजेश्वर प्रसाद, सत्यदेव और बैजनाथ तिवारी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह पांचों व्यक्ति किन-किन जिलों के रहने वाले हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो देवरिया जिले के रहने वाले हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार को यह मालूम है कि यह लोग वहां न रह कर अपनी जमीन सब-लेट कर गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जिन लोगों के नाम मैंने पढ़ कर अभी सुनाये हैं उनकी बाबत यह बात सही नहीं है कि वह लोग चले गये हैं।

श्री शिव कुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर)---क्या इन लोगों पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है या अदालत में मुकद्दमा चल रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जब उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता तो कोई कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता।

हेमपुर मेकेनाइज्ड फार्म (काशीपुर क्षेत्र) में भूसे की बिक्री

*६३---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हेमपुर (काशीपुर क्षेत्र) मेकेनाइज्ड फार्म में कितना भूसा प्रति वर्ष इकट्ठा होता है और उसकी बिक्री की क्या व्यवस्था है ?

श्री चरण सिंह---फार्म पर भूसे की गत पांच वर्षों की उत्पत्ति की मात्रा संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। फार्म की अपनी आवश्यकताओं से अधिक जो थोड़ा सा भूसा होता है वह स्थानीय रूप से बेच दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. ११८ पर)

*६४---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूसे की कमी के क्षेत्रों के लिये कितना भूसा निर्यात किया जाता है ?

श्री चरण सिंह---भूसे की कमी के क्षेत्रों को भूसा निर्यात नहीं किया गया, क्योंकि फार्म की आवश्यकता से अधिक भूसा थोड़ा ही बचता है।

*६५---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस फार्म में खरीफ की फसल का चारा (पुआल, करब) कितना इकट्ठा होता है और उसकी बिक्री की कुल आय कितनी होती है ?

श्री चरण सिंह---फार्म पर उत्पन्न हुये चारे तथा उसकी बिक्री के गत पांच वर्षों के आंकड़े संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११८ पर)

बुलन्दशहर जिले की माल, फौजदारी और दीवानी अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*६६---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की माल, फौजदारी और दीवानी अदालतों में कितने केस ऐसे हैं जो गत २ वर्षों से चालू हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---४५१ मुकदमे माल के और ३४५ मुकदमे दीवानी के। फौजदारी का मुकदमा कोई नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मुकद्दमों में ज्यादा देर होने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कई कारण होते हैं। एक तो स्टे आर्डर के बमूजिब रोक दिये गये थे और दूसरे समन वगैरह की तामील में देर हो जाती है। इन्हीं कारणों से देरी हुई है। इसके अलावा माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि वह जल्दी करें और हफ्तेवारी रिपोर्ट दें कि कितने मुकदमे फैसल हो चुके हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि एक कारण तो सरकारी अधिकारियों का समय पर न पहुंचना भी है ?

श्री चरण सिंह—यह कारण नहीं है।

पूर्वी जिलों के अधिवासियों की जबरदस्ती बेदखली

*६७—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि पूर्वी जिलों में बहुत से अधिवासियों को जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारी प्रथा का विनाश हो जाने पर १९५२ ई० के प्रारम्भ में सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली थीं कि लोग अधिवासियों के कब्जे में खलल डाल रहे हैं। कृषक समाज के इस सबसे दुर्बल वर्ग के रक्षार्थ ही उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ पारित किया गया जिसके निदेशों के फलस्वरूप अधिवासियों के अधिकार तथा कब्जा पूर्णतया सुरक्षित रह सकें।

*६८—श्री नागेश्वर द्विवेदी—यदि हां, तो क्या सरकार अधिवासियों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय सदस्य का ध्यान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३५ की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें अधिवासियों द्वारा भूमिधरी अधिकार उपार्जित किये जाने का निदेश मौजूद है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ऐसी भी सूचना आई है कि बहुत से अधिवासियों के ऊपर दबाव डालकर सीधा ले लिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि पूर्व के किन-किन जिलों से जबर्दस्ती बेदखल करने की खबरें आई हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जैसा कि जवाब में बतला दिया गया है कि इसीलिये यह कानून बना दिया गया है ताकि अधिवासियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

जगनपुर, जिला आजमगढ़ के निवासियों द्वारा ग़लत इन्दराज के विरुद्ध दरख्वास्त

*६९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार को पता है कि ग्राम जगनपुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने २३-७-५२ को जिलाधीश आजमगढ़ के पास उस ग्राम के मध्य में स्थित गड़ही और पास में जंगल के गलत इन्दराज के विरुद्ध कोई दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस निरीक्षक द्वारा कराई गई ?

नोट—प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण प्रश्न ६९—९० सदन में नहीं लिए गए।

श्री चरण सिंह--२३-७-५२ वाली दरख्वास्त तो जिलाधीश के कार्यालय में मौजूद नहीं है, किन्तु प्रार्थियों की १४-९-५२ की दरख्वास्त में उक्त दरख्वास्त का हवाला था और उसकी जांच जुडीशल आफीसर श्री दुर्गादत्त सिंह द्वारा कराई गई।

जालौन-रामपुरा सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*७०--राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार को मालूम है कि जो सड़क जालौन से ग्राम रामपुरा को जाती है वह ग्राम रजपुरा और रामपुरा के बीच जहां सड़क बांध पर से जाती है बहुत कट गई है और उस पर चलना खतरे से खाली नहीं है? क्या सरकार उसकी मरम्मत कराने पर विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह--सरकार को यह मालूम है कि जो सड़क रामपुरा व रजपुरा के बीच से बांध पर से गुजरती है काबिल मरम्मत है। बहुत जल्दी इस बात का फैसला किया जायगा कि आया यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जाय या पी० डब्ल्यू० डी० को, और उसके बाद उसकी मरम्मत की जायेगी।

भूतपूर्व मध्यवर्तियों और साधारण काश्तकारों के बागों पर लगान नियत करने की नीति

*७१--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों के बागों पर और साधारण काश्तकारों के बागों पर लगान नियत करने के सम्बन्ध में उसकी नीति में भिन्नता है?

श्री चरण सिंह--भूतपूर्व मध्यवर्तियों के बागों पर मालगुजारी लगाने की नीति जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा २४५ (१) (क) और इसी ऐक्ट के अन्तर्गत नियम १९५ में दी हुई है और साधारण काश्तकारों के बागों पर मालगुजारी लगाने की नीति धारा २४५ (१) (ख), जैसा कि वह संशोधित हो गई है, में दी हुई है।

*७२--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि काश्तकारों के इमारती लकड़ी के बागों पर तो मालगुजारी न कायम की जाय परन्तु भूतपूर्व मध्यवर्तियों के इमारती लकड़ी के बागों पर मालगुजारी कायम की जाय?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, मगर जमींदारी विनाश के पहिले बहुत से काश्तकार इमारती लकड़ी के बागों पर लगान नहीं देते थे, इसलिये धारा २४५ (१) (ख) के अन्तर्गत उन पर कोई मालगुजारी नहीं कायम की गई।

*७३--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बीजू, आम तथा महुवा जिनकी गणना इमारती लकड़ी में की जाती थी, १३६० फसली की खतौनियों में उनके बाग फलदार पेड़ों वाले बाग लिखे जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

पोखरों की मछली तथा सिंघाड़ा आदि के नीलाम का प्रबन्ध

*७४--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज के अन्तर्गत छोटे-छोटे पोखरों की मछली सिंघारा आदि के नीलाम और प्रबन्ध का काम भूमि प्रबन्धक समिति को न देकर पशु चिकित्सकों के जिम्मे कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। बड़े-बड़े तालाबों को छोड़ कर बाकी सभी तालाब और पोखर गांव समाजों में निहित किये गये ह।

रामपुर जिले में जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सरकार का निश्चय

*७५—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करगे कि रामपुर जिले में जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया ?

श्री चरण सिंह—विधान मंडल द्वारा विधेयक पास हो जाने के बाद शीघ्र ही रामपुर में जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था ऐक्ट लागू किया जायगा।

रोडवेज के ड्राइवरों व कनडक्टरों का दैनिक भत्ता

*७६—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रोडवज ड्राइवरों व कन्डक्टरों को दैनिक भत्ता कितना मिलता है ? क्या कन्डक्टरों को भी माइलेज मिलता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—रोडवेज ड्राइवरों को १ रुपया प्रति रात, कन्डक्टरों को १२ आना प्रति रात व क्लीनर कन्डक्टरों को १० आना प्रति रात दिया जाता है। कन्डक्टरों को माइलेज भत्ता नहीं मिलता है।

*७७—श्री राजवंशी—यदि नहीं, तो क्या सरकार कन्डक्टरों को भी माइलेज का भत्ता देने की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो कितना और कब तक ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—कन्डक्टरों को माइलेज भत्ता देने का सवाल नहीं होता क्योंकि उन्हें गुड काण्डक्ट एलाउन्स मिलता है। ड्राइवर्स जिन्हें यह भत्ता दिया जाता है वे मोटर चलाते हैं और जितना ज्यादा मील वे चलते हैं उतनी ज्यादा मेहनत उनको पड़ती है। कन्डक्टर को चाहे ८० मील की जगह १०० मील चलना पड़े तो विशेष अन्तर नहीं पड़ता है।

देवरिया जिले में ईख उत्पादकों की मालगुजारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*७८—श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि देवरिया जिले के पडरौना, कठकुइयां, लक्ष्मीगंज, खड्डा और छितौनी इलाके के ईख उत्पादकों की मालगुजारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी हो रही है ?

श्री चरण सिंह—पडरौना, कठकुइयां, लक्ष्मीगंज, खड्डा तथा छितौनी में १३६०फसली में मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में २६५ वारेंट गिरफ्तारी जारी किये गये थे परन्तु वास्तव में २१ आदमी ही गिरफ्तार किये गये थे।

नैनीताल जिले की कोस्यां घाटी में अतिवृष्टि से क्षति

*७९—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जुलाई मास में अतिवृष्टि के कारण नैनीताल जिले को कोसी नदी की कोस्यां घाटी में अनेक गांवों की उपजाऊ भूमि व फसल बह गई ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री चरण सिंह--कोशी नदी के दोनों किनारों पर पट्टी धनिया कोट, पल्ला कोश्या, ऊंचा कोट, तल्ला कोश्या तथा तल्ला कोटा के कुछ किसानों ने नदी के बहाव के उस स्थान तक खेती कर ली है जो बरसात में प्रायः डूब जाती है। केवल ऐसी ही भूमि की खेती इस वर्ष कोसी की बाढ़ में बह गई। अन्य कोई भूमि खंड बाढ़ से क्षति ग्रस्त नहीं हुआ। अतएव सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल जिले में टिड्डी दल से हानि

*८०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि जुलाई के प्रथम पखवारे में एक बड़े टिड्डी दल ने अल्मोड़े जिले के बारामंडल परगने व नैनीताल जिले की कुटौली पट्टियों के अनेक गांवों में खड़ी फसल को बिल्कुल बरबाद कर दिया? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को क्या सहायता दे रही है?

श्री चरण सिंह--६ जुलाई, १९५३ को अल्मोड़ा जिले के बारामंडल परगने में एक छोटा सा टिड्डी दल ऊपर उड़ता हुआ देखा गया जो थोड़ी-थोड़ी देर के लिये नीचे भी उतरा इससे फसल को कोई हानि नहीं हुई।

एक टिड्डी दल, करीब आधा मील लम्बा नैनीताल जिले के पूर्वी आगर और मल्ली कोटौली पट्टियों में जो मुक्तेश्वर के पास हैं, ६ जुलाई, १९५३ को नीचे उतरा और बैठा रहा। इससे मंडुए की फसल को जो हानि हुई वह नहीं के बराबर थी।

जब फसल को कोई विशेष हानि नहीं हुई, तो इस सम्बन्ध में किसानों को सहायता का प्रश्न उठता ही नहीं।

तराई-भावर खास स्टेट में १०० एकड़ से अधिक फार्म

*८१--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई भावर खास स्टेट में कितने फार्म ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल १०० एकड़ या १०० एकड़ से अधिक है? क्या सरकार साथ ही इन सभी फार्मों के मालिकों का नाम भी बताने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह--ऐसे कुल १०६ फार्म हैं। उनके मालिकों के नाम की सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११९-१२१ पर)

वेटेरिनरी कालेज मथुरा का परीक्षाफल

*८२--श्री श्रीचन्द--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेटेरिनेरी कालेज मथुरा का परीक्षाफल प्रत्येक कक्षा का गतवर्ष कितने प्रतिशत रहा?

श्री चरण सिंह--पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा का परीक्षाफल प्रत्येक कक्षा का गत वर्ष १९५२-५३ का निम्नांकित रहा:--

प्रथम वर्ष	..	९१.९ प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	..	८२ प्रतिशत
तृतीय वर्ष	..	५४.५ प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष	..	९१.६ प्रतिशत

खलिहान में आग लगने से माधोगढ़, जिला जालौन में किसानों को हानि

*८३--राजा वीरेंद्र शाह--क्या सरकार को मालूम है कि आग लग जाने से जिला जालौन के कस्बा माधोगढ़ के किसानों का रबी फसल का पूरा गल्ला जल गया और हजारों

रुपये की हानि हुई ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि किसानों को सहायता के रूप में क्या दिया गया ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ, कस्बा माधोगढ़, जिला जालौन के कुछ किसानों का कुल गल्ला खलिहान में आग लग जाने से नष्ट हो गया।

पीड़ित किसानों की सहायता के लिये जो कार्यवाही की गई वह स प्रकार है:—

(१) ४,००० रुपये की तकावी वितरित की गई।

(२) खरीफ १३६० फसली में स्थागित १९८ रुपये ३ आने मालगुजारी, जो रबी में वसूल की जाने वाली थी, वह माफ कर दी गई। तथा रबी १३६० फसली की ३१२ रु० ६ आना मालगुजारी माफ की गई।

बारा, जिला रायबरेली के किसानों पर जमींदारों का आतंक

*८४—**श्री दल बहादुर सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास शिकायत आई है कि तहसील सलोन, जिला रायबरेली के ग्राम बारा के किसानों की जमीन पर उक्त गाँव के भूतपूर्व जमींदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

*८५—**श्री दल बहादुर सिंह**—क्या यह सही है कि १७ मई, १९५३ ई० को सलोन, जिला रायबरेली में उद्योग मंत्री के पधारने पर बारा गाँव के किसानों नें उन्हें उपर्युक्त विषय के प्रार्थना-पत्र दिये ? क्या मंत्री महोदय ने उक्त प्रार्थना-पत्र जिलाधीश रायबरेली को दे कर जाँच करने का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—ग्राम बारा, जिला रायबरेली के किसानों ने अपना प्रार्थना-पत्र स्थानीय मंडल काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय की मारफत उद्योग मंत्री महोदय को दिया तथा मौखिक शिकायतें भी कीं। मंत्री जी के आदेशानुसार प्रार्थना-पत्र की गई शिकायतों पर जाँच करने के उपरान्त जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई।

*८६—**श्री दल बहादुर सिंह**—क्या यह सही है कि उक्त गाँव में भूतपूर्व जमींदारों के आतंक से कुछ लोग गाँव छोड़कर भाग गये हैं ?

श्री चरण सिंह—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

किछा, नैनीताल तराई और काशीपुर में ५०० एकड़ से अधिक भूमि पाने वालों की सूची

*८७—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार द्वारा किछा, नैनीताल तराई और काशीपुर में गत वर्षों में कौन-कौन व्यक्तियों को पाँच सौ एकड़ से अधिक जमीन दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—एक सूची मेज कर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२२ पर)

गलत राजनैतिक पीड़ित प्रमाण-पत्र द्वारा तराई नैनीताल में जमीन तथा कर्ज लेना

*८८—**श्री गौरी राम गुप्त**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला देवरिया के कितने आदमियों ने, जो राजनैतिक-पीड़ित नहीं है, राजनैतिक-पीड़ित का प्रमाण-पत्र लेकर तराई नैनीताल में सरकार से कर्जा तथा जमीन ली है ?

श्री चरण सिंह—इस तरह के आरोप कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में लगाये गये हैं जिनकी जाँच की जा रही है।

*८९—श्री गौरी राम गुप्त—क्या सरकार इस बात की जाँच कराकर ऐसा करने वालों से जमीन वापस लेने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह—जाँच के पश्चात् उचित कार्यवाही की जायगी।

भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा बाजारों, पोखरों, आदि का प्रबन्ध

*९०—श्री प्रभु दयाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि प्रबन्धक समितियों को गाँव के अन्तर्गत बाजारों, पोखरों, तालों और २५०) से कम ठीके के घाटों का प्रबन्ध और नीलाम आदि का अधिकार कब सुपुर्द किया जायगा?

श्री चरण सिंह—इलाहाबाद, बनारस तथा फैजाबाद डिवीजन को छोड़कर अन्य सभी डिवीजनों में बाजारों का प्रबन्ध गाँव समाजों को सुपुर्द किया जा चुका है। जिन बाजारों की आमदनी २,००० रु० सालाना से ज्यादा थी उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया है। इन तीन डिवीजनों के छोटे बाजारों का भी प्रबन्ध शीघ्र ही इसी तरह सुपुर्द कर दिया जायगा। छोटे पोखरों और तालों का प्रबन्ध भी गाँव समाजों को दिया जा चुका है।

२,०००रु० से कम वार्षिक आय वाले घाटों का प्रबन्ध गाँव समाजों को देने का सरकार निर्णय कर चुकी है और इस विषय में शीघ्र ही सरकारी विज्ञप्ति जारी की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले के रामपुर बाजार में नया बीज गोदाम

१—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील के रामपुर बाजार में नया बीजगोदाम खुल रहा है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

जौनपुर जिले में पटवारियों की नियुक्ति के संबंध में आदेश

२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सरकार की तरफ से कोई आदेश भेजा गया है कि पटवारी के स्थान पर पहले उन व्यक्तियों को चुना जाय जो नये पटवारगीरी पास हों या पढ़ते हों?

श्री चरण सिंह—जी हाँ, केवल जौनपुर जिले में ही नहीं किन्तु राज्य के अल्मोड़ा, गढ़वाल व टेहरी-गढ़वाल के जिलों को छोड़कर अन्य समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया गया था कि उन व्यक्तियों को विशेषता दी जाये जो पटवारी स्कूल परीक्षा पास हों या उस साल पटवारी स्कूल में पढ़ रहे हों।

प्रश्नों की कार्यसूची में अधिक प्रश्न रखने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि बहुत से प्रश्न एक दिन के लिये रखे जाते हैं जिसके कारण बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न कम रखे जाया करें ताकि जवाब भी समय पर मिल सकें और दुबारा उन प्रश्नों को देना न पड़े।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य नियमों को अध्ययन करके मेरे पास कमरे में आ जायं, विचार कर लिया जायगा। बात यह है कि मिनिस्टरों के हिसाब से प्रश्न बाँट दिये जाते हैं, इसलिये किसी दिन अधिक प्रश्न हो जाते हैं और किसी दिन कम रह जाते हैं। इन सुविधाओं के देखने के कारण यह गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप उसका कोई और रास्ता बतायेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

छात्र-आंदोलन सम्बन्धी गृहमंत्री के भाषण के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने गत १८ दिसम्बर को सदन में एक बयान दिया था उस बयान में कई बातें भ्रामक तथा असत्य हैं। मैंने उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की लेकिन गृहमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अतः आप कृपया उनको सूचित कर दें कि मैं उसके बारे में सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह मुझे आपने अभी दिया है, उसको पूरा पढ़ने के बाद ही मैं उस पर कोई फैसला दे सकूंगा।

मुख्य मंत्री द्वारा उद्धृत उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने वाइस चाँसलर के लेटर का एक पोर्शन पढ़ा था, मैंने उनसे निवेदन किया था कि उसकी एक कापी मुझको दे दी जाय। उन्होंने कहा था कि केवल आपको देखने के लिये कापी दी जा सकती है। मैंने उनसे निवेदन यह किया कि वह मेरे पास भिजवा दी जाय। लेकिन वह अभी तक मुझे नहीं मिली है, अतः माननीय मुख्य मंत्री जी को आदेश दे दिये जायं कि वाइस चाँसलर के जिस पत्र का अंश उन्होंने पढ़ा था वह पूरा पत्र सदन के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—वे दोनों साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनकी मौजूदगी में ही इस प्रश्न को उठाइये।

विभिन्न समितियों के लिए नाम-निर्देशन-पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि स्थायी समितियों में जो स्थान रिक्त हुये हैं उनके लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये जो तिथि रखी गयी थी, उस दिन तक इस प्रकार से नाम प्राप्त हुये हैं।

१—प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड की स्थायी समिति में एक स्थान रिक्त हुआ था, उसके लिये केवल एक ही नाम श्री दीन दयालु शर्मा, बुलन्दशहर का प्राप्त हुआ है।

२—उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति में दो स्थान रिक्त थे जिसके लिये दो ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये हैं—

१—श्री पुलिन बिहारी बनर्जी,
२—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले।

३—सार्वजनिक निर्माण (सिंचाई) स्थायी समिति में दो स्थान रिक्त हुये थे उनके लिये दो ही नाम प्राप्त हुये—

१—श्री विश्राम राय, आजमगढ़,
२—श्री उदयभानु सिंह, रायबरेली।

[श्री अध्यक्ष]

४---शिक्षा की स्थायी समिति में एक स्थान रिक्त हुआ था उसके लिये एक नाम ही प्राप्त हुआ है---

१---श्री हरदेव सिंह, एटा।

५---कृषि पशुपालन स्थायी समिति में दो स्थान रिक्त थे जिनके लिये दो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं।

१---श्री महावीर सिंह, देवरिया,

२---श्री कन्हैयालाल, सीतापुर।

६---आबकारी स्थायी समिति में एक स्थान के लिये एक नाम श्री रामेश्वर प्रसाद देवरिया का प्राप्त हुआ है।

इनकी सूक्ष्म परीक्षा की गयी और निर्दिष्ट नाम निर्देशन पत्र विधिवत् पाये गये।

जिन लोगों के नाम निर्दिष्ट हुए हैं उनकी संख्या जितने स्थान रिक्त थे, उनके बराबर है। फिर भी वापस लेने की अंतिम तारीख २२ दिसम्बर रखी गयी है अगर उस समय तक किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो उनके नाम निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे।

१९५१-५२ के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन‡

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)---मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के लिये उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग (उ० प्र० पब्लिक सर्विस कमीशन) के वार्षिक प्रतिवेदन‡ को तत्संबंधी ज्ञापन (मेमोरेंडम) सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से इसका संबंध है इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिये एक दिन इस सदन को विवाद के लिये दे। पहले भी वादा सरकार कर चुकी है। मैं समझता हूं कि उस वादे के अनुसार आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह---इस प्रश्न पर सरकार की क्या राय है इसको मैं लंच के बाद ही अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री नहीं हैं, इसलिये शायद आप ऐसा कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह---जी हाँ।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के अनुपूरक अनुदान

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---मैं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के अनुपूरक अनुदान उपस्थित करता हूं।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

*खंड ११ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा। उस दिन श्री राज नारायण जी बोल रहे थे। आज वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

---

‡ छापा नहीं गया।

* १७ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, उस दिन में निवेदन कर रहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो चांसलर का अधिकार देने जा रहे हैं सीट वेकेंट डिक्लेअर (स्थान रिक्त घोषित) करने का वह अधिकार सिनेट को दिया जावे और उसी आशय का जो संशोधन हमारे साथी ने रखा है उसके समर्थन में मैं बोल रहा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस संबंध में जो तर्क उपस्थित किया, मैं अब भी उनके तर्क के साथ चल सकने को अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जितनी दूर तक संभव हो सके उतनी दूर तक एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत दे देने के बजाय उस ताकत को हम बांटें। क्योंकि श्रीमन् हम बार-बार जनतंत्र की बात करते हैं तो मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जनतंत्र कोई एक राजनैतिक दर्शन ही नहीं है बल्कि एक सर्वांगीण विषय है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंध रखती है, जो मनुष्य जीवन के रहन-सहन से संबंध रखती है, इसलिये हमें जनतंत्र के लिये अपना कानून ऐसा बनाना चाहिये, अपना नियम ऐसा बनाना चाहिये जो विकेन्द्रित प्रणाली की ओर अग्रसर हो कर सच्चे जनतंत्र की ओर ले जाय। इसी बात को दृष्टिकोण में रखते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि चांसलर की जगह पर सिनेट शब्द रखा जाय।

एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कही कि यह सिनेट जो होगा उसकी बैठक साल में एक बार ही होती है। मैंने कहा था कि तीन लगातार मीटिंग में कोई सदस्य नहीं आवे तो उसकी सीट वैकेंट (खाली) घोषित कर दी जायगी। तो तीन साल तक तो इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चौथे साल उसकी नियुक्ति की बात आती है। हमने यह देखने की कोशिश की इस संशोधन विधेयक में कि अगर बीच में स्थान खाली होता है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, इसकी कोई व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर नहीं है। श्रीमन्, उसमें एक बात और है, अगर डाइरेक्ट एलेक्शन भी हो जाता है तब भी बीच में अगर कमेटी में कोई जगह खाली होती है तो उसकी पूर्ति कोआप्शन से हो जाती है। जो जगह खाली होती है उसकी जगह पर दूसरा कोआप्ट हो जाता है। तो आखिर इस आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? जिनकी सीट खाली घोषित हो जाती है उनकी जगह पर उनको अधिकार होता है कि वे दूसरे को कोआप्ट कर लें। यह तो एक प्रचलित परिपाटी है, सामाजिक संस्थाओं की परिपाटी है, राजनीतिक संस्थाओं की परिपाटी है। मैं श्रीमन् समझता हूं कि एक प्रचलित परिपाटी को छोड़ कर जो जनतंत्रीय प्रणाली का हनन किया जा रहा है उसे माननीय शिक्षा मंत्री जी को नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को मान लें, कि चांसलर की जगह सिनेट को अधिकार हो कोआप्शन करने का कि अगर बीच में कोई सीट सिनेट खाली डिक्लेअर करे तो उसकी पूर्ति स्वयं सिनेट ही करे। उस व्यवस्था को सामने रखते हुए मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को मान लें।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, सिनेट एक सम्मानित सभा है। जब उसमें तीन बार बराबर कोई सदस्य अनुपस्थित रहे तो सीट खाली होगी तो उसको काज दिखाना पड़ेगा, जो अनुपस्थित रहा है। धारा में यह लिखा हुआ है "विदाउट सफीशियेंट काज" तो उसको सफीशियेंट काज देना पड़ेगा, जो बराबर तीन मीटिंगों में हाजिर नहीं हो सका। मंत्री जी चाहते हैं कि चांसलर उसको घोषित करें। तो वह एक तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जायगा और यह एक सम्मानित सभा के सदस्य के लिये और उस सभा के लिये भी आघात सा है। वह सभा ही उससे पूछ ले कि वह तीन सभाओं में बराबर उपस्थित क्यों नहीं रहे। इससे सभा का सम्मान बढ़ता है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस संस्था के सम्मान के लिये उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वैसे तो पांच वर्ष के बाद चुनाव होगा और अगर कोई तीन वर्ष तक तीन मीटिंग में बराबर नहीं आता है तो केवल एक वर्ष ही अन्त में बचता है तो उसके लिये यह चाहना कि चांसलर महोदय द्वारा वह फिर से नियुक्त कर दिया जाय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर एक वर्ष वह सीट खाली रहेगी तो

[श्री गंगाधर मेठाणी]

कोई आपत्ति तो वहां आ नहीं जायगी। लेकिन अगर वह चाहते ही हैं तो जैसा जनतंत्र में होता है कि जिस सभा का कोई सम्मानित सदस्य उस सभा में उपस्थित नहीं रहता है तो वही सभा उसकी सीट को वकेंट डिक्लेयर करे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—पहले ही रोज मैं उसका उत्तर दे चुका था। अगर कोई जानबूझ कर ही न समझना चाहे तो मेरे पास युक्ति नहीं है कि उसको समझा दूं। जहां तक यह कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये बिल में कोई धारा नहीं है तो मैं बता दूं कि ऐक्ट की धारा ३६ में उसका प्राविजन है। उसमें यह दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी। जहां तक सिनेट का संबंध है मैं कह चुका हूं कि वह वर्ष में एक दफा मिलती है मान लीजिये कि कोई दूसरी, तीसरी और चौथी मीटिंगों में नहीं आता है, पहले में रहा तो पांचवें में सिनेट खत्म हो जायगा और ६वीं में यह तय होगा कि उसने जो न आने का कारण दिया है वह उपयुक्त है या नहीं। उस वक्त तक तो वह सिनेट खत्म हो जायगा। इतनी मोटी सी बात न समझ में आवे तो मैं उसको समझाने में असमर्थ हूं। लिहाजा मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (४) में शब्द "Chance lor" के स्थान पर शब्द "senate" रख दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १२

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १६ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Powers and duties of the Senate,

16. (1) The Senate shall be the supreme Governing Body of the University, and shall have power to review the acts of the Executive Council (save when the Council has acted in accordance with the power conferred on it under this Act, the Statutes, Ordinances or the Regulations), and shall exercise all the powers of the University not provided for by this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing provision the Senate may—

(*a*) make Statutes, amend and repeal them;

(*b*) consider and cancel Ordinances;

(*c*) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the financial estimates;

(*d*) consider and pass resolutions on any matter of general policy connected with the University;

(*e*) make Regulations.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १७ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

The Executive Council.

17. (1) The Executive Council shall be the Chief executive body of the University. The constitution of the Executive Council shall be as follows:

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Director of Education, Uttar Pradesh;

(iii) The Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine and Agriculture and two other Deans;
(iv) Three Principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes;
(v) Four persons nominated by the Chancellor of whom one shall be an expert in Engineering;
(vi) Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to (v) above who are not engaged in teaching in the U niversity or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;
(vii) One person, not belonging to any of the above categories, to be elected by the Academic Council.

(2) The Statutes shall prescribe the manner of selection and appointment and the qualification of the members belonging to clauses (iii), (iv) and (vii) of sub-section (1).

(3) The Statutes relating to the nomination, election and appointment of members of the Executive Council shall contain suitable provisions so as to secure that not more than one person connected with any one affiliated college as Principal or member of the Managing Body or in any other capacity shall be member of the Executive Council.

(4) Subject to the provisions of Section 36 the term of office of members other than *ex-officio* member shall be five years."

श्री गंगाधर मैठाणी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (ii) निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक्जिक्यूटिव कौंसिल का प्रश्न है। जब सीनेट का प्रश्न आया था तो उस समय भी हमने कहा था कि वहां पर डाइरेक्टर आफ एजुकेशन का रखना जरूरी नहीं है। उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है और अगर उसको वहां उस ड्यूटी से रिलीव कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। डाइरेक्टर आफ एजुकेशन के रखने का अर्थ जहां तक हम समझ पाये हैं यह मालूम पड़ता है कि शिक्षा मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि राज्य की तरफ से यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के मामलों में अपनी राय दे दिया करें। शिक्षा संचालक को रखने से वहां पर काफी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा सकेंगे। डाइरेक्टर महोदय जसा कि पहले कहा जा चुका है काफी व्यस्त रहते हैं और उनके पास काफी काम रहता है। यूनिवर्सिटी का काम जितना होता है उसकी सारी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ऊपर रहता है। अगर वहां पर राज्य की तरफ से यूनिवर्सिटी के काम में दखल दिया जायगा तो उसका जो अधिकार है और स्वतंत्रता है वह समाप्त हो जायगी। इसलिये जो यह संशोधन रखा गया है कि शिक्षा संचालक को वहां पर न रखा जाय इसको माननीय मंत्री स्वीकार करें और यूनिवर्सिटी के मामलों में किसी प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने का प्रयत्न न करें।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को किसी शिक्षा की संस्था में रखा जायगा तो उस संस्था की अटोनामी एकदम नष्ट हो जायगी। इस प्रकार अटोनामी का हौवा बना लिया है कि अगर सरकार अपना कोई आदमी उसमें रखेगी तो वहां की अटोनामी भी डूब जायगी। अगर अटोनामी इस तरह की कोई चीज होगी तो मेरा ख्याल है कि वह अटोनामी नाम की कोई चीज ही वहां न रह जायगी। शिक्षा के मामले में डाइरेक्टर आफ एजुकेशन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिये उस एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उसका रहना न केवल आवश्यक है बल्कि उसका रहना नितान्त आवश्यक है। सरकार का एक प्रतिनिधि वहां पर रहे। सरकार अपनी एक पालिसी निर्धारित करती है, वहां के लिये बजट बनाती है और उस शिक्षा को उस पालिसी के अनुरूप ही सरकार चलाना चाहती है तो इसमें इस बात के संदेह की गुञ्जाइश नहीं है कि वह वहां पर रहे। यदि शिक्षा संचालक वहां पर रहेगा तो वह सरकार की पालिसी का जानकार होगा,

[श्री पद्मनाथ सिंह]

बहुत सी बातों में वह सलाह देगा। इसी वजह से एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उसका रहना जरूरी समझा गया है कि उसको वहां पर रखा गया है। इन कारणों के आधार पर मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि शिक्षा संचालक वहां पर जरूर रहें।

श्री हरगोविन्द सिंह—एक्जिक्यूटिव कौंसिल में डाइरेक्टर आफ एजुकेशन का रहना जरूरी समझा गया है और इसी वजह से उनको वहां पर रखा गया है। जो युक्ति श्री पद्मनाथ सिंह जी ने दी है वह ठीक है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि डाइरेक्टर आफ एजुकेशन का रहना उस में जरूरी है। और इसलिये उनको रहने दिया जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी—अभी जो तर्क दिया गया है कि राज्य की नीति को एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखने के लिये शिक्षा संचालक का रहना बहुत जरूरी है लेकिन लिस्ट में प्रिंसिपल सरोजनी नाइडू मेडिकल कालेज, आगरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज कानपुर, ४ प्रतिनिधि फैकल्टी के डीन्स में से होंगे, जो स्टेचूट्स के मुताबिक लिये जायेंगे, ३ एफिलियेटेड कालेज के प्रिंसिपल होंगे, ४ आदमी चांसलर द्वारा नामिनेटेड होंगे जिनमें एक इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होगा और ५ आदमी एफिलियेटेड कालेज को छोड़कर अन्य होंगे और १ आदमी एकेडेमिक कौंसिल का नामिनेटेड होगा। जब इतने लोग होंगे जो कि एजूकेशन पालिसी से सम्बद्ध होंगे और विज्ञान के जानकार भी होंगे। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने तर्क दिया कि बिना राम के रामायण नहीं हो सकती, लेकिन अगर राम राम रहें तो अच्छा है परन्तु अगर वह रावण का रूप धारण कर लें तो माध्यमिक शिक्षा ही खराब न होगी बल्कि यूनिवर्सिटी शिक्षा भी वही रावण राज्य न ले आये। इसलिये मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और इसे स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं ऐसी युक्ति का क्या जवाब दूं। अगर बात बिलकुल ही युक्तिहीन हो तो उस का उत्तर देना ही व्यर्थ है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (*ii*) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १३ में नयी धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (*v*) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"Four persons of whom (*a*) two will be nominated by the Chancellor out of which one will be an expert of Engineering, (*b*) one person nominated by the High Court of the State not necessarily from their own number, and (*c*) one will be nominated by U. P. Public Service Commission, not necessarily from among themselves."

अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा १७ धारा के सातवें भाग में बताया गया है कि जो ४ आदमी चांसलर द्वारा नामिनेट होंगे उन में से एक आदमी इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट भी होगा। इस संशोधन में भी यही चाहा गया है कि इन ४ आदमियों में से २ चांसलर द्वारा नामिनेट किये जायं जिन में से एक इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हो और इसी तरह से हम यह चाहते हैं कि जो अन्य तीन व्यक्ति हों उनकी भी क्वालिफिकेशन्स निर्धारित कर दी जायं और उन क्वालिफिकेशंस में से एक इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन उसके साथ हम यह चाहते हैं कि एक व्यक्ति हाईकोर्ट से हो, मेरा मतलब जजों से ही नहीं है, जज हों या उनसे बाहर के हों जो कि लीगल ओपीनियन के हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के लोगों का कानूनी लोगों से संबंध है इसलिये एक कानून का जानकार भी हो तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को ज्यादा सुविधा रहेगी। हम

देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जैसे कि पिछली दफ़ा पुलिस के मामले में हो गयी, तो कानून की जानकारी रखने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिये। उसके साथ साथ एक व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन का भी रख लिया जाय क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बाडी है। सरकार के द्वारा भेजे गये या बाहर के लोगों के द्वारा भेजे गये आदमियों की अपेक्षा वह ज्यादा इंडिपेंडेंट राय दे सकेगा और उसमें अधिक माद्दा होगा उपयुक्त राय देने का। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई विशेष आपत्ति भी न होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं। हाईकोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन का यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध में मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने शायद ऐसा कहा है, मुझे याद पड़ता है कि चूंकि इलाहाबाद वहां की स्थानीय यूनिवर्सिटी है इसलिये वहां के लिये तो शायद उसकी उपयोगिता कुछ हो सकती है, उसके पक्ष में शायद कुछ कहा जा सकता है लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद से ३०० मील की दूरी पर है वहां हाई कोर्ट का या पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मनोनीत कोई एक्जीक्यूटिव का सदस्य हो यह मेरी समझ में ठीक नहीं है। इसमें जो चांसलर के लिये चार नामजदगियां रखी गयी हैं उनमें एक के लिये तो यह प्रतिबन्ध है कि वह इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हो लेकिन और जो प्रतिबन्ध आप लगा रहे हैं उसमें उन व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं कि वह किस प्रकार के या किस चीज के विशेषज्ञ होंगे। आप सिर्फ यह बतला रहे हैं कि उन्हें मनोनीति करने वाले एक तो हाई कोर्ट के जज लोग हों और एक पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हों। मैं यह नहीं समझता कि हाई कोर्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग चांसलर से अधिक इस बात में दिलचस्पी रखते होंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी में कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व हो। यह कहना कि यह काम चांसलर से अधिक उपयोगिता के साथ हाईकोर्ट के जस्टिसेज या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरान कर सकते हैं, मैं इसको नहीं मानता और इसीलिये इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी—इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट है इसलिये मूथम ने यह रिकमेंडेशन की कि हाईकोर्ट से भी कोई सदस्य एक्जीक्यूटिव कौंसिल में लिया जाय, लेकिन हाईकोर्ट से संबंधित लोग आगरा में भी होंगे और आगरा यूनिवर्सिटी के कालेज उत्तर प्रदेश के प्रायः प्रत्येक जिले में हैं जहां कि रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिये हाईकोर्ट से संबंधित लोगों का अगर उसमें समावेश किया जाय तो मूथम कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाना नहीं होगा। मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध में हाईकोर्ट का रिप्रेजेंटेशन इसीलिये दिया है कि वहां से जो व्यक्ति जायंगे वे ज्यादा स्वतंत्र मनोवृत्ति के होंगे और यूनिवर्सिटी की ज्यादा सेवा कर पायेंगे। चाहे बरेली में कालेज हो, मेरठ में कालेज हों, वहां भी हाईकोर्ट से संबंधित लोग चाहें वह जजेज हों, चाहे वह और कोई हों वह वहां पर भी मिल सकते हैं। इसलिये इसके मान लेने से यूनिवर्सिटी के काम में अधिक आसानी होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे मान लेने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में नयी धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (*v*) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"Four persons of whom (*a*) two will be nominated by the Chancellor out of which one will be an expert of Engineering, (*b*) one person nominated by the High Court of the State not necessarily from their own number, and (*c*) one will be nominated by U. P. Public Service Commission, not necessarily from among themselves."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)— अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) के उपभाग (vi) की पंक्ति २ में शब्द "who" के स्थान पर शब्द "at least two of whom" रख दिये जायें तथा शब्द "not" निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, खंड १३ में प्रस्तावित धारा १७ के जिस उपभाग का जिक्र मैंने किया वह इस प्रकार है—

"Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to (v) above who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;"

अगर मेरा संशोधन उसमें जोड़ दिया जाय तो वह इस प्रकार हो जायगा—

"Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to (v) above at least two of whom are engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;"

मेरे संशोधन का मंशा यह है कि यह जो ५ मेम्बर्स सिनेट एलेक्ट करेगी उसमें दो कम से कम ऐसे होने चाहिये, जो कि यूनिवर्सिटी के या अफ़िलिएटेड कालेजेज के अध्यापक हों।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि पाँचों भी हो सकते हैं और दो तो जरूर ही हों?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हाँ, जब मैं इस एग्जिक्यूटिव कौंसिल के निर्माण की तरफ ध्यान करता हूं तो उसमें पहला स्थान तो वाइस चाँसलर का स्थान है। दूसरा है डायरेक्टर आफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, तीसरा Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine and Agriculture and two other deans. (iv) Three principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes; (v) Four persons nominated by the Chancellor of whom one shall be an expert in Engineering.

कौंसिल में यूनिवर्सिटी या कालिज के अध्यापकों का जो अध्यापन कार्य करते हैं एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। मुझे विधेयक के इस क्लाज को देख कर के काफी ताज्जुब सा हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिये एक व्यवस्था की है कि वहाँ जो १५ आदमियों की एग्जिक्यूटिव कौंसिल होती है एक दो मेम्बर अध्यापक भी रहने चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, वह गलत इन्फार्मेशन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब में बतला दीजियेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होना चाहिये जो कि अध्यापकों का प्रतिनिधि हो। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि २१ आदमियों में यों ही थोड़े से आदमी हैं जो वाकई उस यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखते हैं। चाँसलर वगैरा के नामजद लोगों की सख्या ज्यादा है, लेकिन अध्यापकों का प्रतिनिधित्व न होना बहुत खटकने वाली बात है। यह उचित प्रस्ताव है, और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिये यह व्यवस्था आपने दे भी दी है, इसलिये वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, माननीय सदस्य की इत्तला के लिये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मैनेजिंग कमेटीज में टीचर्स की व्यवस्था जरूरी हो। जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि कार्यकारिणी में टीचरों का अनुपात आधे से अधिक न हो और आधे तक उनको अनुपात दिया जाय। तो २१ में १० तो इसमें हैं ही। श्री त्रिपाठी जी समझते हैं कि इसमें एक भी नहीं है। उनको मैं इसी में से १० गिनाये देता हूँ। ६ तो डीन रहेंगे, यह जितने भी डीन्स होते हैं वह सब यूनिवर्सिटी के अध्यापक होते हैं, तीन प्रिंसिपल होंगे, ६ और ३, ९ और एक एकेडेमिक कौंसिल द्वारा चुना जायगा। इस तरह से २१ में १० तो टीचर्स रखे गये हैं और १० दूसरे होंगे जो कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स न हों, वे बाहर के भी हो सकते हैं। इस तरह से आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स का जहाँ तक संबंध है उनका प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव कौंसिल में दस का रखा गया है। इससे अधिक देना ठीक नहीं होगा और राधाकृष्णन कमीशन ने भी यही किया है कि एग्जीक्यूटिव में यूनिवर्सिटी टीचर्स का अनुपात आधे के करीब होना चाहिये और वह आधा इसमें सुरक्षित है। इसलिये और किसी टीचर को इसमें स्थान देना हमें स्वीकार नहीं है। इसीलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन में यह स्पष्ट है कि टीचर्स (लेक्चरर्स) का रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) होना चाहिये। यह प्रिंसिपल आदि जो होते हैं वह पदाधिकारी होते हैं, वह केवल टीचर ही नहीं होते हैं। टीचर और पदाधिकारी, इन दोनों की अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। मैनेजमेंट जो होता है वह श्रीमन्, कभी-कभी ऐसा करता है जिससे कि टीचरों का अहित हो जाता है। संशोधन कुछ है और माननीय मंत्री जी ने जवाब कुछ दिया है। संशोधन में केवल इतना ही निवेदन किया गया है कि टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये और वह भी केवल दो के लिये। जिस समय श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने यह संशोधन रखा था उस समय उनके दिमाग में यह बात थी कि जो यह प्रिन्सिपल्स और डीन्स आयेंगे वे कुछ न कुछ पढ़ाई-लिखाई का काम करते हैं लेकिन वे पदाधिकारी हैं और वहाँ के प्रबन्ध में उनका काफी हाथ भी रहता है। मैं तो यहाँ तक समझता हूं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी डिटेल में जायं तो वे कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था नहीं पायेंगे जहाँ पर कि पदाधिकारियों और वहाँ के अध्यापकों में संघर्ष की परिस्थिति न पैदा हो गई हो। इसलिये श्रीमन्, अध्यापकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये यह संशोधन कह रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व हो। यह माँग बहुत छोटी और कायदे की है। इसलिये श्रीमन् मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी सरकार की ऐसी पालिसी को ले चलना चाहते हों कि चाहे जो संशोधन उपस्थित किया जाय वह माना ही न जाय तब तो बात दूसरी है अन्यथा मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन के बिना टीचर्स छूटे जा रहे हैं इसलिये वे इस संशोधन को कबूल करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उस पर जो चर्चा हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने की उससे मैं भी सहमत हूं। वह इसलिये कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि टीचर्स के नाम से दस प्रिंसिपल वगैरह मिला कर हो जाते हैं, यह ठीक है कि कालेजों में प्रिंसिपल भी पढ़ाते हैं यानी वे भी टीचिंग का काम करते हैं। डीन जो होते हैं वह भी पढ़ाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि वहाँ की मैनेजिंग कमेटी से संबंधित होते हैं और वहाँ की मैनेजिंग कमेटी जो पालिसी निश्चित करती है उसी को वे कार्य रूप में परिणत कर की कोशिश करते हैं। वे हमेशा इस बात को नहीं देखते हैं कि टीचर का

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

क्या इंटेरेस्ट वहाँ होगा, वे अपनी कमेटी का इंटेरेस्ट ही वहाँ पर देखते हैं। इसलिये यह तो यह हो जाता कि जहाँ पर प्रिंसिपल्स लिखा हुआ था, प्रिंसिपल्स के बजाय यह लिखा जाता कि कोई भी टीचर्स उन कालेजों के जिसमें प्रिंसिपल भी शरीक हैं तब तो उनका मतलब ठीक हो जाता लेकिन उनमें से जब छांट होती तो कोई न कोई टीचर जिसका बहुमत होता वह वहाँ ले लिया जाता, जैसा कि ४ में है—

"Three principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes.''

अगर इसमें प्रिंसिपल्स के बजाय अफिलिएटेड कालेजेज के ट्रेंड टीचर्स का हो जाता, तो टीचरों को इस बात की तसल्ली हो जाती कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन एक्जिक्यूटिव कौंसिल में है। आज जिस तरह से बिल हमारे सामने रखा गया है उसमें निम्न श्रेणी के टीचर्स का प्रतिनिधित्व इस रूप में बिलकुल नहीं होता है। अगर हम इन टीचर्स को एक्जिक्युटिव कौंसिल में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उसमें इनकी कुछ वाइस हो, तो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है, माननीय मंत्री जी को उसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होगा और मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)— माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है और जो उसका समर्थन किया गया है, उसको देख कर मुझे आश्चर्य होता है। प्रिंसिपल तमाम टीचर्स का मुख्य है और उसी पर विश्वास न करना बुद्धिमानी नहीं है। टीचर्स में से ही प्रिंसिपल होता है। डीन्स जो फैकल्टीज के प्रधान होते हैं वे भी अध्यापकों के हेड हैं। ऐसा हम नहीं समझते और न होना चाहिये कि कालेजों में, प्रिंसिपलों में और साधारण अध्यापकों में आपस में खींचातानी हो। उनमें आपस में मेल होना चाहिये और मेल होता है। जहाँ पर प्रिंसिपल में और अध्यापकों में झगड़ा हो तो वहाँ पर झगड़ा होना ही अनुचित है और इस स्पिरिट का होना कि टीचर अलग, प्रिंसिपल अलग, ही गलत है। हमें ऐसा करना चाहिये कि तमाम अध्यापक और प्रिंसिपल मेल से रहें और प्रिंसिपल और डीन तमाम अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करें। इस तरह का भेदभाव पैदा करना किसी तरह उचित नहीं है। इसलिये हमें इस संशोधन को मानना नहीं चाहिये और मैं इसीलिये इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में विशेष तो नहीं कहना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवश्य यह गलतफहमी हुई थी कि मैंने डीन्स आफ फैकल्टीज और प्रिंसिपल्स का प्वाइंट को नहीं देखा। मैंने सिर्फ इसीलिये टीचर्स के प्रतिनिधित्व के लिये कहा था। उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे कालेज हैं जो गोरखपुर से आगरा तक और उत्तरी खंड से दक्षिणी खंड तक फैले हुए हैं और जिनका सम्बन्ध आगरा युनिवर्सिटी से है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल में आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन और एग्रीकल्चर की फैकल्टीज के डीन्स को रखा गया है और इनको इतना महत्व दिया गया है कि आखिर में यह लिखा है "ऐंड टू अदर डीन्स।" अगर्चे यह बल सिलेक्ट कमेटी में गया और माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष डेढ़ या दो महीने रहा, फिर भी सरकार अभी तक यह नहीं बता सकी कि टू अदर डीन्स कौन होंगे। इसमें तीन-तीन प्रिंसिपल्स और पाँच-पाँच डीन्स रखे गये हैं, लेकिन अध्यापकवर्ग जो सही माने में काम करता है उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। मैंने दो के लिये रखा है। कम से कम दो अगर ले लिये जाते हैं तो कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं पैदा होता है २१ आदमियों की कमेटी में अगर दो आदमियों का प्रतिनिधित्व पहुंच जाय, तो वे पार्टीबाजी क्या करेंगे, वे सिर्फ अपनी आवाज ही पेश करेंगे। गवर्नमेंट का हाथ

मजबूत हो, इसलिये मैंने यह नहीं रखा कि उनका टीचर्स खुद सेलेक्शन करें, बल्कि उनका सेनेट चुनाव करे। इतनी चेक्स ऐंड बैलेंसेज मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के लिये लगायीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी माननीय शिक्षा मंत्री टीचर्स के दो प्रतिनिधियों को भी स्थान देना नहीं चाहते, यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ।

माननीय रतनलाल जैन ने कहा कि यह अविश्वास करने की बात है। यह अविश्वास की बात नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात है कि उनकी बात वहाँ कौन कहेगा। टीचर्स और प्रिंसिपल्स का सम्बन्ध जैसा आजकल की आर्थिक और राजनैतिक दशा में हो रहा है और जैसा कि सरकार का इस कानून में विशेषाधिकार है, उसको देखते हुए प्रिंसिपल सरकार के रुख पर चल सकते हैं क्योंकि वे कालेज के ऊंचे पदाधिकारी हैं और वे सरकार को नाराज नहीं कर सकते। ऐसी दशा में टीचर्स का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर सकता है तो टीचर्स के दो प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। इस पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, यों तो श्री रामनारायण जी त्रिपाठी और श्रीराजनारायण जी को पूरा अधिकार है कि वह जो भी परिभाषा टीचर की देना चाहें दे सकें और दें भी लेकिन इस बिल में टीचर की परिभाषा दी जा चुकी है और उसमें प्रिंसिपल और टीचर का कोई अन्तर नहीं समझा गया। मैं कम से कम प्रिंसिपल और टीचर में कोई अन्तर नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि शायद वह यह समझते हैं कि जैसे यह विधान भवन राजनैतिक मतभेद का अखाड़ा बन सकता है वैसे ही यूनिवर्सिटीज की एग्जिक्यूटिव भी बननी चाहिये, जिसमें प्रिंसिपल टीचर से लड़े, डीन से लड़े और डीन वाइस चांसलर से लड़े। मैं तो कम से कम इसे ऐसा अखाड़ा नहीं बनाना चाहता हूं। इसलिये एज टीचर, एज क्लर्क और एज लाइब्रेरियन किसी विश्वविद्यालय के काम करने में किसी को स्थान नहीं देना चाहिये। इसलिये मुझे अफ़सोस है कि मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) के उपभाग (vi) की पंक्ति २ में शब्द "who" के स्थान पर शब्द "at least two of whom" रख दिये जायं तथा शब्द "not" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१६

विपक्ष में—११२)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं—

"खंड १३ में नई धारा १७ की उपधारा (1) के भाग (vi) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'in teaching' के पश्चात् के शब्द 'in the University or an affiliated College' निकाल दिये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन बिलकुल डी० डी० टी० लोशन के समान है। जिस तरह से वह लोशन कीटाणुओं को नष्ट करता है उसी प्रकार से मेरा यह संशोधन टीचर्स रूपी कीटाणुओं को नष्ट करेगा और दूसरी ओर शिक्षक वर्ग आम जनता या यूनीवर्सिटी की जो उन्नति होने वाली है उसमें यह बहुत सहायक होगा।

[श्री नेकराम शर्मा]

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रस्तुत ऐक्ट में एक्जीक्यूटव कौंसिल की स्ट्रेंथ २१ है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि १० टीचर्स हैं तो यदि हम इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो कौंसिल में फिर टीचर्स का बहुमत हो जायगा और जिस मकसद के लिये यह बिल लाया गया है उसमें हम सफलीभूत नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य से इस ऐक्ट के लाने की आवश्यकता पड़ी है वह इसीलिये कि जो विश्वविद्यालय में इंट्रीग्स चल रही थीं उनको खत्म किया जाय। इसलिये यदि हम इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो कौंसिल में टीचर्स का बहुमत हो जायगा और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को जो अधिकार ११ पृष्ठ पर सेक्शन (जे) और (के) में दिये गये हैं वह इतने हैं कि उनमें फेवरटिज्म, निपोटिज्म तथा गुटबन्दी चलेगी। इसलिये हमें आवश्यक है कि टीचर्स की संख्या को हम कम कर दें। यदि हम उपधारा को ऐसे मान लेंगे तो टीचर्स बहुमत में हो जायेंगे। मंत्री महोदय ने उसको रोकने के लिये बैन भी लगाया है। विश्वविद्यालय तथा अफीलीएटेड कालेजेज के टीचर्स नहीं चुने जायेंगे। हमारे मंत्री महोदय कह सकते हैं कि ऐसा करने से हम सारी टीचर्स क्लास को डिसक्वालीफाई किये देते हैं। उपधारा ६ के (५) के अन्दर वाइस चांसलर नामीनेट कर सकता है। अगर कोई ऐसा टीचर है जिसे लाना है वह इसमें आ सकता है। लेकिन इसको इसी तरह से रहने देने का नतीजा होगा कि टीचर्स का बहुमत हो जायगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में भी यह था कि टीचर्स का बहुमत न हो। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को जरूर मान लें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन् मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता। राधाकृष्णन कमीशन के मुताबिक तो मैंने यह कहा था कि यूनीवर्सिटी की कार्यकारिणी में आधे व्यक्ति ऐसे होने चाहिये कि जो उसी यूनीवर्सिटी से सम्बन्धित हों यह नहीं कि जो शिक्षक है यूनीवर्सिटी में या यूनीवर्सिटी के बाहर उनको किसी भी यूनीवर्सिटी में स्थान न दें। मैं समझता हूं कि यह तो बड़ा प्रतिक्रियावादी कदम होगा कि एक यूनीवर्सिटी में इस तरह से लोगों को रखा जाय कि कहीं भी दुनिया के पर्दे में यदि कोई शिक्षक हो तो उसे वहां न लिया जा सके यह मेरा खयाल है कि बड़ा पिछड़ा काम होगा। इसलिये हम उसको मंजूर नहीं कर सकते।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में १० और ५ मिल कर टीचर्स की संख्या १५ हो जाती है, इसलिये अगर मेरा यह संशोधन नहीं माना जाता है तो उसकी वजह से जो खराबी थी वह दूर नहीं हो पायेगी। यह अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेते। अगर वे इसे नहीं मानते तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गंगाधर मेठाणी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) के उपभाग (vii) की पंक्ति १ से "Not belonging to any of the above categories" निकाल दिया जाय और उपभाग के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Out of the teachers of the Univerity. affiliated colleges of the other than the deans of Faculties and principals of other colleges."—

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा संशोधन है और ऊपर जो "Not belonging to any of the above categories" शब्द आये हैं उनमें उनका रिप्रेजेन्टेशन तो आ ही गया, इसलिये यह शब्द निरर्थक मालूम पड़ते हैं। इसलिये उनको

निकाल देना चाहिये। क्योंकि यह प्रश्न टीचर्स का चल रहा है इसलिये उनका रिप्रेजेण्टेशन इसमें होना चाहिये; टीचर्स तथा डीन्स आफ फेकल्टीज और प्रिन्सिपल्स में बहुत अन्तर होता है। जो संशोधन मैंने रखा है कि 'अदर देन दि डीन्स आफ फेकल्टीज एण्ड प्रिन्सिपल्स आफ कालेजेज" जोड़ दिया जायगा तो टीचर्स को रिप्रेजेण्टेशन मिल जायगा क्योंकि डीन्स और प्रिंसिपल इक्जीक्यूटिव अधिकारियों में आ जाते हैं। चाहे वे किसी भी कालेज के हों, चाहे तो वह मेडीकल कालेज हो या इंजीनियरिंग का कालेज हो, वे सब ऐक्जीक्यूटिव अधिकारियों में आ जाते हैं और प्रायः टीचर्स को कोई रिप्रेजेण्टेशन नहीं मिलता है। यह सिर्फ एक ही सीट का सवाल है अतः डीन्स आफ फेकल्टीज तथा प्रिंसिपल को छोड़ कर यह सीट टीचर्स को रिजर्व कर दी जाय तो अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिनकी टीचर्स के ऊपर बहुत कृपा है, उनके लिये उन्हें एक सीट रिजर्व करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैठाणी जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने रखा था उसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने हम लोगों का ध्यान टीचर्स की डैफीनीशन की ओर आकर्षित किया था जो इस प्रकार है—

"(ff) 'teachers of affiliated colleges' means persons employed in affiliated colleges for giving instruction for University degrees ;"

इसमें ऐक्जीक्यूटिव में टीचर्स के लिये सीट रिजर्व कर दी गयी है लेकिन उसमें प्रिंसिपल के लिये रखी गयी है। अगर प्रिंसिपल शब्द के आगे यह और कर दिया जाय कि "that includes teachers also" तब कुछ ठीक हो जायगा और टीचर्स को भी तसल्ली हो जायगी कि कभी न कभी हमारा प्रतिनिधित्व भी हो जायगा। अगर डेफीनीशन में यह कर दिया जायगा तो सब ठीक हो जायगा क्योंकि अब टीचर्स का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नहीं रहा, इसीलिये इसको रखना चाहते हैं। भले ही माननीय नेकराम जी शर्मा टीचर्स के खिलाफ हों, लेकिन फिर भी टीचर्स वहां रखे गये। तो हम चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आ जाय और उनका कोई न कोई मेम्बर उसमें हो। इसीलिये हम चाहते हैं कि टीचर का किसी न किसी रूप में एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मेम्बर हो जाय, इससे टीचर बेचारे का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल की फेहरिस्त में लिखा रहेगा। इसी मन्शा से यह संशोधन रखा गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आशा करता हूं कि इस रूप में इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन् मुझे माननीय उपाध्याय जी के वक्तव्य को सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वे ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी में थे और उनका एक डिसेंटिंग नोट भी है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने नहीं कहा और न नोट में ही कहा।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है अगर उसको देखा जाय तो वह कैटिगरीज जिनका कि ऊपर जिक्र है उसमें तो एक बैन लगा हुआ है। जो आदमी एकेडेमिक कौंसिल से चुने जायं वे न डीन हो सकते हैं न प्रिंसिपल हो सकते हैं तो फिर आप ही सोच सकते हैं कि वह कौन होगा। वह डीन होगा नहीं, वाइस चांसलर होगा नहीं, प्रिंसिपल होगा नहीं, तो सिवाय टीचर के और कौन होगा। मैंने एक सिद्धांत के ऊपर प्रिंसिपल से टीचर्स को अलग करके रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहा है और इसीलिये मैंने उसको पहले भी नहीं रखा था और अब भी यों रखा है कि जो आदमी चुना जायगा वह न डीन हो, न प्रिंसिपल हो, न वाइस चांसलर हो, तो फिर टीचर्स के सिवाय दूसरा नहीं हो सकता, इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे फिर सखेद माननीय शिक्षा मंत्री से कहना पड़ता है जब कि वहां पर खुद लिखते हैं कि टीचर्स इन्क्लूड प्रिंसिपल में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक साधारण सा फारमूला है कि हर एक वर्ग समानान्तर चतुर्भुज हो सकता है मगर हर समानान्तर चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। इसी तरह से हर प्रिंसिपल टीचर हो सकता है लेकिन हर टीचर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। इस साधारण सी बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं ग्रहण करते। माननीय रामनारायण त्रिपाठी का संशोधन इसी बात को समझाता है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी उसी पुराने तर्क पर अब भी जमे हुये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जब कि रामनारायण जी के संशोधन का और मंत्री जी का मन्तव्य एक है उसमें कोई फर्क नहीं है तो फिर उनको मान लेना चाहिये क्योंकि उनके कथन में और जो भाषा है उसमें शंका है। लेकिन कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिये जो स्पष्ट हो और आशंका की गुंजाइश न रह जाय। मेठाणी जी ने जो रामनारायण जी का संशोधन प्रस्तुत किया वह इस शंका को हटा देता है और माननीय मंत्री जी की शंका को और अधिक स्पष्ट बना देता है। जब यह संशोधन उनकी मंशा की पूर्ति और स्पष्ट तरीके से कर देता है तो फिर उसको न मानने पर मुझे अफसोस होता है कि अगर वे इतना सीधा सा संशोधन नहीं मानेंगे तो फिर मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि वे हठवादिता के कारण डटे हुये हैं। इसलिये मैं पुनः चाहता हूं कि हठवादिता को वे छोड़ दें जब कि उनके उद्देश्य में और संशोधन के उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है और संशोधन की भाषा स्पष्ट है। मैं सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी इसको समझें और विचार करें और कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे कि इस स्पष्टतर ढंग पर माननीय शिक्षा मंत्री की मंशा को पूरा करने वाले इस संशोधन को सदन मान ले।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसका जवाब हो चुका है लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने यह बतलाया कि—

"One person, not belonging to any of the above categories, to be elected by the Academic Council."

उनका कहना है कि जब तमाम कटेगरीज हो गयीं तो ऐफिलिएटेड कालेजेज के टीचरों के लिये कुछ बच ही जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड १५ के अन्दर जो एकेडेमिक कौंसिल के नियम हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खंड १५ की नयी धारा १९ इस प्रकार है—

"(19) (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters."

उपधारा २ इस प्रकार है:—

(2) The constitution of the Acadamic Council and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यहां देख सकते हैं कि एकेडेमिक कौंसिल के पर्सनेल कौन होंगे, यह इस विधेयक के अन्दर साफ नहीं है। तो संभव यह है कि एकेडेमिक कौंसिल की तरफ से कोई एक प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव कौंसिल में चला जाय। तो यह कैसे गारंटी हो जाती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कैसे गारंटी करते हैं, एकेडेमिक कौंसिल के सामने कोई चारा नहीं है कि एफिलियेटेड कालेज के ही जायेंगे। प्रिंसिपल तथा डीन आदि भी उसके अन्दर

जा सकते हैं, ऐसी आशंका है। मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी माननीय मैथानी जी के संशोधन को मान लें। आप एकेडेमिक कौंसिल के चवायस पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं, एकेडेमिक कौंसिल का अधिकार अवश्य होगा, लेकिन जो अध्यापक यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कालेज में हैं उनकी जगह पर प्रिंसिपल पहुंच जायेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी का मंशा भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है, उपधारा १७ के जरिये। अगर माननीय मैठाणी जी का संशोधन मान लिया जाय तो कम से कम एक टीचरों का प्रतिनिधि तो वहां अवश्य पहुंच ही जायगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह मसला ज्यों का त्यों रह जाता है।

श्री गंगाधर मैठाणी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी के यह मानने के बाद कि उस कटेगरी में कोई रह ही नहीं जाता लेकिन टीचर ही बाकी रह जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि एकेडेमिक कौंसिल में इतना स्पष्ट कर दिया जाय तो एक सीट टीचरों को अवश्य ही मिल जायगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी की राय भी है कि उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहिये। तो इसलिये वे बहुत आपत्ति न करें। इसलिये कि यूनिवर्सिटी तथा एफिलिएटेड कालेज के टीचर्स जिनकी संख्या बहुत काफी है अगर उनको आप एक सीट दे देते हैं तो उसमें किसी को कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस तरह से टीचरों को एकेडेमिक कौंसिल में अपने शब्दों को या यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि को अपने विचार वहां प्रकट करने का काफी अवसर मिलेगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन मान लिया जाय। इसलिये कि विद्यार्थियों का टीचरों से बहुत निकटतम संबंध है और घुणाक्षर न्याय के अनुसार यूनिवर्सिटी के अध्यापकों से भी उनका निकटतम सम्पर्क रहता है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को उन्हें एक सीट देने में बहुत दुख तो न होना चाहिये। मुझे आशा है कि कि आप इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि और न कोई संदेह है और पहले भी हम इस बात को कह चुके हैं कि टीचर भले ही एक्जिक्यूटिव कौंसिल में आ जायं और वह किसी प्रकार से भी चुने जायं इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कहना कि हम प्रिंसिपल और डीन के अतिरिक्त उनको अलग श्रेणी मानकर उनको अलग प्रतिनिधित्व दिया जाय इस बात की हमने सम्पूर्ण बिल में हर जगह मुखालफत की है और उसको स्पष्ट कर दिया है कि हम टीचर्स की अलग श्रेणी मानकर अलग से कोई प्रतिनिधित्व देने के लिये तैयार नहीं हैं।

जहां तक दफा १५ की बात है उसकी बाबत उनको गलतफहमी है इसलिये कि एकेडमिक कौंसिल में केवल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही रखे जा सकते हैं और कोई एकडमिक कौंसिल में नहीं रह सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एकेडमिक कौंसिल में ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे जिनका संबंध यूनिवर्सिटी से न हो और बाहर के आदमी हों। इसलिये उसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि एकेडमिक कौंसिल एक व्यक्ति को चुनेगी जो प्रिंसिपल और डीन नहीं होगा मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह टीचर ही होगा लेकिन वह जो चुना जायगा वह कोई टीचर का प्रतिनिधि होकर नहीं जायगा बल्कि वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल का प्रतिनिधि होकर जायगा। टीचरों का अलग से प्रतिनिधित्व करने के लिये वह नहीं जायगा। अलग प्रतिनिधित्व करने की हमने मुखालिफत की है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के हित में नहीं रहेगा। इसी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (१) के उपभाग (vii) की पंक्ति १ से "not belonging to any of the above categories" निकाल दिया जाय और उपभाग के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Out of the teachers of the affiliated colleges of the University other than the Deans of Faculties and principals of other colleges."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१६

विपक्ष में--९०)

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२६ की धारा १८ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

Powers and duties of the Executive Council.

18. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely:—

(a) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(b) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

(c) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(d) to frame the Budget of the University;

(e) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances relating thereto;

(f) save as otherwise provided for by this Act and the Statutes, to appoint the officers, teachers of the University and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporary vacancies in their posts;

(g) to prescribe the courses of study for the examinations, certificates and degrees of the University;

(h) to arrange for the holding of examinations and publication of the results;

(i) subject to the previous sanction of the Chancellor, to grant affiliation to a college for teaching for specified degrees and to withdraw such affiliation;

(j) to arrange for and direct the inspection of all affiliated colleges and hostels;

(k) to control and manage and to frame rules for the University Library or Libraries and to appoint a Library Committee;

(l) to direct the form, custody and use of the Common seal of the University;

(m) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act the Statutes, and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Finance Committee;

(3) The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except after considering the advice of the Academic Council;

(4) No teacher shall be employed by the University until provision has been made for his salary in the Budget of the University;

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Senate, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Senate of its inability with the reasons therefor."

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में धारा १८ की उपधारा (४) की पंक्ति २ में शब्द "in" और उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में यह शब्द लिखे गये हैं—

"No teacher shall be employed by the University until the Provision has been made for his salary".

हमारा प्रस्ताव है कि आगे के शब्द 'in the Budget of the University' निकाल दिये जायं। इससे जितने शब्द इसमें रखे गये हैं सैलरी के अन्दर उन शब्दों से पूरा उसका समर्थन निकल जाता है और 'इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी सुपरफ्लुअस, मालूम होते हैं। प्रायः किसी यूनिवर्सिटी का बजट वर्ष में एक ही समय पास किया जाता है। यह तो ठीक है कि जब तक यूनिवर्सिटी में किसी टीचर के वेतन का प्रावीजन नहीं किया जाता है तब तक उसकी नियुक्ति न की जाय। इन शब्दों से हैज बीन मेड फार हिज सैलरी यहां तक तो हम इससे सहमत हैं। लेकिन उससे आगे इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी ये शब्द सुपरफ्लुअस हैं। इसका मतलब यह होगा कि यदि किसी कालेज या यूनिवर्सिटी में बजट वर्ष के आने से पहले यह आवश्यक हुआ कि किसी टीचर की या किसी प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी जाय तो इन शब्दों के कारण साल भर के अन्दर उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिये ये शब्द इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी सुपरफ्लुअस मालूम पड़ते हैं। इनके निकालने से हमारे इस अधिनियम में एक विशेषता आ जायगी। वह यह होगा कि जब उसकी सैलरी का प्राविजन रहेगा तो हमें पूरा मौका मिलेगा। इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी निकालने से हमें साल भर के लिये रुकना नहीं पड़ेगा और इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह संशोधन कर लिया जाय। माननीय शिक्षा मंत्री से भी मैं आशा करता हूं कि वह इसको मान लेंगे।

श्री हर गोविन्द सिंह—मेरी समझ में बहुत तो नहीं आया कि क्यों ये शब्द निकाल दिये जायं। इसमें तो सिर्फ यही कहा गया है कि जब तक उसकी सेलरी का प्रावीजन बजट में न हो तब तक उसकी नियुक्ति न की जाय। किस तरह से यह सुपरफ्लुअस हैं, नहीं आने चाहिये यह मेरी समझ में आया नहीं और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है, क्योंकि किसी विश्वविद्यालय का बजट जो है साल भर में एक दफे बनता है। यदि साल भर के अन्दर जब तक कि दूसरा बजट पेश होगा उसके अन्दर किसी टीचर को रखने की आवश्यकता होती है तो जब तक कि दूसरा बजट आप पास नहीं करते हैं तब तक आप उस टीचर की नियुक्ति नहीं कर सकते और यहां तक तो हम भी सहमत हैं कि 'अंटिल दी प्राविजन हैज बीन मेड फार हिज सैलरी' यह तो ठीक है कि जब तक उसकी सैलरी का प्राविजन नहीं किया जाता जब तक उस टीचर की नियुक्ति न की जाय, लेकिन 'इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी, का

[श्री गंगाधर मैठाणी]

मतलब यह है कि साल के अन्दर, जब तक कि दूसरा बजट नहीं आता है तब तक आप उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते, यह हमारे कहने का उद्देश्य है।

श्री हरगोविन्द सिंह—तो आशय भी यही है कि जब तक बजट में प्राविजन न हो जाय तब तक किसी की नियुक्ति न की जाय। बजट के दौरान के अन्दर अगर किसी नियुक्ति की आवश्यकता होगी तो और आगे जो फाइनेंस कमेटी है उसमें यह किया गया है कि लिमिट के अन्दर अगर होगा तो यूनिवर्सिटी एक्जीक्युटिव कर सकती है और बजट फिर मंजूर कर लेगा लेकिन यह कि बजट में प्राविजन न हो और नियुक्ति हो जाय यह ठीक नहीं है और इसी को रोकने के लिये यह प्रबन्ध किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में धारा १८ की उपधारा (4) की पंक्ति २ में शब्द "in" और उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

यू० पी० एक्ट ८, १९२६ की धारा १९ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Academic Council

'19 (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinanecs, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and per-form such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

(2) The Constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १५ में धारा १९ की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में से प्रारम्भ होने वाला वाक्य निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except on the advice of the Academic Council."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मतलब इस प्रकार है। खंड १५ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (i) इस प्रकार है—

"19. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters."

म चाहता हूं कि इसका अंतिम वाक्य निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर यह रख दिया जाय कि एग्जिक्युटिव कोई ऐक्शन नहीं लेगी--

"Except on the advice of the Academic Council."

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित उपधारा १९(१) है उसमें सलाह देने का एकडेमिक कौंसिल को अख्तियार है कि आम तौर पर वह सलाह दे, लेकिन संशोधन का मतलब यह है कि बगैर उसकी सलाह के एग्जिक्युटिव कौंसिल किसी भी एकडेमिक मैटर में कोई फैसला न करे। दोनों का अन्तर स्पष्ट है और माननीय शिक्षा मंत्री को मैं समझता हूं, इसको मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटीज के मामले में सरकारी हस्तक्षेप की बात तो अलग है, चूंकि एग्जिक्युटिव कौंसिल एक व्यापक बाडी है और उसका काम और भी है उसके अतिरिक्त यह भी कि वह एकडेमिक मैटर्स में कोई फैसला ले और इसी एग्जिक्यूटिव कौंसिल की सहायता के लिये ही एकडेमिक कौंसिल का निर्माण इस विधेयक में हुआ है। तो मैं यह चाहता हूं कि एकडेमिक कौंसिल जो है एकडेमिक मैटर्स में आखिरी सलाह वही दे सके और जो कुछ वह सलाह दे उसी में एग्जिक्युटिव कौंसिल को काम करना पड़े और मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हर गोविन्द सिंह--श्रीमन्, जो आशय इस संशोधन का है वह इस विधेयक में पूर्णतया सुरक्षित है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान खंड २४ की धारा २७ (*a*) के उपखंड ३ की ओर दिलाना चाहता हूं:

(3) Ordinances shall be made by the Executive Council but no Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the Senate :

Proivided that no Ordinance—

(i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations; or

(ii) affecting the conditions and mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of an examiation or any course of study;

shall be made, amended, repealed or added to unless a draft of such Ordinance has been proposed or previously approved by the Academic (Board) Council.

एक यह है। फिर आप खंड २५ में नई धारा २८ जो है उसके उपखंड ३ को देखिये--

(3) The Executive Council may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulation made under this section or the annulment of any Regulation made under sub-section (1) by an authority other than the Senate:

Provided that any authority or Board of the University which is dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final.

(4) The Executive Council shall make Regulations laying down---

(i) the courses of study for various examinations of the University;

(ii) the assignment of subjects to the various faculties;

after receiving drafts of the same from the Academic Council

[श्री हरगोविन्द सिंह]

The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions.

इसलिये जो इस संशोधन का आशय है वह इस विधेयक में आगे सुरक्षित है। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन के आशय से सहमत हैं। खंड २५ की प्रस्तावित नई धारा २८ के आखिर में इस प्रकार से है—

"The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions."

इसमें एक शब्द "may" है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि एकडेमिक कौंसिल का जो ड्राफ्ट होगा वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल करेगी या उसी के लिये छोड़ दिया गया है। मान लीजिये कि एकडेमिक कौंसिल ने कोई ड्राफ्ट भेजा तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? मैं समझता हूं कि शायद कानून में भी, अध्यक्ष महोदय गलतफहमी पैदा कर दी गई है और उसमें यह अधिकार एकडेमिक कौंसिल को नहीं है कि उसकी ख्वायस, उसकी आवाज जो हो, वह फाइनल हो। ऐसी सूरत में मैं मजबूर हूं। चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन के नियमों से सहमत हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि यह बिलकुल साफ तरह से दर्ज कर दिया जाय कि एकडेमिक कौंसिल के मामलों में एक्जीक्यूटिव कौंसिल कोई इण्टरफियरेंस नहीं करेगी। इस बिल में यह बिलकुल साफ हो जाय, इसी आशय से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कार्यकारिणी को पूर्णतया वंचित कर दिया जाय कि वह अपनी राय एकडेमिक कौंसिल के जो विचार उसके सम्मुख आवेंगे, उन पर न दे सके, यह ठीक नहीं होगा। जैसा कि मैंने इस में बताया कि विधेयक में यह तो है ही कि जब तक एकडेमिक कौंसिल की सहमति एक्जीक्यूटिव को नहीं मिल जायगी तब तक वह कोई आर्डिनेंस नहीं जारी करेगी, ऐसी स्थिति में एक्जीक्यूटिव के ऊपर, जो कि यूनिवर्सिटी को करीब-करीब सिनेट के बाद सब से हायस्ट एथारिटी होगी, कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगा देना जिससे कि वह अपनी राय भी एकडेमिक बोर्ड को एकडेमिक मैटर्स में न दे सके, यह ठीक नहीं होगा।

इसमें इतना तो संरक्षण है ही कि जो एकडेमिक कौंसिल की सिफारिशें कोर्सेज की निस्बत होंगी उनपर एक्जीक्यूटिव कौंसिल बिला उसकी राय के कोई निर्णय नहीं दे सकती। तो मेरा खयाल है कि इतना ही उपयुक्त और ठीक है। इससे अधिक उसके अधिकारों को घटाना ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ में धारा १९ की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में "it" से प्रारम्भ होने वाला वाक्य निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except on the advice of the Academic Council."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६--मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २० और २०-ए के रूप में रख दी जायं:-- यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २० का संशोधन।

"Finance Committee.

20. (1) The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(ii) Two persons nominated by the State Government ;

(iii) Two persons who are not in the service of University or of any affiliated college, elected by the Senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) Three members (of whom at least one shall be a member nominated by the State Government) shall form a quorum.

(4) Members of the Finance Committee other than *ex-officio* members shall hold office for five years.

20-A. (1) The Finance Committee shall have the following duties, namely—

(*a*) it shall examine the accounts and the Audit Report and make recommendations to the Executive Council in regard to them;

(*b*) it shall fix limits for the total recurring and the total non-recurring expenditure for the ensuing year based on the income and resources of the University;

(*c*) it shall scrutinize the financial estimates of the University for the ensuing year and make its comments on them, which shall the be considered by the Executive Council;

(*d*) it shall perform such other functions as may be assigned to it by the Statutes.

(2) The Finance Committee shall take into consideration the views of the Executive Council in performing its duties referred to in clauses (*b*) and (*c*) of sub-section (1)."

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में धारा २० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1). The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor who shall be the chairman of the Committee.

(ii) One person elected by the Executive Council not necessarily out of its personnel.

(iii) One person who is in the service of the affiilated colleges elected by the State.

(iv) The Accountant General of U. P."

उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल अधिनियम है उसमें पाँच व्यक्ति दिये गये हैं। एक तो वाइस-चांसलर है। इसमें कोई अन्तर हमारे प्रस्ताव से नहीं आता है। "who shall be the chairman"

[श्री गंगाधर मैठाणी]

"Two persons nominated by the State Government."

इसमें हमारा परिवर्तन आता है। इसके स्थान पर हम यह चाहते हैं---

"One person elected by the Executive Council not necessrily out of its personnel."

एक्जिक्यूटिव कौंसिल का एक व्यक्ति होगा और अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल चाहे तो अपने में से दे और अगर न चाहे तो बाहर के व्यक्तियों को भी दे सकती है जो कि फाइनेंस में एक्सपर्ट होंगे।

तीसरा यह है---

"One person who is in the service of the affiliated colleges elected by the State."

इस संबंध में मूल अधिनियम में यह आता है--

"Two persons who are not in the service of the University or of any affiliated college, elected by the Senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council."

चौथे में यह हमारा प्रस्ताव है कि "The Accountant General of U. P." यह कहा जाता है कि यह अधिनियम इसलिये बन रहा है कि चूंकि यूनिवर्सिटी की फाइनेंसेज प्रापरली युटिलाइज नहीं होती है। इसीलिये मूल अधिनियम में गवर्नमेंट के दो प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री की तरफ से रखे गये हैं। हमारा प्रस्ताव यह है कि उनके बजाय एकाउण्टेंट जनरल को रखा जाय ताकि फाइनेंसेज पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखा जाय। और व्यक्तियों के संबंध में हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के नामिनेटेड पर्सन्स हैं उनके बजाय हम यह चाहते हैं कि एकाउन्टटेंट जनरल रख दिया जाय जिस से यूनिवर्सिटी और कालेजेज की आर्थिक व्यवस्था सुन्दर हो सके। इस प्रकार फाइनेंसेज के प्रापरली युटिलाइज न होने की आपत्ति भी नहीं रहेगी। हम केवल यही चाहते हैं कि युनिवर्सिटी के फाइनेंसेज में गवर्नमेंट अधिक हस्तक्षेप न करे। ऐसी दशा में मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस संशोधन को जो सुन्दर और पाक है, स्वीकार करने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान्जी, इस संशोधन में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें सीनेट का कोई प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं आता। जैसा कि इस विधेयक में आप पास कर चुके हैं, सीनेट यूनिवर्सिटी की सुप्रीम बाडी है। उसका कोई प्रतिनिधि उसमें न हो, यह ठीक नहीं मालूम होता। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने एकाउण्टेंट जनरल के लिये कहा तो शायद वह हमारे अधिकार के बाहर की बात हो कि हम उन्हें अपने किसी विशेष विधेयक के द्वारा इस बात के लिये मजबूर करें कि वह हमारी किसी कमेटी के मेम्बर हों क्योंकि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया सर्विस के आदमी हैं। इसलिये मैं इन दोनों सुझावों को नहीं मान सकता। विधेयक में जो रखा गया है कि वाइस चांसलर उसका चेयरमैन हो, यह तो आपको मंजूर है ही। इसके अलावा टू पर्सन्स नामीनेटेड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट हमने रखे हैं। फ़ाइनेंस के मामलों में स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि न हो, यह भी ठीक नहीं है। आगे यह है कि "Two persons who are not in the service of University or of any affiliated college, elected by the Senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council." तो इस तरह से उसमें सीनेट को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और एग्जीक्यूटिव कौंसिल को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ऐसी अवस्था में मेरा अपना ख्याल है कि जिस प्रकार से इस विधेयक में रखा गया है फाइनेंस कमेटी वैसी ही रहनी चाहिये। इसलिये यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत ही अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस संशोधन में जो एक बात किसी कारणवश छूट गई थी, शायद प्रिंटिंग से, कि सीनेट का भी एक प्रतिनिधि उसमें रहे उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया, उसके लिये मैं उनका अनुगृहीत हूं। उसके साथ-साथ मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह अपने लोभ को कुछ संवरण करें। उसमें संशोधन उपस्थित करने वाले और माननीय मंत्री जी के बीच में कोई अन्तर नहीं है कि वाइस चांसलर महोदय हों और वह चेयरमैन हों। जहाँ यह है कि टू पर्सन नामीनेटेड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर बुनियादी तौर से संशोधन में और माननीय मंत्री जी की मूलधारा में अन्तर पड़ता है। संशोधन की मंशा यह है कि जहाँ तक हो सके यूनिवर्सिटी की आंतरिक परिस्थिति में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और ऐसी भी बात न हो कि सरकार वहाँ के खर्चे की शैली को देख न पाये और सब कुछ मनमाने ढंग पर होता रहे। इसलिये मैं समझता था कि इस कमी की ओर संकेत करते हुये मंत्री जी इतनी उदारता और व्यापकता जरूर ग्रहण करेंगे कि प्रस्तावक महोदय का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने कितनी खूबी के साथ इसमें संशोधन उपस्थित किया है। उनका कहना है कि "वाइस चांसलर शैल बी दी चेयरमैन आफ दी कमेटी" जिससे सरकार सहमत है। लेकिन जहां सरकार २ सदस्यों को रखना चाहती है वहां प्रस्तावक महोदय "One person elected by the Executive Council not necessarily out of its personnel" चाहते हैं। यह रख दिया जाय कि एक व्यक्ति एक्जीक्यूटिव कौंसिल का हो और दूसरा संशोधन जिसकी ओर माननीय मंत्री जी ने संकत किया है सीनेट के लिये भी एक क्लाज जोड़ा जा सकता है और मैं समझता हूं कि हमारे साथी श्री गंगाधर जी मैथाणी को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा कि एक मेम्बर सीनेट का भी इस कमेटी में भेजा जा सके। इसी के साथ-साथ जहां पर श्रीमन्, हम एक तरफ सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यों को फायनेंस कमेटी में नहीं रखने देना चाहते हैं वहां पर हम यह भी कहते हैं कि ए० जी० (एकाउण्टेण्ट जनरल) जो उत्तर प्रदेश के सारे हिसाब-किताब की देखरेख करते हैं और संकेत किया करते हैं वह भी इसमें रहें। वह लियाजों का काम करेंगे बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एण्ड दी फायनेंस कमेटी इसलिये सारी की सारी बात भी अच्छी तरह से आ जायगी और सरकार पर भी दोषारोपण नहीं होगा कि सरकार हर तरह से फायनेंस कमेटी पर कब्जा करके जिस तरह से चाहेगी उसको नियंत्रित करेगी। इस तरह से यह सरकार के लिये और हमारे समाज के लिये एक शुभ लक्षण होगा और यूनिवर्सिटी भी अपना काम सुचारुरूप से सम्पादित कर पायेगी।

मैं ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। इसलिये शिक्षा मंत्री जी को आसानी है कि वह इस समय मुख्य मंत्री जी की राय लेकर इस संशोधन को स्वीकार करने में आसानी महसूस करेंगे। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको मान लें और इसको मान लेने से सारी की सारी दिक्कत और सरकार पर जो आक्षेप होता है वह भी खत्म हो जायगा और यूनिवर्सिटी का काम भी सुचारु-रूप से सम्पादित होगा।

श्री रतन लाल जैन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है कि सरकार की तरफ से कोई मेम्बर नहीं होना चाहिये यह ठीक नहीं है क्योंकि यह रुपये का मामला है, अर्थ व्यवस्था का मामला है, यूनीवर्सिटी को जो खर्चा करना पड़ता है अगर वह ज्यादा हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की आती है, क्योंकि सरकार का काम है कि शिक्षा को ठीक तरह से चलाये और रुपये का प्रबन्ध करे। इसलिये यह भी नितान्त आवश्यक है कि सरकार का प्रतिनिधि फायनेंस कमेटी में रहे। वहां की अर्थ व्यवस्था इस तरह से चले कि जितना रुपया गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है उसी के अनुसार बजट

[श्री रतनलाल जैन]

बनाये। जब सरकार की पूरी जिम्मेदारी है तो यह भी बिल्कुल जरूरी है कि उसका प्रतिनिधि वहां पर हो। यह यूनीवर्सिटी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि सरकार का काम है कि शिक्षा का काम ठीक तरह से चले। अगर रुपये का मसला आता है तो सरकार की अंतिम जिम्मेदारी है कि यूनीवर्सिटी को ठीक तरह से चलाये और अगर रुपये की कमी पड़े तो वह दे। ऐसी अवस्था में सरकार का प्रतिनिधि होना आवश्यक है कि सीनेट जो गवर्निंग बाडी है उसका भी प्रतिनिधि हो। इसलिये सीनेट का तथा गवर्नमेंट का प्रतिनिधि न रखना किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी-- उपाध्यक्ष महोदय, खैर प्रिंटिंग की गल्ती हो या जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बतलाया है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें स्वीकार है जैसा कि हमारे नेता जी ने कहा है। यह कहना कि गवर्नमेंट का प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये क्योंकि रुपये के मामले में गवर्नमेंट का पूरा उत्तरदायित्व है। जहां तक प्रजातन्त्र का सम्बन्ध है तो प्रत्येक नागरिक अपनी सरकार के रुपये पैसे के मामले में पूर्ण उत्तरदायी है। और जहां तक एकाउण्टेंट जनरल का ताल्लुक है मैं समझता हूं गवर्नमेंट के किसी और नामिनी के बजाय वह रुपये पैसे के मामले को ज्यादा अच्छी तरह से देख सकेगा। इस सम्बन्ध में जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा हम यह मानने को तैयार हैं कि एक आदमी सीनेट का होना चाहिये। जहां तक गवर्नमेंट के नामिनी का ताल्लुक है उस कमेटी के अध्यक्ष वाइस चांसलर होंगे जो कि गवर्नर महोदय के ही चुने हुए होंगे क्योंकि गवर्नर महोदय ही उसके चांसलर हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को जो बहुत ही शुभ और सुन्दर है, माननीय शिक्षा मंत्री को मानने में कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि यह उनकी मंशा के बहुत दूर भी नहीं जाता है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जी ने इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे भी यह हिदायत की है कि मैं अपने विचार इस बारे में जाहिर करूं और उनका कहना है कि मैं उस संशोधन के उस अंश को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दो प्रतिनिधि फाइनेंस कमेटी में होने के बारे में हैं, उसको मान लूं। मैं समझता हूं कि जो फाइनेंस कमेटी बनी है उसका कोई खास उद्देश्य है और उसमें यह ध्यान रखा गया है कि फाइनेंस कमेटी ऐसी होनी चाहिये जिसमें स्टेट फाइनेंसेज, यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकताओं, सबका समन्वय कर सके। इस गरज के लिये यह फाइनेंस कमेटी बनायी जाती है। अब इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में जहां कि खर्चा बढ़ता जा रहा है आमतौर पर करीब-करीब सारा, सिवाय फीस वगैरह की आमदनी के स्टेट को व्यय करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप इस निगाह से देखें कि वह लेजिस्लेचर की एक प्रतिनिधि एक्जीक्यूटिव बाडी है और वह लेजिस्लेचर सारे प्रदेश की प्रतिनिधि है, तो उसकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह देखे कि उसके कोष का सदुपयोग हो रहा है।

इस समय जो इलाहाबाद यूनीवर्सिटी है उसका ओवर ड्राफ्ट और कर्जा २० लाख रुपये से ज्यादा हो गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कर्जा भी करीब-करीब इतना ही आता है। अब यह हालत हो गयी है कि यूनिवर्सिटीज को बाज वक्त अपने टीचर्स की तनख्वाह देने के लिये रुपया मुहैया करना मुश्किल हो जाता है, बैंक से ओवर ड्राफ्ट भी नहीं मिलता। तब गवर्नमेंट से कहा जाता है कि रुपया न दोगे तो यूनीवर्सिटी बन्द कर दी जायगी। अब सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर की प्रतिनिधि है ऐसे मौकों पर क्या करे। कहा जाता है कि इतने लाख रुपया कर्जा हो गया है, अदा करो वरना यूनिवर्सिटी बन्द हो जायगी। यूनिवर्सिटी बन्द हो या न हो लेकिन अगर

इसी तरह से यूनिवर्सिटीज अपने खर्चे और उसके साथ ही साथ अपने कर्जे को बढ़ा लें और फिर जब कर्ज दे नहीं सकते हैं, वे जानते हैं उनके लिये देना मुमकिन नहीं है, फिर कहें गवर्नमेंट से कि नहीं देते हो तो यूनिवर्सिटी बन्द हो जायगी, गवर्नमेंट का बहैसियत एक रेप्रेजेंटेटिव पब्लिक और बहैसियत इस हाउस के एक्जीक्यूटिव होने के ऐसे मौके में यह खयाल होना लाजिमी है कि यूनिवर्सिटी बन्द न हो और उसका काम जारी रखा जाय। तो ऐसी हालत जब होती है तो रुपया गवर्नमेंट को फिर वह चाहे या न चाहे मुहइया करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इस तरह की हालत में ठीक हो या न हो, अगर यह ठीक नहीं है तो इसके लिये कोई ऐसी तजवीज होनी चाहिये जिससे यूनिवर्सिटी का जो कुछ काम है वह अच्छी तरह चले और उसके फाइनेंसेज जो हैं वे ऐसी हालत में रहें कि इस तरह की क्राइसेज यूनिवर्सिटी के अन्दर न पैदा होकर यूनिवर्सिटी का काम सुचारुरूप से चले और चूंकि यूनिवर्सिटी में जरूरी है कि जब गवर्नमेंट के रेप्रेजेंटेटिव उस फाइनेंस कमेटी में रहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की असली जरूरियात भी गवर्नमेंट ज्यादा समझ सकती है और इस हैसियत से गवर्नमेंट के लिये यह ज्यादा मुमकिन है कि वह यूनिवर्सिटी की असली जरूरियात के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत है तो वह इस बारे में इस हाउस को इत्मीनान दिला सकती है कि यूनिवर्सिटी को ज्यादा रुपया देना चाहिये। इसलिये यूनिवर्सिटी के लिये भी, पब्लिक के लिये भी और गवर्नमेंट के लिये भी यानी इन तीनों के लिये इस बात की ज्यादा जरूरत है कि वहां स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहें। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के माने हैं उस पब्लिक एक्सचेकर और जिस जमाने में जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी जनता पर है कि वह अपने प्रतिनिधि भेज सके ताकि यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह चल सके। यूनीवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई कानफिलक्ट तो है नहीं। लेकिन इस बात की जरूरत है कि इनका समन्वय हो।

इस सिलसिले में जो रिपोर्ट निकली है उसे आप लोगों ने देखा होगा उससे मालूम हो सकता है कि किस तरीके से बदउनवानी के साथ खर्चे बढ़ाये गये हैं और इसके लिये कोई ऐसी कमेटी बनाना जरूरी है। जो कम्पोजीशन इस कमेटी का दिया गया है वह उसी तरह का है जैसा कम्पोजीशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिये, बनारस यूनिवर्सिटी के लिये और बोलपुर के शान्ति निकेतन के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाया है। वह ऐक्ट के अन्दर की चीज इस विधेयक के अन्दर भी है। उसको हम इसी तरह का बना रहे हैं। इसलिये यह कोई नयी चीज नहीं है। जो रुपया इसमें लगेगा वह यहां इसीलिये रखा जाता है। और मेरी समझ में यह इस हाउस के लिये यूनिवर्सिटी के लिये और पब्लिक के लिये, तीनों के लिये अच्छा है। इसी तरह की चीज उसमें है।

जहां तक एकाउण्टेंट जनरल की बात है, तो एकाउंटेंट जनरल का काम उस पालिसी का नहीं होता है कि क्या किया जाय। वह तो एकाउंट चेक करता है और जहां पर कोई गलत बात समझता है उसे बतलाता है। इसके अलावा इसमें और कोई बात इनवाल्व करना या उलझाव करना ठीक नहीं है। क्योंकि उनका काम जो एकाउंट का है इस यूनिवर्सिटी का, वह भी डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट तरीके से उनके पास चेक होने के लिये जा सकता है। इस तौर पर उनका फाइनेंस कमेटी द्वारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर एकाउंटेंट जनरल का रखना जरूरी समझा जावे और गवर्नमेंट आफ इंडिया इस पर राजी हो और यह खयाल हो कि इससे फायदा ज्यादा हो सकता है तो जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट को भेजना हो उसमें मुमकिन हो सकता है कि एक एकाउंटेंट जनरल को ही रखा जाय और एक दूसरे को रखा जाय। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इससे उलझन ही पैदा होगी। मैं आशा करता हूं कि जैसा यह क्लाज है वैसा ही यह सभी को मंजूर होगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय शिक्षा मन्त्री जी को क्या कुछ कहना है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई आवश्यकता नहीं है सिवा इसके कि मैं माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान उस नोट आफ डिसेंट की तरफ दिलाऊं। उसमें यह आक्षेप नहीं किया गया है कि फाइनेंस कमेटी में गवर्नमेंट का प्रतिनिधि नहीं रखना चाहिये। उनके जिन सदस्यों ने नोट आफ डिसेंट लिखा है जिन्होंने यह आक्षेप नहीं किया है कि एकाउण्टेण्ट जनरल या गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि फाइनेंस कमेटी में न हो।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि जब कि मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया को एतराज नहीं होगा तो इसमें दो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्ज में से एक एकाउंटेंट जनरल को भी रख लेंगे तो अगर यह बात की जायगी तो एक अंश तक इस संशोधन की पूर्ति हो सकती है। अगर मुख्य मंत्री जी इसको जरा और स्पष्ट कर दें तो इसके मूवर (संशोधक) को कुछ अन्तिम फैसला लेने में बड़ी आसानी होगी।

दूसरी बात यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बार-बार यह कहा करते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में हमारे सदस्यों ने यह नहीं कहा या यह नहीं लिखा तो मैं यह कहता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी में ही तमाम बातें फायनल (अन्तिम) हो जायं तो सदन में बिल को ले जाने की जरूरत ही क्या है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह की बातें करके सदन का समय नष्ट न करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह जो एकाउंटेंट जनरल की बात है उसके लिये तो मैंने यह कहा कि उसका जो काम है वह अलग है। वह एकाउंट्स चेक करने का काम है। उसको देखते हुये उसको इस कमेटी में रखना मुनासिब होगा या नहीं, पहले तो यही गौरतलब है और दूसरे यह कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदमी हैं। अगर वह पालिसी के मुताबिक उनको रखना ठीक समझा जाय तब भी गवर्नमेंट आफ इंडिया की रजामन्दी होना जरूरी है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को एतराज न हो तो गवर्नमेंट उनको रखने की सोच सकती है। मैंने जो कहा है उसमें मैं समझता हूं कि कोई गलतफहमी नहीं हो सकती कि क्या कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ में धारा २० की उपधारा ( ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

" (1) The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor who shall be the chairman of the Committee.

(ii) One person elected by the Executive Council not necessarily out of its personnel.

(iii) One person who is in the service of the affiliated Colleges elected by the State.

(iv) The Accountant General of U. P."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७ तथा १८

१७—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २१ का संशोधन।

The Faculties. 21. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes. Each Faculty shall, subject to the control of the Academic Council have charge of the courses of study and direction of research work in the subjects assigned to it by the Ordinances.

(2) The consitituion and powers of the Faculties shall be prescribed by the Statutes.

(3) There shall be a Dean of each Faculty who shall be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

(4) The manner of appointment and the term of office of the Dean shall be prescribed by the Statutes."

१८—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २२ का संशोधन।

उपाध्यक्ष — खंड १७ तथा १८ में किसी संशोधन की सूचना नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड १७ तथा १८ इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

१९—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में शब्द "Regulations to be made by the Executive Council after consideration of the recommendations of the Academic Board" के स्थान पर शब्द "the Statutes" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २३ का निकाला जाना

श्री उपाध्यक्ष — प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

२०—मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २४ तथा २४-ए के रूप में रख दी जायं— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २४ का संशोधन।

Affiliated Colleges. 24. (1) Every college which was an affiliated college on the first day of July, 1953, under and in accordance with the provisions of this Act, shall continue to be such college until the affiliation is cancelled or otherwise withdrawn under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in the conditions of affiliation of any affiliated college, it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post-graduate classes to maintain Intermediate classes simultaneously with post-graduate classes.

Provided that any such college which on the Ist day of July, 1953, was maintaining simultaneously intermedidate and post-graduate classes may, at its option, continue both the Intermediate and post-graduate classes so, however, that one or the other of these classes shall cease to be maintained before the expiry of the academic year 1956-57.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination.

(4) Every application for affiliation to the University by a college not already affiliated and every application of an affiliated college for starting courses of instructions for a new degree shall, subject to the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 18, be dealt with in accordance with the Statutes. But nothing in this sub-section shall be deemed to require the previous sanction of the Chancellor under clause (i) aforesaid for the granting of an application of an affiliated college to start instruction in a subject, being a subject in which instruction is not already given for a Bachelor's degree in respect of which the college is already affiliated and every such application may be dealt with by the Executive Council without reference to the Chancellor.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council may call for on its own motion or at the instance of the Academic Council.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more person authorised by it, in this behalf

(7) The Executive Council may call upon any affiliated college so inspected to take within specified period such action as may appear to it to be necessary.

(8) The affiliation of an affiliated college which fails to comply with the directions of the Executive Council or to fulfil the conditions of affiliation may be withdrawn in accordance with the provisions of the Statutes."

"24-A. (1) It shall be lawful for the University to grant to an affiliated College, which satisfies the conditions prescribed in this behalf by the Statutes, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, the courses of study prescribed by the University and holding examinations in the courses so varied. The extent to which the courses may be varied and the manner of holding examinations conducted by such College shall be determined in each case by the University. Such a College shall be declared to be an 'Autonomous College' in the manner prescribed by the Statutes.

(2) The University may, under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated College, as a "Working Men's College", for the purpose of providing courses for degrees to persons (otherwise eligible for admission to such courses) who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged full-time in business, trade or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half

times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० में नई धारा २४ की उपधारा (3) की तीसरी पंक्ति मे शब्द 'affiliated' तथा शब्द 'if' के मध्य में शब्द 'for post-graduate classes' रख दिये जायं।

श्रीमन जी, यह संशोधन हो जाने के बाद जो तीसरी उपधारा होगी उसका रूप यह होगा :

"(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated for post, graduate classes if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination."

श्रीमन्, यह संशोधन रखने का मेरा उद्देश्य यह है कि यदि यह संशोधन नहीं किया जाता है तो कोई भी इण्टर कालेज भविष्य में आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड नहीं हो सकेगा और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हमारे प्रान्त में शिक्षा के लिए एक बड़ी भारी असुविधा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की किसी तरह से तरक्की नहीं होने पायेगी। हम इस तरह की क्लाजेज ब्रिटश हुकूमत के जमाने में बरदाश्त कर सकते थे मगर इस वक्त नहीं बरदाश्त कर सकते हैं जब कि हमारी पापुलर गवर्नमेंट है और जब कि शिक्षा के लिए अधिक सुविधा देना चाहिए और उसको अधिक लिबरल बनाना चाहिए। इस बिल में इस तरह के क्लाज को लाकर हमारे प्रान्त की शिक्षा को बरबाद किया जा रहा है। तो मैं इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है और समय-समय पर जितने कमीशन या कमेटीज विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध नियुक्त हुई उन सबने इस बात पर अपने विचार प्रकट किये हैं। सैडलर कमीशन ने कहा है कि डिगरी कालेज और इण्टर कालेज के इकट्ठा रहने से डिगरी कालेज का स्तर नीचे हो जाता है। इस मायने में जो शिक्षकगण अधिकतर होते हैं, जो इण्टर कालेज में पढ़ाते हैं वही डिगरी कालेज मे भी पढ़ाते हैं और आगरा यूनिवर्सिटी में तो इस समय ऐसी स्थिति आ गयी है कि यदि मैं आपको बताऊं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं-कहीं तो शायद ऐसा भी न हो कि जो एक हाई स्कूल रहा उसमें जो शिक्षक नियुक्त हुये जैसा कि इस समय है कि वही इस वक्त एम० ए० को भी पढ़ाते हैं और ऐसा तो आपको बहुत मिलेगा कि जो ऐसे कालेज डिगरी कालेज हुए वही टीचर डिगरी कालेज में भी गये और अब वे पोस्ट ग्रैजुएट हो गये और वही पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज को पढ़ाते हैं। इस कारण उसमें बहुत सी त्रुटियाँ रह गयी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी खुद कोई कालेज नहीं है उसके साथ बहुत से कालेजेज का संगठन किया गया है और उसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं।

तो प्रत्येक कालेज के द्वारा यह प्रयत्न होना स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ अधिक संख्या में विद्यार्थी आवें और उसमें सब से बड़ा प्रलोभन यह दिया जा सकता है कि उनको पास किया जाय। तो ऐसी दशा में, प्रत्येक कालेज में विद्यार्थी की संख्या बढ़ाने की होड़ होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए उनको किसी प्रकार से पास कर देना भी वहाँ के कालेज के प्रबन्धकर्ताओं का और शिक्षकों का एक कार्य हो गया है। तो इस लिए यह रखा गया है और जो सैडलर कमीशन ने सिफारिश की थी कि इण्टर कालेजेज को पृथक कर देना चाहिए। तो हमारा यह प्रान्त सब में अग्रसर था और उसमें इण्टरमीडियेट को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया। इलाहाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, वही हम यहाँ पर चाहते हैं।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

आगरा युनिवर्सिटी में भी हम ऐसा ही चाहते हैं। प्रान्त में दो प्रकार की नीति नहीं रख सकते कि कहीं पर इण्टरमीडियेट को कालेज का अंग माना जाय और कहीं पर न माना जाय। तो इस प्रकार से जो यह बात कही गयी है वह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इण्टर कालेज इतने हैं कि हर एक इस बात की इच्छा प्रकट करता है और कोशिश भी करता है और चाहता भी है कि हमारे यहाँ पोस्ट ग्रैजुएट तक हों चाहे कालेज के पास सामग्री हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं लेकिन हर एक चाहता है कि हमारा कालेज हो जाय और जो प्रिंसिपल है वह तो अवश्य ही चाहता है इस लिए कि उस का वेतन बढ़ जाता है और इसी तरह से दूसरे टीचर्स भी चाहते हैं। इसलिए अगर हम अपने स्तर को ऊंचा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट युनिवर्सिटीज हैं उनके स्तर में एक समानता हो और वह एक दूसरे से छोटी-बड़ी न गिनी जायं और इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय कि जो इण्टरमीडियेट या डिग्री कालेजेज हो गये हैं, वह तो हो गये हैं, उन में तो हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज हैं, उन्हें इण्टरमीडियेट से अलग कर दें, या पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज को अलग कर दें। अगर इसी तरह से उन की संख्या बढ़ने दी जाय तो वह बहुत घातक होगी। डिग्री कालेज में एम० ए० क्लासेज हों तब तो ठीक है क्योंकि उन के यहाँ की टीचर्स की नियुक्तियाँ आदि भी उसी स्तर की होती हैं लेकिन अगर हर एक स्कूल को पोस्ट ग्रैजुएट तक के लिए छूट दे दी जाय तो वहाँ न विशेष प्रकार के शिक्षक ही होंगे और न कोई विशेष सामग्री ही उनके पास होगी। ऐसी हालत में डर है कि वहाँ के स्नातकों का भी स्तर गिर जाय। इसलिए मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मन्त्री जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना। इस बिल की धारा २४ में जो प्रस्तावित खंड २० है, उसकी उपधारा (२) इस प्रकार है---

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in the conditions of affiliation of any affiliated college it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post-graduate classes to maintain intermediate classes simultaneously with post-graduate classes."

और आगे उपधारा (३) इस प्रकार है---

"(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination."

जहाँ तक उपधारा २ का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल से शिक्षा मन्त्री जी का मतलब यह है कि जो कालेज आज तक इण्टरमीडियेट के लिए शिक्षार्थी तैयार करते थे और डिग्री और पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज भी चलाते थे वह या तो पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज निकाल दें, या इण्टरमीडियेट क्लासेज निकाल दें, लेकिन धारा में यह है कि भविष्य में जो भी बी० ए० वगैरा की डिग्री देते थे वे इण्टरमीडियेट न रखेंगे। तो आगरा युनिवर्सिटी की तो वही परिस्थिति है जैसा कि स्वयं मन्त्री जी ने कहा था कि अगर आगरा में जाकर कोई मालूम करे कि आगरा यूनिवर्सिटी कहाँ है तो लोग उसको पागल ही समझेंगे। मिसाल के तौर पर मैं फैजाबाद की अपने यहाँ की ही बतलाता हूं कि वहाँ एक कालेज है, जिस में पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज नहीं हैं महज डिग्री क्लासेज हैं, सिर्फ बी० ए०, बी० एस सी के क्लासेज हैं, और वहाँ विद्यार्थियों की इतनी कम संख्या होती है कि जितने भी अध्यापक वहाँ होते हैं, उनका वेतन भी मुश्किल से पूरा होता है, क्योंकि हमारे शिक्षा मन्त्री की सरकार में एक फीस ही ऐसा जरिया है, क्योंकि सरकारी सहायता तो केवल नाम मात्र को

ही होती है। तो क्या यह विषय विचाराधीन नहीं है कि भविष्य में अगर पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज हटाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था भी कायम रखी जाय कि भविष्य में पोस्ट ग्रैजुएट न रखे जायं। लेकिन डिग्री और इन्टरमीडियेट एक साथ रखे जायं। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई बहस ज्यादा नहीं है। सचमुच यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इण्टरमीडियेट क्लासेज और पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज एक साथ न रखे जायं। इस पर भिन्न-भिन्न लोगों के मत है। एक मत है कि स्टैन्डर्ड इस तरह से गिर जाता है, वहीं पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर एम० ए० और बी० ए० पढ़ाने वाले अध्यापकों की संगत इण्टरमीडियेट वालों को मिल जायगी तो उससे हो सकता है कि उनकी शिक्षा का स्टैण्डर्ड और बढ़ जाय और उनको मौका मिल सकता है कि वह इन्टरमीडियेट के विद्यार्थी होते हुए भी डिग्री और पोस्ट ग्रैजुएट के अध्यापकों से भी लाभ उठा सकें। इसका एक उदाहरण काशी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है, इण्टरमीडियेट कालेज सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल का है, जहाँ कि विद्यार्थियों को इससे एक विशेष लाभ पहुंचता है। लेकिन खैर इस वाद-विवाद में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। आगरा युनिवर्सिटी की विशेष परिस्थिति देखकर और जिसके कि अफिलियेटेड कालेजेज प्रदेश भर में फैले हुए हैं, उसमें पोस्ट ग्रैजुएट तथा इण्टरमीडियेट तो एक साथ न हों, लेकिन डिग्री क्लासेज और इण्टरमीडियेट तो एक साथ रहने चाहिए। इस से आर्थिक दृष्टिकोण से भी संचालन अच्छा होगा और उसूलों के मातहत भी माननीय शिक्षा मन्त्री को कोई आपत्ति न होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं दिक्कतों को मानते हुए वह पहले के कालेजेज में इण्टरमीडियेट और डिग्री क्लासेज को रखना चाहते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। यह ठीक है जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय कहते हैं कि स्टैण्डर्ड कम न हो जाय। इसलिए वह चाहते हैं कि इण्टरमीडियेट कालेजेज डिग्री कालेजेज से अलग हों। लेकिन मैं तो शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देखा है। क्योंकि हमारे यहाँ जगह-जगह जिलों में डिग्री कालेजेज हैं, और वह डिग्री कालेज, गवर्नमेंट की सहायता से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की सहायता एक किस्म से नगण्य सी मिल सकती है, बल्कि लड़कों की फीस से चलते हैं और इण्टरमीडियेट क्लासेज में अधिक विद्यार्थी होते हैं जिनके कारण उन कालेजों को अधिक पैसा मिल पाता है और वे कालेज सुचारु रूप से चल पाते हैं। बहुत से कालेजों की ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहाँ पर वह प्रोफेसरों को और लेक्चरर्स को नियमित समय पर वेतन भी नहीं दे पाते हैं। अगर आप इण्टरमीडियेट क्लासेज अलग निकाल देते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और भी खराब हो जायगी।

दूसरे दृष्टिकोण से यह तो कुछ माना भी जा सकता है जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी कहते हैं लेकिन जहाँ तक कि साइंस कालेजेज से मतलब है वहाँ पर साइंस के विद्यार्थियों को यह मौका मिलता है कि जो प्रोफेसर और लेक्चरर बी० एस–सी० और एम० एस–सी० के छात्रों को पढ़ाते हैं अगर वह इण्टरमीडियेट क्लासेज के छात्रों को भी कभी-कभी पढ़ा देते हैं, तो इससे उनके ज्ञान में ज्यादा वृद्धि होती है, तो वह इस दृष्टिकोण से भी देखें, और फाइनेंशियल दृष्टिकोण को भी सामने रखें। बी० एस–सी और एम० एस–सी० के पढ़ाने वाले प्रोफेसर और टीचर जो हैं, अगर इण्टरमीडियेट के छात्रों को कभी-कभी हफ्ते में एक बार भी पढ़ा देते हैं तो उस से छात्रों के ज्ञान में अधिक वृद्धि होती है, और उस से उन लड़कों की शिक्षा का स्टैण्डर्ड बढ़ेगा, घटेगा नहीं।

इसलिए जो संशोधन यहाँ पर रखा गया है, आर्थिक दृष्टिकोण के विचार से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी स्टेट के अन्दर इतना पैसा तो नहीं है, कि प्रत्येक डिग्री कालेज को वह पूरी मदद दे सके। इसलिए बाद को ऐसी परिस्थिति आयेगी, कि बहुत से डिग्री कालेजज जो कि इस समय फीस से चलते हैं, उनका चलना कठिन हो जायगा और दूसरा सवाल आयेगा एकोमोडेशन का, इसकी भी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी जगह आप डिग्री कालेजेज अलग कर देंगे, तो आपके इण्टरमीडियेट क्लासेज को रखने के लिए भी वहाँ पर स्थान नहीं रहेगा। इस समय गवर्नमेंट के सामने यह प्रश्न आयेगा कि उनको रखने के लिए भवनों का क्या प्रबन्ध किया

[श्री गङ्गाधर मैठाणी]

जाय। या तो आपको इण्टरमीडियेट तोड़ना पड़ेगा, या बी० ए० और एम० ए० तोड़ना पड़ेगा। यह दिक्कत आपके सामने आयेगी। आपने मुरादाबाद वगैरह में देखा होगा कि बहुत से डिग्री कालेजेज हैं, जहाँ कि डिग्री कालेज और इण्टरमीडियेट कालेज की बिल्डिंग एक ही है। अगर आप उनको अलग कर देते हैं, तो भवन की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जायगा। इसके कारण मैनेजमेंट की भी दिक्कत बढ़ेगी, और स्कूलों तथा डिग्री कालेजों की उचित व्यवस्था में भी कठिनाई होगी, साथ ही शिक्षा का प्रसार भी एक दफे रुकेगा, और खुद शिक्षा मन्त्री को भी विशेष कष्ट और भार उठाना पड़ेगा।

इस लिए मैं चाहता हूं कि आप इस संशोधन पर सोचिये और कम से कम फिलहाल के लिए (टेम्पोरेरिली) अगर स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश का लाभ होगा और उन का लाभ होगा, जो कि रेजिडेंश्यल युनिवर्सिटी, इलाहाबाद में पढ़ नहीं सकते हैं। वह भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शहर में ठहर कर बी० एस०-सी०, एम० एस०-सी० हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर मैं समझता हूं कि इस से बहुत अधिक लाभ होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय विष्णु दयाल जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमारे प्रान्त में बहुत से ऐसे कालेजेज हैं, जो कि इण्टरमीडियेट कालेज हैं देहातों में। शहरों में जो कालेज हैं, उनमें तो डिग्री क्लासेज क्या, पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज भी ली जाती हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर इण्टरमीडियेट कालिज हैं और अगर उनको डिग्री क्लासेज तक बढ़ा दिया जायगा तो हमारे गाँव के रहने वालों का भला होगा। जिन विद्यार्थियों के लिए नौकरी के लिए आगे पढ़ना बहुत आवश्यकीय है, उन्हें भी ग्रेजुएट होने का मौक़ा मिलेगा। हमारे प्रान्त में ऐसे डिग्री कालेजेज तो होंगे ही। उस दिन भी माननीय मन्त्री ने कहा था कि हम अपने प्रान्त में इस चीज को डिस्करेज करना चाहते हैं, कि इन्टरमीडियेट कालेज के साथ बी० ए० क्लासेज रहें, और ऐसी नीति रखना चाहते हैं, जिससे आइन्दा ऐसे कालेज न बढ़ें, और यह भी करेंगे कि पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज के साथ जहाँ इण्टरमीडियेट क्लासेज भी हैं तो इण्टरमीडियेट क्लासेज को हटा लेंगे। तो हमारा कहना यह है कि जब तक कि कोई नयी शिक्षा की पालिसी निर्धारित न हो जाय, तब तक के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया जाता कि आइन्दा के लिए जो इण्टरमीडियेट कालेज, डिग्री क्लासेज खोलना चाहें तो उन्हें युनिवर्सिटी अफिलिएशन नहीं देगी। इससे शिक्षा में बड़ी रुकावट होगी।

मुझे बड़ा अफसोस है। कल परसों से जो विवाद इस सदन के अन्दर हो रहा है उसमें हमारे माननीय शिवनारायण जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वह भी शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। मैं तो बहुत विषयों पर उनकी राय जानना चाहता था क्योंकि वह बहुत अवलोकन किया करते हैं उनके यहाँ भी शायद दिक्कतें पड़ जायं। और भी बहुत से भाई हैं, जो कि महसूस करते होंगे कि बहुत से इण्टरमीडियेट कालेजेज को बी० ए० क्लासेज में टर्न कर देना अच्छा है। उन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मुमकिन है कि हमें क्वालिफ़ाइड आदमी न मिलें। लेकिन उसका भी स्टेज आ जायगा और इस कानून में कोई संशोधन भी कर दिया जायगा। यदि माननीय मन्त्री जी आगे के लिए ऐसा प्रतिबन्ध न लगायें, या थोड़े साल के लिए बढ़ा दें तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है और कोई प्रेस्टीज का भी सवाल नहीं है। अगर वह समझते हैं कि इस से हमारे प्रान्त का फ़ायदा हो सकता है तो वह इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि आज जो इतने इण्टरमीडियेट कालेज खुले हुए हैं, जहाँ पर वे चाहते हैं कि डिग्री कालेज खुल जायं, तो उससे बड़ा इण्डिस्पिलिन फैल जायगा। विधेयक

में जो चीज रखी गयी है, वह बड़ी सुन्दर है। मैं उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि आज प्रान्त में जो इण्डिसिप्लिन फैल रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और बड़ा गड़बड़-सड़बड़ होता है। डिसिप्लिन नहीं रहता। यह हंसने की बात नहीं है। यह मैंने एक बड़ी साईकालोजिकल बात कही, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात आपको बतायी। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है। देश की डिमाण्ड है कि नयी प्रणाली प्रचलित हो। वह रिपोर्ट में आने वाली है और जब आ जायगी तो शिक्षा के ढांचे में बहुत बड़ा सुधार होगा। आज अच्छे से अच्छे लेक्चरर्स की जरूरत है, अच्छे से अच्छे विद्वानों की जरूरत है जिनको कि हम बड़े बड़े डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों में लगायें। ऐसे विद्वानों के पैदा करने की कोशिश में मैं आप के साथ हूं। पैसे की कमी अगर होगी गवर्नमेंट चाहेगी तो वह ऐसे विद्वान् पैदा करेगी और उसके लिये उसे पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं आपको यह गवर्नमेंट की तरफ से विश्वास दिलाता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं समझता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मानी में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें। इसमें ऐसा रखा है कि कुछ कालेजेज ऐसे होंगे जो कि इण्टरमीडिएट क्लासों को रखते हुए डिग्री कालेज तक चलेंगे और बाकियों के ऊपर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वे डिग्री कालेजेज नहीं हो सकेंगे। मैं जहां तक समझता हूं इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि अगर कोई इंटरमीडिएट कालेज है, जैसा कि मेरे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि बहुत से देहातों में इंटरमीडियेट कालेजेज खुल रहे हैं, उनमें अफीलियेशन की शर्तों को आप कड़ा कर दीजिए जैसे कि वहां पर अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हों, उनका स्टैण्डर्ड ऊंचा हो, लेकिन यह कि आगे चल कर वह कालेज डिग्री कालेज न हो सकें यह ठीक नहीं है। जब कि हमारे ही प्रान्त में, मैं यह कह सकता हूं, बहुत से ऐसे डिग्री कालेजेज हैं जिनको कि अफ़ीलियेशन नहीं मिलना चाहिये था, उनको अफ़ीलियेशन मिला है और जिनको मिलना चाहिये था उनको किसी कारण से नहीं दिया गया है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि बड़ी मुनासिब बात यही होगी कि आप अफ़ीलियेशन की शर्तों को कड़ी से कड़ी रखें लेकिन यह प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है कि आगे कोई इण्टर-मीडियेट कालेज डिग्री कालेज नहीं हो सकेगा।

मैं यह भी समझता हूं कि आगे चलकर आप जहां पर कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चल रहे हैं जिनकी तादाद सिर्फ़ उंगलियों पर गिनने भर की है जैसे आगरा कालेज और मेरठ कालेज हैं। उन्हें भी उस हालत में कायम रखेंगे जैसे कि आज आप डिग्री कालेजों को रखने जा रहे हैं, अगर आप इनमें से इंटरमीडियेट क्लासेज को हटायेंगे तो उससे बड़ी दिक्कत आवेगी। आज हमें हजारों की तादाद में इंजीनियर्स की जरूरत है, टैक्निकल बिशेषज्ञों की जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम और आप बैठकर ठंडे दिल से गौर करें तब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो इंटर-मीडियेट क्लासेज चल रहे हैं उनमें जरूर हम डिग्री कालेज तक अफीलियेशन दें। लेकिन वहीं तक जहाँ तक कि हम मुनासिब समझें हम शर्तें लगा दें, लेकिन एक प्रतिबन्ध यह न लगावें कि आज तक जिन इंटरमीडियेट कालेजेज को अफिलिएशन मिल गया, है, वह तो ठीक है, लेकिन आइन्दा एक भी इंटरमीडियेट कालेज आफिलिएशन नहीं पा सकता। यह प्रतिबन्ध मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा और इसीलिये मैं इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं जो इस सदन में पेश किया गया है। प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट कालेजेज जो डिग्री क्लासेज के लिए अफिलिएशन की दरख्वास्त दें, उनको मान्यता दी जाय या न दी

[श्री नवल किशोर]

जाय ? श्रीमन्, यह एक बुनियादी प्रश्न है और मुझे ताज्जुब हुआ जब उपाध्याय जी ने विशेष तौर से इसका समर्थन किया। यह प्रश्न आज का नहीं है। आज से ४० वर्ष पहले जब कलकत्ता युनिवर्सिटी कमीशन बैठा था तब भी उनकी मुख्य सिफारिश यह थी कि इंटरमीडियेट क्लासेज को डिग्री क्लासेज से अलग कर दिया जाय। होता यह है कि पहले हाई स्कूल होता है, उसके बाद इंटरमीडियेट बन जाता है और करीब-करीब स्टाफ वही होता है और वही स्टाफ जब डिग्री क्लासेज वहाँ खोले जाते हैं तब डिग्री क्लासेज को भी पढ़ाता है जिसके कारण शिक्षा का स्तर काफी नीचे गिर जाता है।

इसके अलावा श्रीमन्, दूसरा प्रश्न यह भी है कि इस युग में जब कि इतनी तेजी से एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट बढ़ रहा है, तो इस तरह से मशरूम क्लासेज को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी सिलसिले में शहर और देहात का सेंटीमेंट भी कुछ माननीय मित्रों ने यहाँ पर पेश किया। मैं समझता हूं कि इसमें शहर व देहात का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इंटरमीडियेट क्लासेज के रखने से स्टैण्डर्ड गिरता है या नहीं ? मैं श्रीमन्, अधिक न कह कर विरोधी दल के माननीय सदस्यों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने भी यही स्पष्ट कहा है कि इंटरमीडियेट क्लासेज को डिग्री क्लासेज से फौरन सेप्रेट कर दिया जाय और किसी भी ऐसे कालेज को ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिये जिसमें इंटरमीडियेट क्लासेज हों क्योंकि उससे बहुत ही लो स्टैण्डर्ड के स्टूडेण्ट्स डिग्री क्लासेज में आते हैं और सिवाय इसके कि उनकी तादाद दिन-दिन बढ़ती जाती है और कोई अधिक लाभ नहीं होता है। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि कम से कम शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इंटरमीडियेट क्लासेज को डिग्री कालेज से अलग रखना चाहिये और कम से कम जहाँ तक नये डिग्री कालेजेज की बात है उनको उनमें से कोई मान्यता प्रदान करने का प्रश्न उठता ही नहीं है जिनमें इंटरमीडियेट क्लासेज अलग न हों।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, शिवनारायण जी तो चले गये, उन्होंने आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा की और अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने भी चर्चा की। क्या माननीय मंत्री जी थोड़े में यह बतायेंगे की आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी पर निर्धारित जो सिफारिशें हैं, उसके मुताबिक क्या वे संगठन करने जा रहे हैं ? जो उनका (सरकारी शिक्षा बोर्ड) है उसने बहुत सफाई से कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की पढ़ाई जिस तरीके से पहले होती थी उसी तरीके से हो, वह आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की राय से सहमत नहीं है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायें कि आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वे शिक्षा का संगठन करने जा रहे हैं, तो कुछ और सोचा जा सकता है। मगर जब उनका बोर्ड यह कहता है कि हाई स्कूल पहले की तरह से चले और इंटरमीडियेट के दो क्लासेज पहले की तरह चलें, और डिग्री क्लासेज पहले की तरह से चलें, तो आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी का हवाला बार बार लाना उचित नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह--किसने कहा ?

श्री राजनारायण--अभी-अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कहा और माननीय शिवनारायण जी ने कहा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो आचार्य जी की रिपोर्ट है .....

श्री शिवनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर सर आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट की जिस बात के बारे में मैं कह रहा था उसका जिक्र इसमें नहीं है। मैंने एक हवाले के तौर पर कहा कि भविष्य में शिक्षा पर सुधार होने वाला है तो शायद सरकार उसे मान ले।

श्री उपाध्यक्ष--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री राज नारायण--मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि हमारे ठाकुर मलखान सिंह जी ने कह ही दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण ध्यानपूर्वक सुना। मुझे बड़ा दुख हुआ कि माननीय मंत्री जी अपने देश की तुलना उन देशों से करना चाहते हैं जो शिक्षा में हमसे बहुत अधिक आगे हैं। इसलिये वह क्वाँटिटी को बिल्कुल छोड़कर क्वालिटी की तरफ अधिक जाना चाहते हैं।। लेकिन मैं समझता हूं कि इंटरमीडियेट के लड़के पोस्ट ग्रेजुएट वाले लड़कों के साथ पढ़ते हैं तो उनका स्टैण्डर्ड आटोमेटिकली ऊंचा हो जाता है। नहीं मालूम, हमारे शिक्षा मंत्री जी किस तरह से कहते हैं कि उनका स्टैन्डर्ड गिरता चला जाता है। दूसरी बात यह है कि इस धारा में यह भी प्राविजन किया जा रहा है कि यहाँ २ तरह के कालेजेज होंगे, एक तो वे जिनमें डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज होंगे और दूसरी तरह के वे जिनमें इंटरमीडियेट और डिग्री क्लासेज होंगे। तो फिर भविष्य में उन इंटर वाले कालेजेज पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, जो आगे के लिये डिग्री क्लासेज के लिये एफीलिएशन चाहेंगे। यह प्रतिबन्ध हमारे प्रांत की शिक्षा के लिये घातक होगा। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह स्टैण्डर्ड ही बढ़ाना चाहते हैं तो सब कालजेज को बन्द करके नये तरीके से कालेजेज खोलें तो अच्छा हो अतः मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री तहेदिल से सोचकर उचित व्यवस्था करें ताकि हमारे प्रांत की शिक्षा आगे बढ़े।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, इस प्रश्न के २ अंग हैं, एक तो यह कि जहाँ इंटरमीडियेट हो वहां पोस्ट ग्रेजुयेट स्टडीज हों या न हों और दूसरा यह कि इण्टरमिडीयेट और डिग्री कालेजेज खाली बी०ए० तक हों वहाँ उनका क्या सम्बन्ध होगा जो वादविवाद हुआ उससे मुझे ऐसा आभास तो होता है कि जहाँ तक इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट का सम्बन्ध है उसके बारे में सब लोग एक राय के हैं कि दोनों का एक ही कालेज में रहना शायद ठीक नहीं है। जैसा कि इस विधेयक में प्रोवाइड किया गया है, इसके पास हो जाने के बाद और उस निश्चित समय के बाद हर कालेज को जिसके पास इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हैं यह तय करना होगा कि यह आया वह इंटरमीडियेट को अपने यहां से पृथक् करें या पोस्ट ग्रेजुएट को। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आपस में कोई वादविवाद नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि इंटरमीडियेट और डिग्री कालेजेज को रखा जाय या न रखा जाय। इसमें मैं समझता हूं कि हमें अपने दिमाग साफ कर लेने चाहियें। इसमें तो संदेह नहीं कि विरोधी नेता ने यह प्रश्न उठाया है कि अगर सरकार भवन में कहने के लिये तैयार है कि सेकेंडरी एजूकेशन इंक्वायरी कमेटी की--आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट को अगर सरकार मान लेती है तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। अगर नहीं तो ज्यों की त्यों यह चीज रखी जाय और ईटर कालेजेज डिग्री कालेजेज हो जांय, चाहे पोस्ट ग्रेजुयेट कालेज के खोलने की अनुमति न दी जाय लेकिन बी० ए० के खोलने की इजाजत दे दी जाय। ऐसा विचार नेता विरोधी दल की तरफ से रखा गया है। यह प्रश्न तो सरकार के विचाराधीन है कि हम इस रिपोर्ट के प्रति क्या कदम उठायें। लेकिन इतना मैं आप से कह देना चाहता हूं कि सरकार इस निर्णय पर तो पहुंच गयी है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको हमें परिवर्तित करना है।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि आया वह परिवर्तन उसी दिशा में होंगे जिसकी ओर कमेटी ने निर्देश किया है, या सुझाव रखे हैं, या फिर उन में उलट फेर होगी। इसी विषय पर आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी और मुड़ालियर कमेटी बैठी थीं और दोनों की रिपोर्ट्स

[श्री हरगोविंद सिंह]

प्रकाशित हो गयी है और क़ानून में यह आवश्यक था कि इसमें बोर्ड की राय ले ली जाय इसलिये वह वहाँ भेजी गयी है। अखबारों में तो मैंने देखा है लेकिन अभी तक विभागीय तौर पर वह हमारे पास नहीं आई है। हम इस पर विचार करेंगे। यह तो निश्चित है कि हम इस पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं।

अब, प्रश्न यह है कि एक ओर तो आप इस बात का प्रयत्न करें कि इसमें परिवर्तन हो जाय। इसके लिये संदेह नहीं कि काफी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका भी प्रबन्ध किया जाय और दूसरी ओर हम इस समस्या को बढ़ाते जांय तो दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। अगर आप इस समस्या पर किसी प्रकार से हाथ में लेकर काबू पाना चाहते हैं तो एक बात मैं माननीय सदस्यों से स्पष्ट कह दूं कि मैं आपके इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि बड़ा भारी अनर्थ हो जायगा अगर हम इंटर कालेजेज को डिग्री कालेजेज होने की अनुमति न दें, ऐसा कम से कम मेरा विश्वास नहीं है।

आप जानते हैं कि पहले जो कमेटी १९३९ या ४२ में सम्पूर्णानन्द कमेटी के नाम से बैठी थी जिसके प्रमुख सदस्य आचार्य जी थे उस वक्त में आगरा युनिवर्सिटी में ९ कालेज थे। उसने उस समय भी यही कहा था कि यह प्रथा बंद होनी चाहिये। इसके बाद १९४२ तथा १९४६ में एक यूनिवर्सिटी रिप्रेजेण्टेटिव कमेटी बैठी थी जिस को हमारे पूर्वाधिकारियों ने बिठाया था जिसमें हमारे सारे प्रांत की यूनिवरसिटीज के प्रतिनिधि थे, उसने भी यही कहा था कि धीरे धीरे सब इसी ढांचे में आजायं और किसी इंटरमीडियेट कालेज को डिग्री कालेज के लिये अनुमति न दी जाय। जैसा कि मैंने उस रोज कहा था कि अगर किसी पर हम और आपको संतोष हो जाय कि शिक्षा की बड़ी भारी सेवा की है, चाहे योग्यता हो या न हो, जितना शिक्षा का स्तर होना चाहिये उस स्तर पर वह पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन उनको उपाधि दे दी जाय मैंने जैसा कि उस दिन कहा था कि यदि हम इसको दोहराना चाहते हैं तो यह नीति हमारे देश के लिये बड़ी घातक सिद्ध होगी और ऐसे अधपके बी० ए० निकलेंगे जो हमारे देश के लिए एनीमी नंबर वन होंगे। इसलिये हम उनकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुझे कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में यह बात समझ में नहीं आती कि यह कहा जाय कि सरकार को जितना देना चाहिये उतना वह नहीं दे सकती। मान लीजिये कि हमारा प्रांत ग़रीब है अगर उतना रुपया शिक्षा के लिये नहीं दे सकता है जितने की आवश्यकता है तो फिर क्या उसका अर्थ यह है कि हम सब लोगों को ग़लत और बुरी शिक्षा दे डालें। इससे न सरकार का, न देश का ही स्तर ऊंचा और विद्यार्थियों का ही इसमें कोई भला होगा। बल्कि एक माने में स्तर और नीचा होता जायगा। हमारे प्रांत में बहुत से ऐसे कालेजेज हैं जो इंटरमिडियेट की फ़ीस पर डिग्री कालेज रखे हुये हैं लेकिन फिर भी इस विधेयक में हमने इस बात का प्रबंध रखा है कि जो इस वक्त इंटरमीडियेट कालेजेज डिग्री कालेजेज हैं वे रहेंगे। उनमें रद्दोबदल न होगी। यह तो केवल आगे के लिये रखा गया है कि जो कालेजेज इंटरमीडियेट हैं वे डिग्री कालेज न हो पायें।

मैं कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि शिक्षा का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र बन जाय, जिसमें यह देखा जाय कि मुनाफा हो रहा है या नहीं। लेकिन यह बात सही है कि यह व्यवसाय का क्षेत्र होता जा रहा है। अगर आप मेरे दफ्तर में आयें तो मैं आपको दिखाऊं कि जिसको कोई काम नहीं मिलता है वह स्कूल खोल लेता है। उसके पास न कोई इमारत होती है, न कोई सामग्री होती है और स्कूल खुल जाता है। कोई फोर्थ में फेल हो गया, कोई सिक्स्थ में फेल हो गया, उसने फीस दी और फार्म उसका भर दिया कि यह पढ़ा हुआ नहीं है तथा इस प्रकार से हाई स्कूल में प्राइवेट तौर पर इम्तहान दिला दिया। वे किस प्रकार से पास हो जाते हैं यह तो आप जानते ही हैं। अगर आप इसी को शिक्षा की संज्ञा देना चाहते हैं तो मैं इसको नहीं मान सकता। इस प्रकार से हम शिक्षा का प्रसार नहीं करते बल्कि उसको बिगाड़ते हैं। उसको पंगु बनाते हैं।

कोई किसान है जिसके पास १००,२०० बीघा जमीन है, उसके लड़के ने बी०ए० पास कर लिया तो वह १००,१२० रुपये की नौकरी के लिये मारा मारा फिरता है। किस लिये? इसलिये कि वह पंगु हो गया है। वह उस कार्य को करना अपनी बेइज्जती समझता है। घर वाले समझते हैं कि पढे लिखे खेत क्या कर सकते हैं। एक साहब हैं जिनके पास दो ढाई सौ बीघा का फार्म है। उनके लड़के ने एग्रीकल्चर में बी०ए० पास किया था। वे उसको लेकर मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि आपके पास तो फार्म है। इस पर उन्होंने कहा कि फार्म का काम तो मैं चला ही रहा हूं, यह वहाँ कर ही क्या सकता है। वे समझते हैं कि इसे जो शिक्षा दी गयी है उससे इस फार्म के उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इस शिक्षा के द्वारा हम पंगु बनाते जा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा से हामारे देश का अहित ही होगा। क्या इस प्रकार की शिक्षा से आपने उनको काबिल बनाया? नहीं, न तो वे काबिल ही बने और न दूसरे देशों के मुकाबिले में वे खड़े ही हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो काम वे करते थे उसको भी छीन उनको पंगु बना दिया। इसलिये इसके द्वारा हम इस ओर कुछ नियंत्रण लगाना चाहते हैं और उस बीच में शिक्षा विधि में कुछ वाँछनीय परिवर्तन करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है। अतः मैं समझता हूं कि सदन इस संशोधन को अस्वीकार कर देगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० में नई धारा २४ की उपधारा (3) की तीसरी पंक्ति में शब्द "affiliated" तथा शब्द "if" के मध्य में शब्द "for post-graduate classes" रख दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन ४९–क अ तथा ४९–क के स्थान पर अब निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:

"खंड २० में प्रस्तावित नयी धारा २४ की उपधारा (2) के परंतुक की अंतिम पंक्ति में अंतिम शब्द 1956-57 के स्थान पर 1960-61 कर दिया जाय।"

मेरे संशोधन के कर देने से यह परंतुक इस प्रकार पढ़ा जायगा:

"Provided that any such college which on the first day of July, 1953, was maintaning simultaneously Intermediate and post-graduate classes may,at its option, continue both the Intermediate and post-graduate classes, so, however, that one or the other of these classes shall cease to be maintained before the expiry of the academic year 1960-61."

अब तक १९५६–५७ है। इसके पूर्व के संशोधन में कि पोस्टग्रेजुएट क्लासेज एक साथ रहें या अलग-अलग इस पर भवन के सभी सदस्यों ने काफी दिलचस्पी ली और जहाँ तक हम विरोधी दल के लोगों का सम्बन्ध है हमने भी यही कहा कि यह समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इसलिये हम ज्यादा जोर नहीं देना चाहते थे उस पर लेकिन जो हमने संशोधन अब रखा है कि ५६–५७ के स्थान पर ६०–६१ कर दिया जाय तो उसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक साल का मौका दे रही है और सिर्फ ५५ में ही दाखिला हो सकेगा। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होगी। मिसाल के लिये सेंट जाँस कालेज, आगरा, आगरा कालेज, आगरा और बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा उन पर अगर यह व्यवस्था लागू कर दी जाय तो कम से कम एक हजार साइन्स के विद्यार्थी ऐसे होंगे जो साइन्स की पढ़ाई से वंचित रह जायेंगे। मेरा संशोधन यह है कि यह व्यवस्था पाँच साल तक और चलती रहे। उसमें सभी के लिये आसानी होगी। जो इंटरमीडियेट क्लासेज अलग होंगे वे पूरी तौर से स्टैबिलाइज कर सकेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लोग भी समझ लेंगे कि इंटरमीडियट क्लासेज की फीस नहीं आयगी और वह अपनी व्यवस्था कर लेंगे। सरकार

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

को भी सुविधा होगी कि इन पाँच सालों के लिये मजबूर किया जाय चाहे इंटरमीडियेट क्लासेज को सहायता दे कर चाहे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को सहायता देकर, सब्सिडाइज कर दे और मैं समझता हूं इसमें माननीय शिक्षा मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं एक साल की सुविधा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेपरेशन में ५ साल का समय हो जिसमें हर पार्टी को सुविधा हो और कोई ऐसी गड़बड़ उत्पन्न न हो जिसकी आशंका है।

श्री हर गोविंद सिंह—जैसा मैंने कहा इस विधेयक के इस खंड में दो प्रश्न हैं जिनमें एक प्रश्न पर मैं भी समझता था कि जहाँ तक इंटरमीडियेट और पोस्ट ग्रेजुएट का सम्बन्ध है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि उन दोनों का आपस में एक ही जगह रहना ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं तो समझता था कि भवन पूर्णतया सहमत है। मैं अपने मित्र श्री त्रिपाठी जी को बतलाऊं कि इस सम्बन्ध में शिक्षा विशेषज्ञों में किसी का भी मतभेद नहीं है कि इंटरमीडियेट और ग्रेजुएट दोनों क्लासेज को एक जगह नहीं रहना चाहिये। इसमें करीब-करीब सब एकमत हैं कि इन दोनों का इकट्ठा रहना यह शिक्षा के लिये श्रेयस्कर नहीं है। इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। इससे कोई बड़ी भारी आर्थिक समस्या भी सामने नहीं आयेगी। जिसके पास इंटरमीडियेट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री कालेज हैं वह पोस्ट ग्रेजुएट क्लास को निकाल देगा। मैं समझता हूं कि बहुत से कालेज ऐसे हैं जो इंटरमीडियेट और डिग्री कालेज रखेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट निकाल देंगे। तो इसमें कोई आर्थिक बात भी नहीं आती सिवा इसके कि कुछ टीचरों का जरूर नुकसान होगा। और मैं तो समझता हूं कि अभी तक उन्होंने जो उसका फायदा लिया तो वही क्या कम था। उनको नुकसान होगा उसके लिये मुझे दुख है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी को कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो और उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, उस पद्धति में परिवर्तन हो जिससे हम अच्छाई की आशा कर सकते हैं तो उनको सहर्ष अपने इस त्याग को मजबूरन स्वीकार करना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि इतने दिन तक जो विलम्ब हो गया वही बहुत काफी है। सन् ४०,४२ में जो रिपोर्ट निकली वह अब कहीं जाकर सन् ५३ में आयी। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को इस्तीफा न देना पड़ा होता, अगर बीच में ऐसे आन्दोलन नहीं उठ जाते तो जो यह रिफार्म था वह कभी का हो गया होता। अब इतने दिनों के बाद फिर इस दूषित प्रणाली को ५ वर्ष का जीवन दिया जाय, वह मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं उसको मंजूर नहीं कर सकता सन् ५६-५७ में ही यह चीज हो जानी चाहिये।

श्री मलखान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बहुत से कालेज उनकी राय में यह पसन्द करेंगे कि वे अपने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट क्लास अलहदा कर दें और सिर्फ डिग्री क्लास ही रखें। मैं बड़ी नम्रता के साथ उनसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आगरा कालेज है, सेंट जान्स कालेज है, या मेरठ कालेज है या दूसरे बड़े-बड़े कालेजेज हैं जिनका नाम आपने आटोनामस दे रखा है, मैं समझता हूं कि वे कभी इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि उनके यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट क्लास हटा दिये जांय।

श्री हर गोविन्द सिंह—मैंने बहुत से कालेजों के लिये कहा। उनका नाम मैंने नहीं लिया।

श्री मलखान सिंह—लेकिन वे भी तो बड़े-बड़े कालेज हैं जिनके यहाँ आज तक अगर देखा जाय तो कभी इंटरमीडियेट के स्टूडेण्ट्स का कोई नुक्सान नहीं हुआ, बल्कि उनका स्टैण्डर्ड बढ़ा और उनको किसी तरह की हानि नहीं पहुंची। तो ऐसी संस्थाओं के लिये अगर आप टाइम नहीं देते हैं जो कि मिलना चाहिये ताकि वे अपने यहाँ से इनको हटा दें। नहीं तो इंटरमीडियेट कालेज से साइंस के जो स्टूडेण्ट्स निकलेंगे, अकेले आगरा शहर के ही कम से कम १ हजार ऐसे स्टूडेण्ट्स होंगे जो मारे-मारे फिरेंगे तथा बहुत से टीचर्स

भी बेकार हो जायंगे। इससे अनएम्प्लायमेंट भी फैलेगा। मैं समझता हूं कि न्याय संगत बात यह है कि आप उन बड़े-बड़े कालेजों को जिनको आटोनामस कहते हैं कुछ समय दें। सन् ६०-६१ न करके अगर आप ५९-६० तीन साल का ही वक्त दे दें ५६-५७ की जगह पर, तो मैं समझता हूं कि यह न्यायोचित ही होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन तो बिलकुल साफ है और इस सम्बन्ध में यहाँ पर काफी विवाद हो चुका है। मैं तो यह महसूस करता था कि इससे काफी दिक्कतें होंगी। ऐसे-ऐसे कालेजों के बहुत से टीचर्स तथा आगरा यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोशियेशन के भी कुछ लोग हम लोगों के पास आये थे और मुझे मालूम हुआ कि वे लोग माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भी आये थे। तो मुझे यह पता लगा था कि मुख्य मंत्री जी विशेष प्रभावित हुये और उन्होंने वास्तव में दिक्कतों को महसूस किया। दलील तो दोनों तरफ से दी जा सकती है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर किसी प्रकार समझौता कर लिया जाय और बजाय २ साल के ३ साल रख दिया जाय तो वह ३ साल को मानने के लिये तैयार हो सकते हैं। अगर दोनों के बीच समझौता हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--समझौते की बात नहीं है और इन्तजाम भी सोचने की बात है। आप उसको प्रैक्टिकल तरीके पर सोचें कि आखिर क्या संख्या मान ली जाय जैसा कि हमारे मित्र मलखान सिंह जी ने कहा कि ऐसे कालेज हैं जो अपने यहां से ग्रेजुएट क्लासेज को हटाना नहीं चाहते हैं। मान लीजिये ऐसा है कि इण्टरमिडियेट को अपने यहां से अलग कर के एक दूसरी प्रबन्ध कारिणी कमेटी बना देंगे और उसमें वास्तव में यह होगा कि इण्टर वाले टीचर पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज को नहीं पढ़ा पायेंगे। यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आप यह देखेंगे कि उससे यह होगा कि टीचर इण्टरमीडियेट को पढ़ा लेते हैं बी० ए० को पढ़ा लेते हैं और पोस्ट ग्रेजुयेट को पढ़ा लेते हैं वह इस तरह से करते रहेंगे। आप को शायद मालूम नहीं कि बहुत जगहों पर ऐसा है कि ऐसे भी पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर हैं जिन्होंने कोई परीक्षा भी पास नहीं की है और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं एम० ए० भी नहीं हैं। तो जब यह कार्यान्वित होगा तो उसमें इतना अन्तर पड़ जायगा कि वे टीचर सब जगह नहीं पहुंचेंगे। जो इण्टर के टीचर हैं वे अलग हो जायंगे और जो बी० ए० के हैं वे अलग हो जायंगे। तो इसमें समय देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मलखान सिंह--पोस्ट ग्रेजुएट के जो टीचर हैं वे इतने मिलते हैं कि इंटर वाले उनको ले लेंगे और इससे उनको फायदा पहुंचेगा।

श्री हर गोविन्द सिंह--अगर ऐसा होता तो ठीक था। मगर इस प्रकार की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २० में प्रस्तावित धारा २४ की उपधारा (2) के परन्तुक में अंक "1956-57" के बजाय "1960-61" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २० में धारा २४ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, a college, not being a college intended exclusively for the education of women, shall not be affiliated after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, if it maintains classes for preparing students for the Intermediate Examination".

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं इसको मान लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २० में धारा २४ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(3) Without prejudice to the provisons of the foregoing sub-sections, a college, not being a college intended exclusively for the education of women, shall not be affiliated after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953 if it maintains classes for preparing students for the Intermediate Examination".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "full-time" निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो प्रशंसनीय है कि इसमें वर्कमेन्स कालेज की व्यवस्था की गई है जिससे लेबर क्लास को भी स्वाध्याय का मौका मिल सकेगा । यद्यपि प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान नहीं होंगे जहां ऐसे कालेजेज चल सकेंगे । स्वाभाविक है कि कानपुर, आगरा या इलाहाबाद जैसे शहरों में ही चल सकेंगे क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत फैक्टरी वगैरह हैं और वहां लेबर रहता है । वैसे तो सारे शहरों को ही लाभ होगा । अगर 'फुल टाइम' निकाल दिया जाय तो केवल "इनगेज्ड इन बिजिनेस" रह जायगा और उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा । एक तरफ तो आप अधिकार दे रहे हैं कि वर्कमेन पार्ट टाइम पढ़ कर लाभ उठावें लेकिन "फुल टाइम" हटा देने से इसकी सार्थकता और भी बढ़ जाती है । यह बेकार के शब्द ही निकाल दिये जायं तो अच्छा है । इसलिये शिक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसे स्वीकार कर लें ।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "full-time" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "trade" तथा शब्द "or" के बीच शब्द "agriculture" रख दिया जाय ।

अभी इसी धारा का जिक्र मेरे साथी मैठाणी जी कर चुके हैं । यदि शब्द "trade" और "or" के बीच में शब्द "agriculture" और बढ़ा दिया जाता है तो जो सुविधा रोजगार और उद्योग वालों को दी जा रही है वही कृषकों को भी मिल सकेगी । यह संशोधन भी आशा है मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे यह भी स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "trade" तथा शब्द "or" के बीच शब्द "agriculture" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २५ का संशोधन।

25. (1) There shall be a Selection Committee for each subject of study which shall consist of—

Appointment of teachers of the University and affiliated colleges.

(i) The Vice-Chancellor who shall, be the Chairman ;

(ii) The Dean of the Faculty concerned ;

(iii) The Head of Department teaching the subject concerned in the University, or a Principal, or Head of Department of an affiliated college teaching post-graduate degrees and possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Academic Council:

(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Chancellor.

(2) Before nominating the experts referred to in sub-section (1), the Chancellor shall obtain from the relevant Faculties of at least two Universities of India names of experts in each subject and shall nominate two persons from amongst them.

(3) Teachers of the University shall be appointed by the Executive Council in accordance with the provisions of clause (*f*) of sub-section (1) of section 18 on the advice of the Selection Committee concerned. Where the Executive Council disagrees with the advice of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(4) Every decision to make a substantive appointment of a teacher in an affiliated college, not being maintained exclusively by Government, shall be reported by the management of the college to the Vice-Chancellor within 15 days from the date thereof. The continuance of the appointment shall be subject to the approval of the Vice-Chancellor who may with the concurrence of the Selection Committee concerned disapprove of the same, in which case it shall be terminated as soon as may be but not later than the date of expiry of period of probation."

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (i) के भाग (iv) की पहली पंक्ति के शब्द "to be" के पश्चात् का वाक्यांश निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "elected by the senate" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि "(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject to be nominated by the Chancellor." हमारा यहां पर यह प्रस्ताव है कि इस स्थान पर टु बी के बाद का यह सब निकाल दिया जाय और वहां पर रखा जाय—"एलेक्टेड बाई दी सीनेट", क्योंकि सीनेट एक बड़ी रिप्रिजेंटेटिव बाडी है और उसे यह अधिकार दे दिया जाता है तो यह अच्छा और सुन्दर होगा और इसके बाद जो यह सब बनेगा वह बहुत ही सुन्दर और सही होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे अफसोस है कि इस संशोधन को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। आपने गौर से यदि इस विधेयक को पढ़ा होगा तो इसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि चुनाव की पद्धति जितनी कम से कम हो उतनी कम रखी जाय और जहां आवश्यक हो गया है वहां वह बाई सिंगिल ट्रांसफरेबुल वोट की पद्धति से चुनाव रखा गया है। सेलेक्शन कमेटी जो नियुक्त करे उसमें दो मेम्बर चुनाव द्वारा आवें सीनेट से, यह मैं समझता हूं कि सेलेक्शन कमेटी को दूषित करना होगा तो इस ख्याल से मैं समझता हूं कि हमारे मित्र अपने इस संशोधन को वापस लेंगे और उसे इसी प्रकार रहने देंगे जैसा कि इस विधेयक में रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (1) के भाग (iv) की पहली पंक्ति के शब्द "to be" के पश्चात् का वाक्यांश निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "elected by the ssenate" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित कर रहा हूं--

खण्ड २१ में धारा 25 की उपधारा (1) के उपभाग (iv) के अन्त का पूर्ण विराम हटा कर उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Out of list of such experts maintained by the Board of studies of the subject concerned."

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन खण्ड २१ में प्रस्तावित धारा २५ की उपधारा (i) के उपभाग (iv) में है जो इस प्रकार है--

"(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject to be nominated by the Chancellor."

वहां पर फुलस्टाप के बजाय कामा लगा कर यह रख दिया जाय--

"Out of list of such experts maintained by the Board of studies of the subject concerned."

मैं समझता हूं कि इसमें मेरे संशोधन द्वारा चांसलर को उनको नामिनेट करने का अधिकार अछूता रह जाता है और साथ ही साथ चांसलर को एक मदद भी मिल जाती है कि बोर्ड आफ दि स्टडीज आफ दी सबजेक्ट कंसर्ण्ड की एक्सपर्ट्स की लिस्ट में से ही नियुक्त करें और मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं चांसलर के लिये कुछ सलाहकारों द्वारा एक लिस्ट भी उनकी मदद के लिये पेश कर रहा हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे दुःख है कि मैं इसको भी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिये कि अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि आगरा यूनिवर्सिटी एक लिस्ट एक्सपर्ट्स की मेंटेन करेगी। उसको एकेडेमिक बोर्ड या बोर्ड आफ स्टडीज मेंटेन करेगा और उसमें से वाइस चांसलर नियुक्ति करेंगे। उसके लिये तो आगे चल कर खण्ड २ में प्रबन्ध किया गया है--

"(2) Before nominating the experts referred to in sub-section (1) the Chancellor shall obtain from the relevant faculties of at least two Universities of India names of experts in each subject and shall nominate two persons from amongst them."

तो एक्सपर्ट्स कहां से आवें, कौन उनकी लिस्ट मेनटेन करे? तो मैं समझता हूं जो दायरा विधेयक में रखा गया है वह बड़ा वसीय है। इसके पहले कि वह दो एक्सपर्ट सेलेक्ट कमेटी में रखें, वह हिन्दुस्तान की दो यूनिवर्सिटीज से एक्सपर्ट्स के नाम मांगेंगे। और भी बहुत से नाम आ सकते हैं लेकिन कम से कम दो से जरूर मांगना है और उसमें से एक्सपर्ट्स चुन सकते हैं।

और सचमुच में यदि आप चाहते हैं कि सेलेक्शन कमेटी ऐसी हो जिसमे लोगों का विश्वास हो, और उनमें यह विश्वास पैदा हो कि जो सचमुच काम के आदमी होंगे और उपयुक्त होंगे उन्हीं को नियुक्त किया जायगा तो आप को सेलेक्शन कमेटी भी ऐसी ही रखनी पड़ेगी जिसके लिये दूसरे के दिल में कभी संदेह न हो। किसी को यह शंका न हो कि सेलेक्शन कमेटी में ऐसे वैसे लोग आ गये हैं यों तो हर एक शंका करता ही है लेकिन प्रयत्न अधिक से अधिक होना चाहिये कि वह सेलेक्शन कमेटी ऐसी हो जो लोगों में विश्वास पैदा करे और इसी लिये एक्सपर्ट्स की नियुक्ति का विधेयक में जो तरीका है वह बहुत ठीक है। मैं इस कारण इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उद्धृत उपधारा (२) को देखा। इस समय तो म इस आशा से इस संशोधन को वापस ले रहा हूं कि माननीय मंत्री जी उस उपधारा में जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार कर लेंगे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

खंड २१ में धारा २५ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द 'two' के स्थान पर शब्द 'three' रख दिया जाय तथा पंक्ति ३ में शब्द "India" के बाद "including Agra University" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन होने के बाद धारा २१ में प्रस्तावित धारा २५ की उपधारा (२) इस प्रकार हो जायगी –

"Before nominating the experts referred to in sub-section (1), the Chancellor shall obtain from the relevant Faculties of at least three Universities of India including Agra University names of experts in each subject and shall nominate two persons from amongst them."

मैं यह समझता हूं कि मेरे पहले संशोधन को मानने में शिक्षा मंत्री को यह आपत्ति हो सकती थी कि यह सेलेक्शन कमेटी एक बहुत महत्त्वपूर्ण कमेटी है...

श्री हरगोविन्द सिंह--आप से हमारा समझौता हो जाय "Three" तो मैं मान लेता हूं, लेकिन "including Agra University" यह नहीं मानूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि समझौते में थोड़ी सी कसर रह गयी। पहले में यह हो सकता था कि आगरा यूनिवर्सिटी विभाग को ही लिस्ट बनाने का अधिकार हो, लेकिन शिक्षा मंत्री उसको काफी वसीय बनाना चाहते हैं और कई फ़ैकल्टीज़ आफ यूनिवर्सिटीज़ से लिस्ट मांगेंगे। तो मैंने आगरा यूनिवर्सिटी इसलिये उसमें मिला दिया, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह नामुनासिब बात है कि आगरा यूनिवर्सिटी के लोगों को कुछ कहने का उसमें मौक़ा न हो कि वह कौन सा एक्सपर्ट्स चाहते हैं और दूसरी दिक्क़त यह होगी कि वह उसमें उतनी दिलचस्पी न लें और यों ह: कोई एक्सपर्ट भेज दें जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के हित में मुज़िर हो सकती है। यदि आगरा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट उसमें होंगे तो चान्सलर को लिस्ट बनाने में सहूलियत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे शिक्षा मंत्री जी कुछ मूड में हैं और वे हमारे संशोधन को मान रहे हैं ऐसी सूरत में मैंने यह कहा कि आगरा यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टीज़ और दो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ मिल कर जो लिस्ट बनावेंगी वह मुनासिब होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, इसमें यह नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी को निकाल दिया है। लेकिन आप तो यह लाजिमी कर देते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी जरूर एक्सपर्ट्स भेजे। इसलिये मैं उसको नहीं मानता हूं। आगरा यूनिवर्सिटी के सेलेक्शन कमेटी में उसके डीन रहेंगे। इसलिये हम यह अनिवार्य रूप से नहीं रखना चाहते कि आगरा यूनिवर्सिटी जरूर एक्सपर्ट्स भेजे। यह मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन दो के स्थान पर तीन कर दिया जाये, इसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसे दो खण्डों में अलग-अलग उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २१ की धारा 25 की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "two" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब दूसरा प्रश्न यह है कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "India" के बाद शब्द "including Agra university" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (3) का शब्द "where" से प्रारम्भ होने वाला दूसरा वाक्य निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस धारा के प्रिंसिपल का सम्बन्ध है, उसमें मेरा संशोधन नहीं है, लेकिन उसके बाद "Where the Executive Council disagrees with the advice of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final" से सहमत नहीं हूं। क्योंकि प्रायः ऐसे मौके बहुत कम आयंगे, जब कि सेलेक्शन के सम्बन्ध में सेलेक्शन कमेटी का डिसऐग्रीमेंट हो और उसका चान्सलर के सामने रिफर करने का प्रश्न उठे। इसलिए यह शब्द निरर्थक से मालूम पड़ते हैं। इसका अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि चांसलर अपने आदमियों को उसमें नियुक्त करा सके। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा मन्त्री जी ऐसा करेंगे लेकिन बाद में जब इसका इण्टरप्रिटेशन होगा, तब उसका अर्थ यह निकल सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे और इसमें उन्हें कोई बहुत बड़ी आपत्ति भी नहीं होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, एक बात बड़ी गलत है कि बार बार इस सदन में यह कहा जाता है कि जिस को गवर्नमेंट अप्वाइण्ट करना चाहेगी, उसको अप्वाइण्ट कर लेगी, यह बड़े छोटे स्तर की बात है, और बार बार इसको दोहराना स्वयं इस बात को जाहिर करता है कि माननीय सदस्य उसी स्तर पर सोचते हैं। यह संशोधन मुझे इस लिए नहीं मान्य है कि अगर इसमें से यह निकाल दिया जाय कि अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल सेलेक्शन कमेटी से डिसऐग्री करे तो वह मामला चांसलर को जायगा और चांसलर का फैसला उसमें अन्तिम होगा। अगर ऊपर का ही अंश रह जाता है, तो आशंका इस बात की है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल सेलेक्शन के रेकमेंडेशन कमेटी की अवहेलना करे। इसको हम इस विधेयक में एक आशय से ले आये हैं, और उसको मैं छिपाना नहीं चाहता और वह यह है कि जो यूनिवर्सिटी में अप्वाइण्टमेंट्स हों वे इतने ऊंचे स्तर के हों कि जिस समय सेलेक्शन कमेटी विचार करके किसी का अप्वाइण्टमेंट एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास भेजे, और जब तक कोई बहुत खास कारण न हो, तब तक एक्जीक्यूटिव कौंसिल उस से सहमत न हो। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल और सेलेक्शन कमेटी दोनों में भेद होता है, तो उस हालत में चांसलर को रखा गया है। इस लिए उपखंड के आखिरी अंश को निकालने के लिए मैं सहमत नहीं हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इसी तरफ चला गया कि हम उनकी नीयत पर हमला करते हैं। श्री गंगाधर मैठाणी ने यह भी कहा कि लोग सिफारिश के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री के पास आयंगे कि गवर्नर महोदय के यहां मेरा नाम गया है, आप सिफारिश कर दीजिये। ऐसी सिफारिशें जब तक हिन्दोस्तान है और हिन्दोस्तान में वर्तमान सरकार है, कम नहीं होंगी। हम माननीय शिक्षा मन्त्री जी की दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं। हो सकता है कि माननीय शिक्षा मन्त्री के बजाय गवर्नर महोदय के यहां लोग पहुंच जांय। तो जो दिक्कत होगी, वह वैसी ही रह जायगी। इस लिए यह संशोधन विशेष महत्व का है। असल में मुझे अफसोस है कि इतने नीचे स्तर की बात उन्होंने की कि इस किस्म का हमारा मतलब है कि हम उनकी नेकनीयत पर अविश्वास करते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह तो नहीं कहा कि हम माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय की नीयत पर विश्वास नहीं करते। मैंने यह कहा कि इस इण्टरप्रिटेशन से यह अर्थ निकल सकता है। मैंने यह कहा था कि इसके निकालने से एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अप्वाइंट करने का पूरा अवसर मिलेगा और गवर्नमेंट, चान्सलर महोदय या गवर्नर महोदय को इण्टरवीन करने का मौका नहीं आयेगा। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं समझता हूं कि जो हमारा संविधान बना हुआ है कि उसमें मेरा ख्याल है कि शिक्षा मन्त्री के लिए यह बात गौरव की नहीं होगी कि उसको चांसलर महोदय से सिफारिश न करना पड़े। संविधान के अनुसार एजूकेशन मिनिस्टर को चांसलर या गवर्नर महोदय से सिफारिश करनी पड़ती है, और उन्हीं के नाम से हर हुक्म निकलता है। इस लिए इसमें गवर्नमेंट के लिए डरने की बात नहीं हो सकती है। अगर कभी ऐसा प्रश्न आये कि सेलेक्शन कमेटी किसी के लिए यह बताये कि इसकी नियुक्ति होनी चाहिए और एक्जीक्यूटिव कौंसिल अपने कारण बताये कि इस आदमी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर चांसलर महोदय को यह अवसर मिलेगा कि वे दोनों की बातों को तौलें, और फिर जो निर्णय उनकी समझ में ठीक आये, उसको दें, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। इस प्रकार जो आदमी नियुक्त होगा, वह उच्च कोटि का होगा, उपयुक्त होगा। इसी लिए यह रखा गया है। लिहाजा मैं यह संशोधन मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (3) का शब्द "where" से प्रारम्भ होने वाला दूसरा वाक्य निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (4) के शब्दों "within 15 days from the date thereof" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जावें--

"along with all necessary papers and applications received from candidates."

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में हमारी गवर्नमेंट की ओर से यह आभास किया गया है कि हमारे कालेजेज की प्रबन्धक समितियों की ओर से काफी गड़बड़ होती है। वहां पक्षपात चलता है और प्रार्थीगण के साथ अन्याय होता है। इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार ने रखा है कि प्रबन्धक समिति किसी नियुक्ति के बारे में, चाहे वह लेक्चरर, प्रोफेसर या प्रिंसिपल की हो, १५ दिन के अन्दर वाइस चांसलर को सूचना दे। अगर वह उसे ठीक नहीं समझता, तो सेलेक्शन कमेटी की राय से वह सेलेक्शन कर सकता है। मेरा अभिप्राय इस संशोधन से यह है कि जब सूचना वाइस-चांसलर के पास जाय, तो एक ही नाम होने से उसे कोई आल्टरनेटिव नहीं है और उसे किसी एक नाम पर मोहर लगा देनी होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--क्या कहना है, जल्दी कहिये, हम इसे स्वीकार करते हैं। इस तरह से कि "Every decision to make a substantive appointment of a teacher in an affiliated college, not being maintained exclusively by Government, shall be reported by the management of the college to the Vice-Chancellor within 15 days from the date thereof with all the applications and connected papers".

श्री वीरेन्द्रपति यादव--तब ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (4) के शब्दों "within 15 days from the date thereof" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--
'with all the applications and connected papers.'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नयी धारा २५-ए, २५-बी और २५-सी का रखा जाना।

२२--मूल अधिनियम की धारा २५ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें २५-ए, २५-बी, और २५-सी के रूप में जोड़ दी जायं

"25-A. (1) No teacher recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be entitled to impart instruction for a post-graduate degree or to guide research unless he is recognised for these purposes by the Chancellor on the advice of the Selection Committee referred to in sub-section (1) of Section 25.

(2) No teacher recruited before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall, with effect from such date not later than one year from the said commencement as the State Government may by notification fix, be entitled to impart instruction for post-graduate degrees or to guide research unless—

(*a*) he was recruited to a post carrying the emoluments assigned in accordance with the scales prescribed in the college concerned for teachers intended for post-graduate teaching; or

(*b*) he was recruited expressly for imparting instruction for post-graduate degrees; or

(*c*) he had for a total period of seven years before the said commencement imparted instruction to post-graduate classes; or

(*d*) he has been approved for the purpose by the Chancellor upon the recommendation of a Selection Committee constituted in accordance with sub-sections (1) and (2) of section 25.

Conditions of service of officers and teachers.

25-B. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract referred to in sub-section (1) shall, on the request of the officer or teacher concerned, be referred to a tribunal of arbitration whose decision shall be final. Every such request shall be deemed to be submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration Act, 1940 (Act X of 1940) and all the provisions of that Act with the exception of section 2 thereof shall as far as posible apply.

(3) The tribunal of arbitration provided for in sub-section (2) shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(4) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and (servants) other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, gratuity, insurance and provident funds as it may deem fit.

25-C (1) Every teacher in an affiliated college, not being a college maintained exclusively by Government, who is recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be appointed under a written contract which will contain such terms and conditions as may be laid down by the Statutes.

(2) Every decision by the Management of an affiliated college, other than a college maintained by Government, to dismiss or remove from service a teacher shall be reported forthwith to the Vice-Chancellor and subject to provisions to be made by Statutes shall not take effect until it has been approved by the Vice-Chancellor."

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड २२ में धारा 25-A की उपधारा (2) के भाग (C) में शब्द "seven" के बजाय शब्द "five" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा के उपभाग में मेरा संशोधन है, वह इस प्रकार है—

(c) He had for a total period of seven years before the said commencement imparted instruction to post graduate classes or;

मैं चाहता हूं कि इसमें सात साल के बजाय पांच साल कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा बहुत महत्त्वपूर्ण है, इस माने में नहीं कि आगरा यूनिवर्सिटी या एफिलियेटेड कालेजेज के जितने अध्यापक हैं, उनकी आगे की नियुक्ति ही में नहीं बल्कि पिछली नियुक्ति के सम्बन्ध में भी अधिकार होगा कि वह देखे और रिव्यू करे और कुछ को निकाल भी दे और इस सम्बन्ध में, काफी व्यापक अधिकार दिये गये हैं। यह भले ही आब्जेक्शनेबिल हों। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज में ऐसे टीचर्स हों, जो हाई स्कूल पास हों, जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने बतलाया है .....

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने यह कहा कि वह उस सब्जेक्ट में एम० ए० नहीं हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अब आप इसके ए. और बी. भी देखिये। वह इस प्रकार है कि--

"(a) he was recruited to a post carrying the emoluments assigned in accordance with the scales prescribed in the College concerned for teachers intended for post graduate teaching, or

(b) he was recruited expressly for imparting instruction for post-graduate degrees; or"

अगर कोई टीचर हर तरह से क्वालिफाइड है और सात साल तक उसने अध्यापन कार्य नहीं किया है तो वह अलग किया जा सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह--यहां पर वर्ड or है and नहीं है। एक आदमी जो पोस्ट-ग्रैजुएट क्लासेज की टीचिंग के लिए रखा गया है, उसके लिए यह अप्लाई नहीं करेगा यह तो उसके लिए किया गया है जो इसके लिए नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे सीढ़ी-सीढ़ी चढ़कर पोस्ट-ग्रजुएट क्लासेज को पढ़ा रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसमें भी मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था है कि तजुर्बेकारी की बुनियाद पर योग्यता रखी जाती है। मैं इसमें दो साल बढ़ा रहा हूं। कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें गरीबों का फायदा होगा और शिक्षा मन्त्री जी को इस से क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे अफसोस है और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गरीबों का मामला है। मैं यह चाहता हूं कि पोस्ट-ग्रैजुएट क्लासेज के ऐसे टीचर्स हों जिनके निस्बत कोई कुछ न कह सके। इस लिए जो यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, यह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। जिनका अप्वाइण्टमेंट पोस्ट-ग्रैजुएट क्लासेज के लिए होगा, उनको यह एप्लाई नहीं करेगा। जो धीरे-धीरे लोग चढ़ गये हैं, उनके लिए यह सात साल रखा गया है। इस लिए इसमें गरीबों का कोई सवाल नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि यह अच्छा होगा कि इन सब चीजों के अलग दृष्टिकोण से हम इस धारा को देखें। मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ में नयी धारा 25-A की उपधारा (2) के भाग (c) में शब्द "seven" के बजाय शब्द "five" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ में नयी धारा 25-C की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'maintained' और शब्द 'by' के बीच शब्द 'exclusively' जोड़ दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह शब्द छूट गया है और यदि जोड़ दिया जाय तो अर्थ स्पष्ट हो जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा झगड़ा पैदा हो जायगा। नैनीताल कालेज में बिष्ट साहब ने ४, ५ लाख रुपया दिया तथा ज्ञानपुर में महाराजा बनारस ने रुपया दिया। अगर एक्सक्लूसिवली शब्द रख दिया जायगा तो उनको हम इस श्रेणी में नहीं रख सकेंगे। यह हर आदमी जानता है कि कौन सा कालेज गवर्नमेंट का है और कौन सा नहीं है। इस लिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जयराम वर्मा—मेरा ख्याल है कि इससे मतलब और साफ हो जाता है। पृष्ठ १५ पर उपधारा ४ में यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। मेरे ख्याल में यह अच्छा नहीं मालूम देता कि एक जगह यह शब्द इस्तेमाल किया जाय और एक जगह न किया जाय। लेकिन क्योंकि माननीय मन्त्री जी को यह स्वीकार नहीं है इसलिए मैं इसको वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ में नयी धारा 25-C की उपधारा (2) की पंक्ति ४ में शब्द "statutes" के बाद निम्नलिखित रख दिया जाय—

"shall take effect only when it has been approved by the Vice-Chancellor."

श्रीमान् जी, इससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे अर्थ में कुछ फोर्स आ जाता है।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री जयराम वर्मा—मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आज तब तक बैठा रहेगा जब तक कि आगरा यूनिवर्सिटी बिल पास न हो जाय और सरकार की तरफ से कुछ एनाउंसमेंट न कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, यों तो यह बात बहुत उचित नहीं है। इसलिए कि आज भी सरकार ने जो कार्यक्रम एक हफ्ते का रखा उस समय भी यह बात हाउस के सामने नहीं रखी। लेकिन मुझे सरकार की तरफ से यह सूचना मिली है कि कल कौंसिल के पास कोई काम नहीं है। तो काम के अभाव में बहुत सा रुपया बरबाद हो जायगा। इसलिए विशेष परिस्थिति में मैं इस प्रस्ताव पर कोई एतराज नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन आज तब तक बैठा रहेगा जब तक कि आगरा यूनिवर्सिटी बिल पास न हो जाय और सरकार की तरफ से कुछ एनाउन्समेंट न कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

खण्ड २३

२३—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २६ का संशोधन।

"Statutes 26. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities of the University;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(*c*) the appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*d*) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated colleges;

(*e*) the conferment of honorary degrees ;

(*f*) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(*g*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*h*) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and be liable to the withdrawal of such privileges ;

(*i*) the inspection of affiliated colleges;

(*j*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*k*) the holding of Convocation ;

(*l*) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes; and

(*m*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मूल अधिनियम की धारा २६ के भाग (*b*) की तीसरी पंक्ति में शब्द "relative" के स्थान पर शब्द " relating " रख दिया जाय।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---ला डिपार्टमेंट ने जो शब्द रखा है, मैं उसी को ठीक समझता हूं। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा---अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं इसको वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।)

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मूल अधिनियम की धारा २६ का भाग (*m*) निकाल दिया जाय।

श्रीमान् जी, (*m*) में यह लिखा है---

"All other matter which are required by this Act to be provided for by the Statutes"

लेकिन इसका उल्लेख तो धारा २६ के प्रारम्भ में ही आ गया है, उसके शब्द ये हैं---

"Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following:"

चूंकि इसकी व्यवस्था पहले हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल में यहां पर (*m*) का रहना बेकार है। इसके बगैर भी काम चल सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरे ख्याल में (*m*) का भी रहना जरूरी है ।

श्री जयराम वर्मा--मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त धारा की उपधारा (1) के रूप में रख दिया जाय तथा निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में रख दिया जाय--

"(2) The Statutes framed in accordance with sub-section (i) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टैटचूट का विषय है, और बहुत लम्बा चौड़ा है, इसमें बहुत से विषय जैसे एलेक्शन, एप्वाइन्टमेंट, कन्फरमेंट आफ आनरेरी डिग्रीज आदि बहुत से गम्भीर विषय होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जमींदारी अबालिशन या कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स में सरकार ने यह माना है कि जो स्टेटयुट्स पास होंगे, वह इस हाउस के सामने रखे जायेंगे । वही इसमें भी हो । इससे यह नहीं होगा कि काम में देर हो, बल्कि यह फौरन लागू हो जायेंगे, सिर्फ इतना है कि सदन के सामने सदन की जानकारी के लिए रखे जायेंगे । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित प्रस्ताव है और माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह--स्टैटचूट्स कभी लेजिस्लेचर्स के सामने ऐप्रुवल के लिए नहीं रख गये । यों तो स्टैटचूट ऐक्ट पूरा बन गया है और ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के पास भी भेज दूंगा लेकिन मैं इसमें असमर्थ हूं कि उसको लेजिस्लेचर के सामने रखूं और उस पर लेजिस्लेचर्स का ऐप्रुवल हो और इसमें मेरा ख्याल है कि दो तीन महीने ऐप्रुवल लेने में ही लगेंगे । कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी का स्टैटचूट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐप्रुवल के लिये लाया गया हो । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मैं समझता हूं कि जल्दी में माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने माननीय गंगाधर जी के संशोधन को पढ़ा नहीं । उनके संशोधन में तो साफ लिखा हुआ है कि जो स्टैटचूट सरकार बनावेगी, वह फौरन लागू हो जायगा लेकिन वह विधान मण्डल की जानकारी के लिए रख दिया जायगा ताकि उसमें उचित संवर्द्धन या परिवर्तन कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास आपत्ति की बात तो नहीं है । वैसे तो व्यक्तिगत रूप से सुझाव भेजे जायं, तो उसको वह स्वीकार करते ही हैं ।

"(2) The statutes framed in accordance with sub-section (i) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कुछ ऐसे विशेषाधिकार लिये जा रहे हैं कि आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लिये गये हैं । तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जरूरी मालूम होता है कि विधान सभा या विधान परिषद् के सामने वह रेगुलेशन जरूर आवें । चूंकि शिक्षा मन्त्री जी को इसमें कोई रुकावट नहीं है, कि सही या गलत स्टैट्यूट बने और वह लागू हो जाये, लेकिन हम उनकी सहायता करना चाहते हैं और उचित ढंग से सहायता करना चाहते हैं और वह इस लिए कि कहीं पर इसमें कोई त्रुटि न रह जाये । विधान सभा के सामने आने पर इसमें और सुधार हो जायगा । हमारे इस संशोधन में भी तुरन्त लागू करने की बात है । इस कारण मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह--जो उनका संशोधन है वह तो उन स्टैच्यूट के लिए है जो यूनिवर्सिटी के लिए बने हैं । यह इस तरह से आज तक नहीं हुआ है और न होना चाहिए । इस लिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री गंगाधर मैठाणी—यह तो फर्स्ट स्टैट्यूट के लिए भी है जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग के लिए जो नियम बनाये जायेंगे, वह सरकार यहां पर पेश करेगी और यहां से उनकी स्वीकृति लेगी। इसी प्रकार हम यह चाहते हैं कि जो स्टैट्यूट्स बनें, वह यहां पर विचार करने के लिए आवें। युनिवर्सिटी का कोई काम रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो वह बराबर लागू होते रहेंगे। इस कारण मैं यह समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री हरगोविंद सिंह—मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त धारा की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय तथा निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में रख दिया जाय :

"(2) The statutes framed in accordance with sub-section (1) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नयी धाराओं २७-ए और २७-बी का रखा जाना।

२४—मूल अधिनियम की धारा २७ के बाद निम्नलिखित धारायें २७-ए और २७-बी के रूप में रख दी जायं :

ordinances.

27-A.(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter including the giving of religious instruction, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment as such ;

(*b*) the conditions under which students shall be admitted to the degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates ;

(*c*) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and certificates of the University ;

(*d*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to examiners, tabulators, inspectors and other persons employed on the business of the University.

(*e*) the number, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service of teachers of the University ;

(*f*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(*g*) the conduct of examinations, including the term of office, the manner of appointment and the duties of examining bodies examiners and moderators ;

(*h*) the conditions of the residence of students,

(*i*) the maintenance of discipline among students;

(*j*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

(3) Ordinances shall be made by the Executive Council but no Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the senate :

Provided that no Ordinance—

(*i*) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations ; or

(*ii*) affecting the conditions and mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of an examination or any course of study ;

shall be made, amended, repealed or added to unless a draft of such Ordinance has been proposed or previously approved by the Academic Council.

(4) The Executive Council shall not have power to amend any draft referred to in the proviso to sub-section (3) but may reject the proposals or return the draft to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which the Executive Council may suggest. Where the Executive Council rejects the draft, the Academic Council may appeal to the Senate, which shall consider the draft at its next meeting and its decision shall be final.

(5) An Ordinance made by the Executive Council under sub-section (3) shall be submitted, as soon as may be, to the Chancellor and the Senate. It shall be considered by the Senate at its next meeting. The Senate shall have the power, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members voting, to reject any such Ordinance.

(6) After the Senate has approved an Ordinance, it shall forward its views to the Chancellor who may either allow or disallow it.

27-B (1) Notwithstanding anything in section 27-A the Executive Council may frame and enforce a temporary Ordinance on any of the matters referred to in sub-section (2) of the said section.

(2) An Ordinance framed under sub-section (1) shall have the same force and effect as an Ordinance framed and enforced under and in accordance with section 27-A, but every such Ordinance shall be submitted to the Senate and the Chancellor and shall cease to operate at the expiration of one year from the date of its enforcement or if the Senate or the Chancellor disapprove it before the expiration of one year upon such disapproval."

श्री राधामोहन सिंह—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में धारा 27-A की उपधारा (2) के खंड (a) म शब्द "Uuniversity" के स्थान पर शब्द " affiliated colleges " रख दिये जायं। यह एक शाब्दिक संशोधन है और इसका कोई खास मतलब नहीं है। मुझे आशा है कि शिक्षा मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---यह मुझे मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ में धारा 27—A की उपधारा (2) के खंड (i) में शब्द 'University" के स्थान पर शब्द "affiliated colleges" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में धारा 27—A की उपधारा (2) में उपभाग (i) के बाद निम्नलिखित उपभाग (j) रख दिया जाय---

"(j) Formation of compulsory student unions and other matters concerned with its formation"

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के एडमिशन, डिसिप्लिन और फीस वगैरह के बारे में तो बहुत सी चीजें रख दी गयी हैं, लेकिन विद्यार्थी यूनियन का मामला जिसने प्रान्त में अभी एक उग्र रूप धारण कर लिया था, उस के सम्बन्ध में कोई भी चीज यहां नहीं रखी गयी है। इस की न तो स्टैचयुट में और न आर्डिनेंसेज में कोई चर्चा है। यूनिवर्सिटी वालों को पहले से ही मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां विद्यार्थियों की यूनियन बनाने का अधिकार होगा या नहीं और क्या उस के लिए यहां कोई प्राविजन करना जरूरी है यह सवाल है। जो इतना बड़ा मामला यूनियन का लखनऊ में और इलाहाबाद में उठ चुका है, वह आप सब जानते हैं। मेरी मंशा है कि इस के लिए भी आर्डिनेंसेज बनाने के अख्तियार दिये जायें कि किस प्रकार की यूनियनें यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। हम यूनियनों के बारे में निश्चय करना चाहते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी में कम्पलसरी यूनियन बनें। इसी लिए मैं ने यह संशोधन रखा है। किस प्रकार वह बनेगी, कैसे चलेगी कितनी फीस होगी, कैसा विधान होगा, यह तो फिर भी तय हो सकता है, लेकिन वह कम्पलसरीली बनें इस के लिए आर्डिनेंस बनाने का अधिकार यूनिवर्सिटी को होना चाहिए। मैं इस विषय में इस समय बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मन्त्री जी के जवाब के बाद और जो कुछ कहना होगा, वह कहूंगा। अभी तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस को केवल मान लें, फिर और बात बाद में तय हो सकती है।

श्री हरगोविन्द सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के मानने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। इसलिए कि इस बिल में और इस खंड में इस बात का प्रबन्ध है कि आगरा यूनिवर्सिटी को यूनियन के सम्बन्ध में अपने विद्यार्थियों के लिए आर्डिनेंसेज या स्टैचयुट बनाने चाहिए और उनके लिए कोई प्रतिबन्ध इस पर नहीं है। मैं यह भी कह दूं कि न यूनिवर्सिटी इस बात के लिए बाध्य है, कि वह कम्पलसरी यूनियन बनवाये और ऐसा करना ठीक भी नहीं है। एक तरफ तो बिल के शुरू के वादविवाद में यूनिवर्सिटी अटोनामी की बात कही जाती थी और बड़ी दुहाई दी जाती थी और अब जहां यूनिवर्सिटी की अटोनामी कहीं भी कुंठित होती है, वहां भी हस्तक्षेप की बात उन को दिखायी देती है, और आम कम्पलसरी यूनियन के लिए यूनिवर्सिटी को बाध्य करते हैं। यह तो अधिकार यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है तो हम उन के इस महत्वपूर्ण विषय पर यहां कैसे फैसला कर दें। जब हम यूनिवर्सिटी अटोनामी की बात करते हैं तो उनके लिए हम कम्पलसरी यूनियन की बात रख दें यह मुनासिब न होगा। लिहाजा इस भवन में इस समय हमें इन बातों में जाने की जरूरत नहीं है कि यूनियन कम्पलसरी हो या न हो, न हमें यह यहां देखना है कि कैसा उन का विधान हो, वह कम्पलसरी हो या आप्शनल हो, यह तो वह स्वयं तय करेंगे। हमारे लिए इस सवाल को यहां तय करना तो विषयांतर होगा। यह मसला यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का है। जैसा वहां के लोग ठीक समझें उसके मुताबिक अपने स्टैचयुट और आर्डिनेंसेज बनावें, हम उस से परे ही रहें, तो अच्छा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी सदन में किसी आवश्यक विषय पर चर्चा होती है, तो हमारे मुख्य मन्त्री जी यहां से अनुपस्थित रहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के ह्विप से निवेदन करूंगा कि वह उन को खबर दे दें तो अच्छा हो, क्योंकि यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्रीमन्, आपने अभी गत १८ तारीख को इस सदन में जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र से सम्बन्धित यूनियन का एक झगड़ा चला था, उस पर वादविवाद सुना होगा और माननीय मुख्य मन्त्री ने श्री झारखंडे राय को संबोधित करते हुए उनसे एक अपील भी की कि छात्रों के बीच में राजनीतिक दल हस्तक्षेप न करें, और यहां उन्होंने कहा कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी स्टूडेंट्स फेडरेशन को तोड़ने के लिए तैयार है। अब मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही माने में वह शिक्षा संस्था में अनुशासन कायम रखना चाहते हैं, तो इस संशोधन पर उनको बहुत ही ध्यान से विचार करना होगा।

श्रीमन्, अगर ४ वर्ष पहले छात्रों में किस तरीके से काम किया जाय, राजनैतिक पार्टियों की गति-विधि क्या हो, इस पर माननीय मन्त्री जी ख्याल करेंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि एक कमेटी बनी जिस में श्री पं० जवाहर लाल जी नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव ऐसी प्रतिभा सम्पन्न लोग थे। श्री जयप्रकाश नारायण भी थे। इन तमाम लोगों के मत से यह फैसला किया गया कि स्टूडेंट्स कांग्रेस तोड़ दी जाय, क्योंकि वह एक राजनीतिक संस्था का स्वरूप लेती चली जा रही है, और इससे विद्यार्थियों में राजनीतिक पार्टियों का असर होता है, विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं रहने पाता। यह तमाम बातें हुईं। तो उसी समय, श्रीमन्, एक सवाल आया था, कि नेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट्स बनायी जाय और मैं आप के द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि मुझे अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर आज शिक्षा मन्त्री को छोड़ कर कोई दूसरा मन्त्री नहीं दिखायी देता है। माननीय रामनरेश शुक्ल दौड़ कर समय बढ़ाने के लिए पन्त जी के पास जाते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए उनको बुलाने कोई नहीं जाता।

श्री हरगोविंद सिंह—आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए नहीं है।

श्री राजनारायण—अगर यह महत्वपूर्ण प्रश्न हल नहीं होता, तो यह कहने के लिए तैयार हूं कि शिक्षा मन्त्री अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पायेंगे। अगर वह यूनियन को नहीं बनायेंगे और यूनियन के बनने में विश्वविद्यालय के अधिकारी हस्तक्षेप करते रहेंगे, तो छात्रों के लिए कौन सी ऐसी संस्था होगी, जिस के जरिये वे अपनी मांगों और कठिनाइयों को रखेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, जिसमें लखनऊ के सम्बन्ध में चर्चा भी हुई थी अगर उसकी प्रोसीडिंग्ज को आप देखेंगे, और जो बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं, उन पर ख्याल करेंगे तो आपको मालम होगा कि आज कांग्रेस हाई-कमाण्ड भी चाहता है कि विद्यार्थियों के अन्दर राजनीतिक पार्टियों की दस्त-अन्दाजी न रहे। मगर मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और सरकार इस समय मौके बेमौके विद्यार्थियों के अन्दर राजनीतिक भेद-भाव को घुसेड़ा करती है। मैं आज सफाई के साथ कहना चाहता हूं उसी फैसले के मातहत जो सर्व-सम्मति से स्टूडेंट्स कांग्रेस को तोड़ने के लिये किया गया था जिस में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे और इलाहाबाद में कनवेंशन बुला कर स्टूडेंट्स कांग्रेस को भंग कर दिया गया उसके बाद फिर एक नये रूप में उसकी स्थापना हुई और आज भी स्टूडेंट्स कांग्रेस के जरिये इस राज्य के कितने ही रुपये को खर्च किया जा रहा है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मुझे मालूम है कि गरमी में कुछ जिलों को, कुछ स्टूडेंट्स कमेटियों को पैसा देते थे कि वह इधर उधर प्रचार करें शिक्षा का। तो कांग्रेस सरकार की मनोवृत्ति है कि जहां भी मौक़ा पाती है वह दखल देने

[श्री राजनारायण]

की कोशिश करती है। उसी के प्रमाण में आप देखिए कि कांग्रेस सरकार ने स्टूडेंट्स कांग्रेस के भंग हो जाने के बाद भी स्टेट के पैसे से स्टूडेंट्स कांग्रेस को अब तक कैसे कायम कर रखा है? यह क्या नीति है?

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)—श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवाद कांग्रेस कमेटी पर हो रहा है या अमेंडमेंट पर हो रहा है?

श्री राजनारायण—यह प्वाइण्ट आफ आर्डर है, श्रीमन्?

श्रीमन्, मेरा संशोधन है कि यूनियन को कम्पल्सरी बनाया जाय और उस संशोधन पर मैं आपके द्वारा सदन में निवेदन कर रहा था कि यह बिल्कुल आर्डर में है और आप ने हमें इस समय बोलने की इजाजत दी। मैं समझता हूं, अब कम से कम आगे इस सदन के ट्रेजरी बेन्चेज के लोगों को, उस वक्त जब कि अपोजीशन वाले अपनी बात ठीक तरह से रख रहे हों, व्यर्थ के प्वाइंट आफ आर्डर उठाने का मौक़ा नहीं मिलेगा। आखिर हम भी तो कम से कम इस सदन में हैं। इस तरह तो चाहे प्वाइंट आफ आर्डर उचित हो या अनुचित हो, कोई भी आदमी कुछ न कुछ बोलता चला जाय इसलिये श्रीमन् प्वाइंट आफ आर्डर में कोई वास्तविकता होनी चाहिये।

मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनियनों को कम्पलसरी बनाया जाय। क्यों? "This why should be explained" इसका कारण मुझे बतलाना चाहिये। अगर हम इस का कारण नहीं बताते हैं तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं और माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि विरोधी पार्टी अनावश्यक संशोधन दे दिया करती है। यह अनावश्यक नहीं है। यह बहुत ही आवश्यक है। आज की परिस्थिति विशेष को देखते हुए यह आवश्यक मालूम होता है कि यूनियनें बनें। श्रीमन्, अगर यूनियनें नहीं बनती हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के पास विद्यार्थी जायंगे। विद्यार्थी अपने ऊपर जो जोर जुल्म होते हैं वह अपनी आकांक्षाओं को प्रस्फुटित और प्रतिबिम्बित करने के लिए कोई न कोई आर्गेनाइजेशन (संगठन) करेंगे। आज नेशनल यूनियन आफ़ स्टूडेन्ट्स की स्थापना अच्छे तरीक़े पर इसलिये नहीं हो पाई है क्योंकि ऐसे कालेजों और यूनिवर्सिटियों में जहां पर कि पदाधिकारी प्रतिक्रियावादी विचार धारा के लोग रहे हैं उन्होंने यूनियनों को बनने नहीं दिया। और जब वहां पर यूनियनें नहीं बनी तो स्टूडेंट्स फेडरेशन, स्टूडेन्ट्स कांग्रेस और यूथ कांग्रेस भी वहां कागजी संस्थाओं के रूप में पड़ी हुई हैं। श्रीमन्, आपको मालूम होना चाहिये कि बनारस में एक बैठक हुई थी कांग्रेस कमेटी की पारसाल जब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत से विद्यार्थी सरकारी मंत्रियों द्वारा प्रेरित आये थे.....

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—प्वाइंट आफ आर्डर सर, यह बहस जो हो रही है मैं समझता हूं कि बिल्कुल इरेलेवेण्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आउट आफ आर्डर नहीं समझा गया है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—लेकिन अमेंडमेंट पर जो बहस हो रही है वह आउट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे संशोधन पर ही बोलें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इसी संशोधन को पुनः पढ़ देना चाहता हूं ताकि जिन माननीय सदस्यों ने इसे बिना पढ़े हुये आउट आफ आर्डर कह दिया है वे समझ लें। श्री मदन मोहन उपाध्याय का संशोधन यह है कि खण्ड २४ में धारा 27-A की उपधारा (२) में उपभाग (i) के बाद निम्नलिखित उपभाग (j) रख दिया जाय:

"(j) Formation of compulsory student unions and other matters concerned with its formation".

श्रीमन्, यह संशोधन यूनियन के इन्फार्मेशन के सम्बन्ध में है। अब मैं कुछ यूनियन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। नेशनल यूनियन्स आफ स्टूडेण्ट्स के बनाने की पवित्र भावना पंडित जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव और श्री जय प्रकाश नारायण के दिल में उत्पन्न हुई। उसी भवना से प्रेरित हो कर हम लोगों ने एक क़दम आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में स्टूडेण्ट कांग्रेस को भंग कर दिया, इलाहाबाद में कनवेन्शन बुलाकर। हम तारीफ़ करेंगे लखनऊ के विद्यार्थियों की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कालेजों में जितनी यूनियनें हैं उनके प्रतिनिधियों को लखनऊ में बुलाया.....

श्री उपाध्यक्ष---इस पुराने इतिहास को दुहराने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने संशोधन की आवश्यकता पर बोलें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यूनियन के फारमेशन की इतनी जबर्दस्त आवश्यकता है कि आज भी शिक्षा मंत्री जी आगरा यूनिवर्सिटी के कानून में संशोधन करने जा रहे हैं। तो आज क्या हर्ज है कि आज वे सफाई के साथ जो वहां के अधिकारी वर्ग हैं उन्हें बता दें कि वे यूनियन की फार्मेशन (संगठन) को होने दें और यूनियन के फार्मेशन को कम्पल्सरी (आवश्यक) कर दें। जब एक राजनीतिक संस्था तमाम विद्यार्थियों की रहती है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए परिस्थिति कम रहती है, मौका कम मिलता है और विद्यार्थी खुद उनसे कहते कि साहब यहां पर और किसी संस्था के बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तमाम विद्यार्थियों की एक यूनियन है। आवश्यकता इस बात की है कि तमाम विद्यार्थी उस यूनियन के सदस्य हों और तमाम विद्यार्थियों से सम्बन्धित मांगें उसी यूनियन से पूरी हों। आगे चल कर उनका एक फेडरेशन बन सकता है और उसका प्रान्तीय और देशरूपी स्वरूप हो सकता है। ऐसा इस समय भी है लेकिन कुछ ऐसे कालेजेज हैं जहां पर अधिकारी इतने प्रतिक्रियाशील हैं कि वे विद्यार्थियों को यूनियन बनाने नहीं देते। इसलिये जब मौका मिला, हमारे साथी माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी को, जो इस दिक्क़त को बार बार महसूस करते रहे, उन्होंने इसको इस संशोधन के रूप में यहां पर रखा ताकि माननीय शिक्षा मंत्री जी और यह सम्मानित सदन इस पर विचार करे और यूनियन बनने दे। और जो अधिकारी प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति के हों उनसे यूनियन बनवाये। कानून के जरिये उनको बाध्य कर दिया जाय कि वे यूनियन बनने में बाधा न उत्पन्न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके महत्व को माननीय मंत्री जी समझें। मैं यह भी माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि वे यदि किसी आवेश में आकर के इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे तो इस आदरणीय सदन में जो सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं वे इस बात को याद रखेंगे कि इस संशोधन पर बोलते हुये मैंने यह कहा था कि अगर यूनियन बनने देने की परिस्थिति सरकार पैदा नहीं करेगी तो सरकार इसके लिये जिम्मेदार होगी यदि अनुशासनहीनता किसी भी जगह होगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदनमोहन जी उपाध्याय ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय राजनारायण जी ने ऐसी बातों की ओर इस सदन का और माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया कि जिन पर मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार कर ही रहे होंगे और मैं ऐसा नहीं समझता कि माननीय राजनारायण जी की बातों को उन्हों ने बिना ग़ौर किये ही नामंजूर कर दिया होगा। लेकिन मैं फिर माननीय राजनारायण जी की बातों को थोड़ा और मजबूत करने के लिए दो एक बातों की तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह कि अभी पिछले दिन जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बातचीत करते हुए वादविवाद कर रहे थे तो उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात पर बार-बार जोर दिया था कि देश के विद्यार्थियों में बड़ी भारी अनुशासनहीनता आ गयी। और भी बहुत सी चीजें उन्होंने कही थीं। यदि उस दिन अवसर मिला होता तो मैं जरूर

[श्री गेंदा सिंह]

इस बात को कहता कि अनुशासनहीनता यदि आयी तो उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर होनी चाहिए। केवल विद्यार्थियों के ऊपर इस दोष को थोप देना उचित नहीं होगा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अनुशासनहीनता की जिम्मेदारी बुजुर्गों के ऊपर से छोड़ी नहीं जा सकती। अगर बुजुर्गों ने अपने बच्चों को अनुशासनहीन बनने दिया तो मैं ऐसा समझता हूं कि उससे किसी तरह से भी कोई समझदार आदमी बरी नहीं कर सकता उन बुजुर्गों को। अब अगर बुजुर्गों की कोई जिम्मेदारी है और उनके बच्चे अनुशासनहीन होते हैं तो क्या इस प्रदेश की सरकार उस जिम्मेदारी से बरी हो सकती है। जहां कहीं भी कोई राज्य आता है तो वह राज्य अपने दोस्तों के संगठन की तैयारी करता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कालेजों में जो लड़के पढ़ते हैं वे उत्तर प्रदेश की सरकार के दोस्त नहीं हैं। अगर वे दोस्त हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्हें शिक्षित और दीक्षित बनाना चाहिये ताकि विद्यार्थी लोग सरकार के स्थान को अपने समय में ले सकें।

अगर यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है तो उसके लिये उपाय हम बता रहे हैं। अंगेजों ने अपने जमाने में ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन बनाया और यह रखा कि हर जमींदार को इसमें आना होगा और इसका चन्दा मालगुजारी के साथ वसूल किया जायगा ताकि कोई जमींदार इससे बच नहीं सकता था। वे यह समझते थे कि जमींदार ही उनके राज्य के खम्भे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को हमारी सरकार अपने खम्भे समझे और उनके लिये यूनियन कम्पलसरी बनावे। मेरी राय तो इस संशोधन को बिना विवाद के मान लिये जाना चाहिये। हमारे विद्यार्थियों को देश का उत्पादन बढ़ाना है, यहां का शासन करना है और बेरोजगारी को हल करना है तो फिर उनको कारपोरेट लाइफ न दिखाई जाय, यह सरकार की कमी की बात होगी। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी संतोषजनक उत्तर इस बात का नहीं दे पावेंगे और मैं फिर इस बात पर जोर देकर उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भविष्य हमारे नौजवानों पर निर्भर करता है इसलिये उन्हें अपने संघटन बनाने के लिए कम्पलसरी तौर पर प्रेरित करना होगा। जो कुछ माननीय राजनारायण जी ने नेशनल स्टूडेन्ट्स फेडरेशन के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि मालूम नहीं कि कितने दिनों में यह बात हो सकती है कि स्वेच्छा से सारे देश के विद्यार्थी एक साथ होकर अपना संगठन बना सकें। मैं कहता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि देश के समझे बूझे लोगों को इस बात की आदत डाली जाय कि वह आपस में विचार विनिमय कर सकें और अपने यूनियन का शासन चलाने की बात सोच सकें। अगर हम यह समझते हैं कि यूनियनों के द्वारा लड़के गड़-बड़ करते हैं तो मैं समझता हूं कि अपने देश के सारे नौजवानों को असंगठित कर के हम उन्हें एक कैआस के लिए छोड़ रहे हैं जिसमें उनका कोई संगठन न हो और कोई कारपोरेट लाइफ न हो सके। इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा और माननीय सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये। माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी काफी सुलभ होगा। इसमें कोई काम गड़बड़ होने वाला नहीं है। केवल आगरा यूनीवर्सिटी की ही तो बात है। वहां पर एक्सपेरीमेंट कर के देखा जाय कि इससे बात बनती है या बिगड़ती है। फिर यदि बात बिगड़े तो माननीय सदन बैठा हुआ है और माननीय शिक्षा मंत्री जी मौजूद रहेंगे और साल डेढ़ साल बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित हुआ है उसमें मैं संशोधन उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है:—

"compulsory" के बाद शब्द "Students Union" निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर "social working units" कर दिया जाय।

श्रीमन्, मैं इस संशोधन में संशोधन उपस्थित करके सदन को सूचना देना चाहता हूं कि कोई माने या न माने, कोई समझे या न समझे, मैं इतना तो कहने का यद्यपि दावा नहीं

रखता हूं, फिर भी कहना चाहता हूं कि मैं यूनियन्स के कार्यक्रम को जानने की थोड़ी सी तमीज रखता हूं और मैंने जब से शिक्षा संस्थाओं में और पौलिटिक्स में काम किया है आज तक बराबर यूनियन्स में ही काम करता रहा हूं। इसलिये मुझे यह कहने का थोड़ा हक़ है कि मैं आप के द्वारा सदन को बतला दूं कि जो बाल्यावस्था में घुट्टी दी जाती है, वह युवावस्था में आ जाने के बाद कारगर नहीं होती है बल्कि कभी-कभी तो वह नुक्सान भी पहुंचा देती है।

यूनियन शब्द का अर्थ साहित्य में सीधा सादा है। लेकिन गत कई वर्षों से इसका प्रयोग और आज भी इसका प्रयोग इस रूप में हो रहा है कि माना यह जाय कि आज भी कोई ऐसा संघर्ष चल रहा है जैसे कि कैपिटलिस्ट और लेबर में है। वहां पर तो यूनियन्स का बनाना आज मैं स्वीकार करता हूं। श्रीमन्, इसलिये स्वीकार करता हूं कि हम सब लोग जो आज एक तरह से इस बात के विचारक हो गये हैं कि श्रेणी विहीन समाज बनें। उनका निश्चय है कि जब तक कैपिटलिस्ट्स रहेंगे एक्सप्लायटेशन भी रहेगा और अगर एक्सप्लायटेशन रहेगा तो लेबर का कभी हित नहीं हो सकता है। इसलिये एक्सप्लायटेशन को खत्म करने के लिये यूनियन्स का संगठन किया जाय और कैपिटलिज्म को समाप्त किया जाय।

ऐसे स्थान पर जहां शिक्षा का सवाल है संगठन की बात समझ में नहीं आती है, हां ऐसी जगह तो ठीक है जहां पर एक क्लास के इंटेरेस्ट का सवाल संघर्ष के रूप में दूसरी क्लास के साथ हो। श्रीमन्, शिक्षा संस्थाओं में यह चीज समझ में नहीं आती है।

श्रीमन्, यह पेश करना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में यूनियनका जिस समय प्रादुर्भाव किय गया उस समय एकही मकसदथा और वह यह था कि हमारा देश गुलाम था। विद्यार्थी जब ऐसा था मैकाले के शब्दों में "शिक्षा ऐसी हो कि देखने में आदमी हिन्दुस्तानी हो और दिमाग़ और मस्तिष्क ऐसा हो जो अंग्रेजों की रीति, नीति और रिवाज का बन जाय ताकि उनका राज्य भारतवर्ष में बहुत दिनों तक चलता रहे श्रीमान्, उस समय हमने यूनियन्स को प्रोत्साहित किया और इन यूनियन्स ने उस दौरान में, जब कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, काफी काम किया और यूनियन्स ने आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। देश को इस बात पर गर्व है। परन्तु स्वतंत्र भारत में कर्त्तव्य और रचनात्मक कार्य के पौडवाले संगठन चाहिये पर क्या आप विद्यार्थी यूनियन से आशा रखते हैं। अगर आप आज देखें फिर चाहे वह लेबर का यूनियन हो, विद्यार्थियों का यूनियन हो या और कोई यूनियन हो, यूनियन शब्द जहां लगा हुआ हो वहां उसके माने लोग यही लगाते हैं कि अपनी मांगें बढ़ा बढ़ाकर सामने रक्खो, अपने हकों को सामने रक्खो। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि हमारा कर्त्तव्य क्या है। आज यूनिवर्सिटी यूनियन्स को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि विद्यार्थी अपनी मांगें पेश करते हैं। फीस कम कर दी जाय, इस प्रिन्सिपल को निकाल दिया जाय, उसको बैठा दिया जाय, हमको यह चाहिये, हमारी यह मांग पूरी कर दी जाय, लेकिन हमारा कर्त्तव्य क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। चाहे वह स्टूडेंट्स का यनियन हो या लेबरर्स का यूनियन हो सब की हालत ऐसी ही है।

(इस समय ५ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता मंडल के एक सदस्य श्री राधाकृष्ण अग्रवाल पीठासीन हुये।)

अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है अब उसमें आन्दोलनकारी कार्यक्रम, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर कि हमारे बीच में जबतक ऐक्सप्लायटेशन है, उसको दूर करने तक आन्दोलन करना है, नहीं रहना चाहिये। केवल ऐक्सप्लायटेशन को अन्त करने के लिये इस रूप में संगठन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा संगठन हमें न करना चाहिये जिसमें हम अपना कर्तव्य न समझें, डिस्पिलिन को न समझें और केवल अपनी मांगों को पेश करते रहें। आजकल यूनियन के एक ही माने हैं और वह हैं "वर्ग संघर्ष"। श्रीमन्, इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि यूनियन शब्द को हटा कर "सोशल वर्कर्स यूनिट्स" रख दिया जाय। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने यह विचार प्रकट किये कि हमें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये कि कर्मनिष्ठ नागरिक हो और देश हित समझे वह भी सोशल यूनिट्स से ही पूरा

[श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र]

होगा। हमें इंजीनियरों की आवश्यकता है और इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, इसलिये हमारे कामों में कैसा वर्ग विभाजन होना चाहिये उसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि "यूनियन्स" के स्थान पर "सोशल वर्कर्स यूनिट्स" की स्थापना की जाय। जो जिन कामों से प्रेम करते हैं उनके सुपुर्द वे काम कर दिये जायं। जिसके लिये उन्हें ग्रान्ट्स भी दी जायं, उन्हीं मामलों पर वे डिबेट करें और उन्हीं कामों को वे करें जिनमें उनकी रुचि हो, जिन सब्जैक्ट्स के वे माहिर हों। इस प्रकार जब वे व्यावहारिक दुनिया में आ जायंगे तो समझदार विद्यार्थी और समझदार नागरिक सिद्ध हो सकेंगे। अतः मैं इस संशोधन को पेश करता हूं। यदि इसके पेश करने वाले महोदय, श्री मदन मोहन जी उपाध्याय इसको मंजूर कर लें तो ठीक है वर्ना उनके संशोधन का मैं विरोध करता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने संशोधन रखा है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं और आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि हम से कोई भी एक आदमी इस बात से आंख मिचौनी नहीं कर सकता है कि हमारे सूबे में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कालेजेज हैं उनमें जो कुछ भी हो एक तरह से संघर्ष चल रहा है। वह इसी मसले को ले कर चल रहा है इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकतीं और जब भाग्य से आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन बिल हमारे सामने आया और इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हमारे सामने लाकर रखा गया है तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। हम इस सूबे की जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां पर इकट्ठे हैं। हम लोगों को भी अपनी पक्की राय इस विषय में दे देनी चाहिये क्योंकि अभी पिछले दिनों कहा गया कि एक डेढ़ लाख से ऊपर का यहां नुक्सान हुआ, जानें भी गयीं और जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मैं कहूंगा कि बड़ी उदारता से उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और लेनी चाहिये। हम और आप में से कोई भी आज सर ऊंचा नहीं कर सकता है, जो कुछ कि यहां लखनऊ में हुआ या दूसरे शहरों में हुआ और हम यह भी नहीं कह सकते कि आज जो कुछ भी वातावरण पैदा हो गया है उस वातावरण के पैदा करने में हमारे जितने भाई हैं जिन्होंने पिछले चार छः वर्षों से एक जिम्मेदारी अपनी सरकार की ली है उनके माथे पर या उनके कांधों पर यह जिम्मेदारी नहीं आती। ऐसा भी समझता हूं कि कोई भी कह नहीं सकता है। आज हम विद्यार्थियों को कितना ही दोष दे दें, लेकिन जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हम अपने विद्यार्थियों के मनों को भी न जीत सके कि वे हमारी बातों को मान जाते। यह कमजोरी कम से कम उन्होंने मान ली और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं यह हमी लोगों की गलती है, त्रुटि है जिनकी वजह से हम आज यह वातावरण देख रहे हैं। इसलिये मैं इस प्रश्न को बहुत महत्व का प्रश्न समझता हूं और बहुत से भाइयों ने यह भी कहा.....

अधिष्ठाता—उस दिन की बहस को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मलखान सिंह—मैं एक शब्द भी नहीं दोहराऊंगा। जो कुछ यहां कहा गया है वही मैं कहना चाहता हूं। एक लांछन यहां पर यह लगाया गया है कि उस परिस्थिति को हमारे यहां के लेजिस्लेचर के मेम्बर होते हुये भी वे लोग यह देखते रहे और उन्होंने उसे काबू में नहीं किया और उन्होंने कोई हाथ नहीं लिया तो मैं समझता हूं कि आज जब यह सवाल हमारे सामने आ गया है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई भी नहीं हो सकता जिसको लेकर खासतौर से अभी अभी हमारे मंत्री महोदय ने हमारी पार्टी के लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाया कि हम लोग यूनिवर्सिटी आदि के बारे में बहुत बातें करते हैं और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने भी चाहा था कि वहां पुलिस की मदद दी जाय, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पुलिस की मदद नहीं दी। यह एक बड़ा श्रेयस्कर काम सरकार ने किया, लेकिन ठीक उसके खिलाफ जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर ने सरकार को लिखा.....

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को उस दिन की बहस को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप संशोधन के ऊपर ही आवें।

श्री मलखान सिंह—मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। चूंकि स्टूडेंट्स का प्रश्न है....

अधिष्ठाता—आप उस दिन की बहस न दोहरावें।

श्री मलखान सिंह—मैं उस दिन की बहस को नहीं दोहरा रहा हूं, बल्कि आर्गुमेंट्स दे रहा हूं।

अधिष्ठाता—संशोधन के ऊपर ही आप बोलें।

श्री मलखान सिंह—चूंकि यह स्टूडेंट्स यूनियन के लिये संशोधन पेश किया गया है। वह ऐक्ट की चीज है, वह बनना चाहिए और उसके संगठन का नियम अनिवार्य कर देना चाहिए। इसी संशोधन के ऊपर ही मैं बोल रहा हूं.....मैं इसी पर बोल रहा हूं और इसीलिये जहाँ तक उन बातों का संबंध इस प्रस्ताव से आता है, मैं कह रहा हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं कहूंगा।

अधिष्ठाता—आप सिर्फ हवाले के तौर पर उन बातों को कह सकते हैं, लेकिन सारी बहस जो उस दिन हुई है उसको अगर दोहरायेंगे तो वह आउट आफ आर्डर है। आप संक्षेप में हवाला दे कर अपने प्वांइट पर आ जाइये।

श्री मलखान सिंह—मैं आपकी इस बात को मानता हूं और मैं इस पूरी बहस को नहीं दोहरा रहा हूं। शिक्षा मंत्री जी ने यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात कही थी कि उस पर और सब बातों को छोड़ दिया जावे। तो मैं कहूँगा कि अगर बातें यूनिवर्सिटी आटोनामी पर छोड़ दी गई होती तो १८ तारीख की बहस की जरूरत पड़ती और न यह सब वाकयात हुये होते। यूनिवर्सिटी आटोनामी पर उन्हीं की तरफ से कुठाराघात किये गये हैं न कि हमारी तरफ से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय उपाध्याय जी का है इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। यह संशोधन किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि यह चाहता है कि हमारे विद्यार्थी वह सब चीजें सीखें जो राज्य प्रणाली से संबंधित हैं और उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हुये अपना काम अपने आप चलाने के लिये तैयार हों, जिसको हम आप सभी चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विषय पर हमको और आप को यह तय कर लेना चाहिये कि हमें क्या करना है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी के साथ बहुमत है और वह जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हम बड़ी जिम्मेदारी से भागेंगे अगर हमने इस संशोधन पर विचार न किया और जैसा श्री राजन रायण जी ने एक चेतावनी दी मैं भी कुछ भविष्यवाणी कर सकता हूं कि आगे भविष्य के लिये कोई अच्छी मिसाल आप पेश नहीं करने जा रहे हैं और शांति का वातावरण पैदा करने के बजाय अशांति का वातावरण पैदा करेंगे। इसलिये यह आवश्यक है और मैं फिर शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से विरोधी दल के सदस्यों के भाषण सुने और अपने साथी वासुदेव मिश्र की भी बातें सुनीं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ विद्यार्थियों के बीच में काम करने का अवसर मिला है और मेरा सौभाग्य था कि मैंने माननीय नेता विरोधी दल के साथ भी वर्षों विद्यार्थी आन्दोलन में काम किया है। यह बात हममें से हर एक को माननी पड़ेगी कि हमें विद्यार्थियों के बीच अभी कुछ करना है। मैं समझ रहा हूं इस तमाम वादविवाद में केवल मतभेद यही है कि हमें क्या करना है। जहाँ तक क्या करने का प्रश्न है आज की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी हमें दृष्टि डालनी होगी। वर्तमान स्थिति यही है कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी

[श्री रामनरेश शुक्ल]
यूनियन या विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने की हो, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की इत्तिला जरूर है कि करीब-करीब सभी युनिवर्सिटियों में और कालेजों में समाजवादी युवक संघ की रचना हुई है।

अधिष्ठाता---माननीय सदस्य को उन बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है न उन बातों के जवाब देने की जरूरत है जो दूसरी ओर से रेलिवेंट नहीं कही गयी हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल---बहरहाल, मैंने यह तो यों ही कह दिया था। लेकिन यह बात अपनी जगह पर जरूर है कि आज यूनिवर्सिटी और कालेजेज के अन्दर विद्यार्थियों के संगठन जो हैं वह ठीक ढंग पर नहीं जा रहे हैं। मैं अपने मित्र मिश्र जी के विचारों से सहमत हूं और मेरा यह ख्याल है कि माननीय मंत्री जी को आज वर्तमान स्थिति को देखते हुये इस नतीजे पर आना होगा कि हमें यूनिवर्सिटी और कालेजेज के अन्दर विद्यार्थियों के संगठन को बनाना होगा क्योंकि यदि इस प्रकार का सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं बना तो यह निश्चित है कि यह विद्यार्थी कहीं न कहीं निकल जायेंगे और आज भी निकलते जा रहे हैं। यूनियन्स की मांग ठीक है लेकिन "यूनियन्स" शब्द ठीक नहीं है क्योंकि उसमें ऐसी चीज झलकती हुई दिखाई पड़ती है कि उससे वहाँ पर लेबर, कैपिटल की बातें यूनिवर्सिटी और कालेजेज में शुरू हो रही हैं। इसलिये मैं तो फिर इस बात को सोचता हूं कि जिस भावना को मिश्र जी ने यहाँ पर रखा है उनको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जाय और जहाँ पर "यंग सोशलिस्ट यूनियन" का नाम लिया है इसका मैं यह अर्थ समझता हूं कि कई यूनियन्स हो सकती हैं। हम में से कौन प्रसन्न नहीं होगा जब हम नुमाईश के अन्दर पी० ई० सी० के जवानों को काम करते हुये देखते हैं। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि यह पुलिस के इतने छोटे-छोटे लड़के कैसे पुलिस में भर्ती हो गये। मैंने यहाँ तक देखा है कि यह जवान बहुत मायनों में पुलिस से अच्छा काम करते हुये दिखाई पड़ते हैं। तो क्या इस प्रकार से अलग-अलग यूनिट्स बनाने की जरूरत नहीं है? जो पी० ई० सी० में काम करना चाहते हैं वह उधर जायं, जो गाँव में काम करना चाहते हैं वह उधर जायं, जो पंचवर्षीय योजना के अन्दर काम करना चाहते हैं वह उधर जायं। कहने का मतलब यह है कि यूनिट्स हमारी हो जायं और प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी यूनिट का सदस्य होकर उसके नियमों का पालन करते हुये काम करे। एक यूनियन तो उन देशों में कामयाब हो सकती है जहाँ पर मजबूरन या कम्पल्सरी एक प्रकार की विचारधारा जवानों के दिमाग में भरने की कोशिश वहाँ की सरकार की तरफ से की जाय।

इसलिये एक यूनियन केवल साम्यवादी देशों में ही चल सकती है और कामयाब हो सकती है और वहाँ पर एक प्रकार की यूनियन बनाकर एक प्रकार की विचारधारा उन पर लाद दी जा सकती है। किन्तु हमारे देश में उन विचार धाराओं को स्थान नहीं है और उनकी यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मिश्र जी ने जो सुझाव दिया है कि यह निश्चित करके कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी यूनिट का सदस्य बनकर काम करे तो यह ठीक है। जो एक विद्यार्थी किसी यूनिट में जाकर काम करेगा तब वह उस यूनिट का एक भाग हो जायगा और उसका उससे संबंध होने पर वह कुछ काम करेगा और फिर न कोई यूनियन का झगड़ा रहेगा और न विद्यार्थियों और अध्यापकों का ही कोई झगड़ा होगा। यदि श्री मदन मोहन जी, मिश्रा जी के संशोधन को स्वीकार करें तो पूरे संशोधन पर गौर किया जा सकता है इसी में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन श्री मदन मोहन उपाध्याय की ओर से प्रस्तुत हुआ है मैं उसका दो कारणों से विरोध करता हूं। पहला कारण तो यह है कि यह संशोधन इस बिल के साथ किसी हालत में भी नहीं सधता है और

यह इर्रिलेवेंट है। इसका संबंध यूनिवर्सिटी के मेनेजमेंट कंट्रोल जो ऐडमिनिस्ट्रेशन वगैरा का है आर्थिक व्यवस्था आदि के प्रश्न हैं उनसे संबंध रखता है, लड़कों की फीस क्या हो उनका दाखिला कैसे हो इन सब बातों से यह संबंध रखता है। लड़कों की यूनियनों का कोई संबंध युनिवर्सिटी से नहीं आता है। यूनियन दूसरी चीज है अगर यूनियन का इससे संबंध होता तो हमें इस जगह पर इस चीज को डिफाइन करना पड़ता कि वह किस प्रकार की होंगी और क्या उनकी लाइबिलिटी होंगी और क्या उनके राइट्स होंगें। जहाँ तक युनिवर्सिटी ऐक्ट का संबंध है उससे यूनियन का कोई संबंध नहीं है।

दूसरे कम्पलसरी यूनियनों का होना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके भी विरुद्ध पड़ता है और इस तरह से संविधान के भी विरुद्ध है। अगर कोई लड़के यूनियन में शरीक होना नहीं चाहते तो कोई भी युनिवर्सिटी उनको मजबूर नहीं कर सकती कि तुम्हें जबर्दस्ती यूनियन में दाखिल होना पड़ेगा, कोई भी संस्था या आदमी किसी से यह नहीं कह सकती कि तुमको जबरन फलाँ पार्टी में दाखिल होना पड़ेगा। इस तरह का कम्पलसरी फंडामेंटल हकूक और संविधान के विरुद्ध है। इसलिये यूनियन का कम्पलसरी होना तो बिलकुल ही गलत बात है। मूथम कमेटी ने भी इस पर अपना एकमत प्रकट किया है, अगर्चे वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि वह वालंटरी होनी चाहिये जो चाहें उनमें शामिल हो या न हो। राधाकृष्णन रिपोर्ट में भी उन्होंने कहीं पर भी कम्पलसरी यूनियन की भावना को नहीं रखा है बल्कि इंडिविजुअल च्वाइस की बात ही रखी है। मैं इसमें नहीं जाता जैसा कि राम नरेश जी ने कहा कि उनका पिछला तर्जुबा अच्छा नहीं है लकिन वह हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ जाती हैं। मैं तो यहाँ तक करूंगा कि जबतक विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता है उस वक्त तक उसको किसी भी संस्था या पार्टी का सदस्य न होने देना चाहिये बल्कि उसे इन तमाम चीजों से परे रखना चाहिये लेकिन जहाँ तक विद्यार्थियों के आन्तरिक प्रबन्ध का संबंध है और शिक्षा के हेतु किसी समुदाय या समिति का संबंध है तो वह उसके लिये अपनी वालंटरी यूनियन बना सकते हैं। उसके नियम वह स्वयं बना सकते हैं। लेकिन ऐसी यूनियनों का शिक्षा से ही संबंध होना चाहिये और बाहर की चीजों से उनका कोई संबंध न होना चाहिये। यह खराबी जो अभीतक युनिवर्सिटीज में पैदा हुई वह इसलिये हुई कि हमने पोलिटिकल पार्टीज को वहाँ स्थान दिया, चाहे वह काँग्रेस हो सोशलिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनको अपना प्रचार करने की आज्ञा दी इसी कारण से यह सब झगड़े वहाँ बढ़े।

इसलिये मैं श्री उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वह उन बातों पर विचार करें और विद्यार्थियों को केवल विद्या ही की ओर ध्यान देने की बात सोचें और उनको बाहर की चीजों की ओर जिनसे उनका संबंध नहीं है न जाने दें। इससे मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों का और देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर हम कम्पलसरी रखेंगे तो वह चाहे कोई भी आने वाली सरकार हो, सोशलिस्ट सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो किसी के लिये भी वह बाँछनीय न होगा कि यूनियनें कम्पलसरी बनें। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने हाउस के दोनों तरफ के भाषणों को सुना है और मैंने कानून कसौटी पर और प्रोसीड्योर जोकि सदन के किसी मामले को टेक अप करने की होती है उस पर अमेंडमेंट को और उसके ऊपर जो दूसरा अमेंडमेंट इस सदन में पेश कर दिया गया है, दोनों को कसा। मैंने देखा कि दोनों के अन्दर इन्हेरेंट डिफिकल्टीज इतनी बड़ी है कि वे तो सेल्फ एक्सप्रेसिव भी नहीं है और पूरे नहीं हैं। इसलिये न तो वे सदन के अन्दर आ सकते हैं और न टिक सकते हैं। अमेंडमेंट में कहीं नहीं है कि स्टूडेंट्स यूनियन के मानी क्या होंगे और क्या राइट्स होंगे। यह तो केवल सदन के अमूल्य समय को जाया करना है। दूसरा जो अमेंडमेंट है उस में भी वही डिफिकल्टी है। इसलिये मैं इस प्वाइण्ट पर दोनों का अपोजीशन करता हूं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हमें यह देखना चाहिये कि आगरा यूनिवर्सिटी का करैक्टर क्या है। वह प्योरली एक एग्जामिनिंग बाडी है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं है। उससे जो अफिलिएटेड कालेजेज हैं वह वह हमारे यू० पी० के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर भी बहुत से हैं जोकि इम्तहान का रिश्ता रखते हैं। आप अगर इस प्रकार की कोई कम्पलसरी व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिये ऐक्ट में कर देते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई अधिकार है कि आप इस कानून के प्रोविडिएंस को एग्जेक्ट कर सकते हैं उन कालिजों से जोकि आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं? मैं समझता हूं कि कानून के दृष्टिकोण से भी इस प्रकार का अमेंडमेंट इस विधेयक के अन्दर आ नहीं सकता और इस सदन को कोई अधिकार नहीं कि उस पर विचार कर सके। इस प्वाइन्ट से भी मैंने इन संशोधनों का जोरदार विरोध करता हूं। ये टेक्नीकल डिफिकल्टीज मैंने पेश कर दीं।

अब जहां तक उसूल का सवाल है, मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स के अन्दर अपनी ट्यूशनल क्लासेज के बाहर किसी न किसी प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उनका माइन्ड और करैक्टर डेवलप हो सके। मैं इस बात का कतई विरोधी हूं कि शिक्षालय, यूनिवर्सिटीज और कालेजेज जो चरित्र के निर्मल सूत्रों को बहाते हैं वे चरित्र व ज्ञान के स्रोतों को प्वाइजन कर दें। मैं समझता हूं कि वे पार्टियां और व्यक्ति जो आज उन नौजवान बच्चों के दिमागों को दूषित करना चाहते हैं और उन संस्थाओं में विरोधी भावनाओं का समावेश करना चाहते हैं और भारतवर्ष के नौजवान को फिजिकली, मारली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट करने के बजाय उनको एक दूसरे स्थान में रख कर हमारी राष्ट्रीय प्रगति को दुर्गति में परिणत करना चाहते हैं वह हमारे राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। हमारा मुल्क प्रगति करना चाहता है, इसलिये मैं समझता हूं कि कि इस प्रकार की भावनाओं को जो कि राजनीति और दूसरी चीजों से संबंध रखती हों वह नहीं आनी चाहिये। मैं इसका घोर विरोधी हूं। इस प्वाइन्ट आफ व्यू से भी मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वे किसी भी पार्टी के अन्दर दखल दें। उन का इस तरह का दखल देना राष्ट्र की प्रगति को गर्त में ढकेलना है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण इस सदन सुनें। मेरी समझ में यह आया कि या तो माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन को पढ़ा ही नहीं या वह किसी हवा में बह गये। मुझे यह भी ख्याल नहीं था कि इस पर इस प्रकार बहस हो जायगी। मैं एक एक बात का जवाब जोकि माननीय सदस्यों ने यहां कहीं हैं, देना चाहता हूं। मैं तो यह चाहता था कि चूंकि इतनी बड़ी किताब जो कि इस कानून की बनी उसमें कहीं भी चूंकि स्टूडेंट्स यूनियन की चर्चा नहीं है इस लिये वह होना चाहिये। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे श्री केशव गुप्त जो कि एक वकील भी हैं उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया और कानूनी नुक्ता चीनी इस बात की की इस में कहीं पर भी यूनियन की परिभाषा नहीं है। अगर यूनियन की कहीं पर परिभाषा दी हुई होती तब तो हम डिस्कस कर सकते थे। चूंकि परिभाषा नहीं है इसलिये हम नहीं कर सकते। इस सारी किताब में कहीं पर भी "डिसिप्लिन" की परिभाषा नहीं है और जहां पर यह आर्डिनेंस बनाने का सवाल है वहां पर यह लिखा गया है कि.....

"Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters."

इस में बहुत सी चीजें हैं। मैं लास्ट में पढ़ना चाहता हूं—

"The conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes."

इतनी छोटी बातें दी गई हैं कि इनके लिये आर्डिनेंस बनाया जा सकता है। फिर लिखा है—

"The conduct of examination, including the term of office, the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators"

"माडरेटर्स" की कोई परिभाषा नहीं है। फिर लिखा है—

"The conditions of residence of students;"

कैसे विद्यार्थी रखे जायेंगे, क्या उनके खाने पीने का प्रबन्ध होगा यह भी इसमें लिखा है। एक चीज और है—

"The maintenance of discipline among students"

डिसिप्लिन पर भी आर्डिनेंस बनाया जायगा लेकिन यूनियन के फार्मेशन के लिये आर्डिनेंस नहीं बनाया जायगा। इसकी चर्चा इसमें कहीं नहीं है। मैं यह समझता था कि शायद माननीय मंत्री जी भूल गये होंगे और उसको भी इसके अन्दर अब कर लेंगे। किस किस्म की यूनियन हो यह स्टेट्यूट्स के ऊपर छोड़ दिया जाय। सारे प्रान्त में यही राय है कि कम्पलसरी स्टूडेंट्स यूनियन हो। अगर माननीय मंत्री जी यह कहते कि "कम्पलसरी" लफ्ज हटा दिया जाय क्योंकि यह एक विवाद का प्रश्न हो सकता था लेकिन जहांतक यूनियन्स के बनाने का प्रश्न है इस में कोई विवाद का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। आज दुनिया में जहां कहीं भी युनिवर्सिटीज हैं आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जिनका कि नाम बहुत लिया जाता है, सब जगह यूनियन्स हैं और कम्पलसरी हैं। मेरे पास एक पत्र इंगलैन्ड से आया है। यूनियन्स करीब-करीब सभी जगह हैं। अंग्रेजों वक्त में भी यूनियन्स थीं, आज अगर युनिवर्सिटी में कांग्रेस का बहुमत होता, तो यूनियन का नाम सब से पहले आता कि स्टूडेंट्स यूनियन कायम की जाय। मैं तो यही चाहता हूं कि वहां से पार्टी पालिटिक्स हटे। वहां ऐसी एक यूनियन बने जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हों। कम से कम किसी एक यूनियन में सब मिल तो सकें। रामनरेश शुक्ल जी ने इस बात को माना कि संगठन होना चाहिये। उसका नाम आप कुछ रख लीजिये। जिससे काम बन जाय वह किया जाय। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध में यहां तक कह दिया कि यूनियन होना ही नहीं चाहिये। हमारे माननीय चन्द्र सिंह जी, जो कि एक वकील हैं, उन्होंने कुछ कानूनी बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह युनिवर्सिटी केवल इम्तहान लेने के लिये है। यूनियन से युनिवर्सिटी का क्या मतलब है ? अधिष्ठाता महोदय, इसमें सारी युनिवर्सिटी की चर्चा है। मैं फिर उनके ध्यान के लिये पढ़ता हूं। शायद किताब उनके पास नहीं होगी क्योंकि उससे उनका मततब नहीं है। २७(ए), (२) यदि वे पढ़ें तो उसमें कालेज की चर्चा नहीं है :

"Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(a) the admission of students to the University,"

कोई युनिवर्सिटी नहीं है आगरे की, लेकिन "ऐडमिशन आफ स्टूडेंट्स टू दी युनिवर्सिटी" कहां से आ गया।

"and their enrolment as such;

(*b*) the conditions under which students shall be admitted to the degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates;"

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

इसमें भी युनिवर्सिटी आगयी है। फिर--

"The fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and certificates of the University;"

मैं इसलिये उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सब जगह युनिवर्सिटी हैं। हम भी जानते हैं कि वह एक्जामिनिंग युनिवर्सिटी है। इस संशोधन से हमारा मतलब सिर्फ यह है कि जहां आपने यह रखा है कि डिस्सिलिन कैसे रहेगा, फीस का क्या होगा वहां इतना और ऐड कर दिया जाय--"फार दी फार्मेशन आफ यूनियन्स आलसो।" इस संबंध में और बातें जो होंगी, उनको आर्डिनेंस बनाने वाले तय कर लेंगे। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं यह चाहता हूं कि एक ऐसा आर्गेनाइजेशन बनाया जाय जो कम्पलसरी हो। किसी साहब ने कहा कि कोई कहेगा कि हमारी यूनियन में आओ और कोई कहेगा कि हमारी यूनियन में आओ। इसीलिये तो हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि तब चार यूनियनें नहीं होंगी। हम यह चाहते हैं कि सब एक यूनियन में आ करके खड़े हों। अधिष्ठाता महोदय, हमारे बहुत से साथियों ने यह कहा कि वे बहुत सी यूनियनों के मेम्बर रहे होंगे। मैं बहुत सी यूनियनों का मेम्बर और एक जिम्मेदार व्यक्ति रहा हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह--तब कहां यूनियनें थीं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--सारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर मैंने वहां से सीखा है। हमारे चन्द्र सिंह जी और माननीय केशव जी शायद कभी नहीं रहे हैं, नहीं तो ऐसी बात नहीं करते। यूनियन में बहुत चीजें सीखते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। जितनी सर्विस माननीय बासदेव जी ने कहीं वे सब उसमें कर सकते हैं। उसकी अलग अलग ब्रांचेज भी हो सकती हैं। जैसे साइंस एसोसियेशन वगैरह। यह बिलकुल इन्नोसेंट संशोधन मेरा है। अगर मंत्री जी कम्पलसरी वर्ड को हटाना चाहें तो हटा दें लेकिन यूनियन तो रखें कि यूनियन बने मैं युनिवर्सिटी में कोई पोलीटिक्स नहीं लाना चाहता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी मुझे अलग न समझते हुये मेरे संशोधन को मान लें।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, इस संशोधन पर भवन का काफी समय लगा और वह शायद इसलिये कि माननीय सदस्यों ने यह उपयुक्त और आवश्यक समझा कि इस संशोधन से १-१२ हजार मील परे जाकर ऐसी बातें कहें कि जिनसे ख्वाहमख्वाह यहां आवेश बढे। इस विधेयक में यदि यह कहा गया होता कि नहीं विश्वविद्यालय यूनियन के संबंध में कोई आर्डिनेंस नहीं बना सकती तब तो मेरी समझ में यह आता था कि उस पर इतना जोर दिया जाता। और विरोधी दल के नेता तो शायद यह समझते हैं कि जब वह बोलते हैं तो इतने महत्व की बात होती है कि सिवाय मुख्य मंत्री के और कोई उसका जवाब ही नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि इस भवन का नियम ही यह है कि इसमें चाहे आप जो बोलते जाइये वरना अगर कहीं अदालत में वह इस तरह से बोलते तो शायद एक मिनट भी कोई सुनना गवारा न करता।

श्री राजनारायण--तहसील में, जहां आप प्रक्टिस करते थे।

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, मैं तहसील में प्रैक्टिस नहीं करता था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर मैं समझता हूं कि यह कह कर कि इस भवन का नियम है कि जो चाहे बोलता चला जाय, इस सदन की और अध्यक्ष जी की तौहीन की है। मैं समझता हूं कि इस भवन की इज्जत के लिये ये शब्द उन्हें वापस लेने चाहिए।

अधिष्ठाता--इसमें इज्जत का कोई सवाल नहीं है। (श्री हरगोविन्द सिंह से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरगोविन्द सिंह—इस विधेयक में कोई इस बात को मना ही नहीं थी कि अगर युनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव यह चाहे तो उसके लिये नियम न बना दे । तो इसकी कोई आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आती । मैं चाहता था और इसलिये मैंने अपने प्रारम्भ वाले जवाब में ही कहा था कि विधेयक के संबंध में जो वाद विवाद भवन में हुआ उसमें शायद विरोधी दल के कोई माननीय सदस्य ऐसे नहीं थे जो किसी संशोधन पर बोलते समय युनिवर्सिटी आटोनामी की दुहाई न देते हों । ऐसा मालुम होता था कि युनीवर्सिटी आटोनामी का सम्पूर्ण कार्य और उसकी रक्षा केवल उन्हीं लोगों के हाथ में है और भवन का प्रत्येक सदस्य इस बात पर तुला हुआ है कि युनिवर्सिटी आटोनामी को किसी तरह से कुचला जाय ।

जब मैंने यह कहा कि यदि यूनियन को आप शिक्षा का साधन समझते हैं, यदि सचमुच आप यूनियन को मजदूर संघ का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो यह कार्य केवल युनिवर्सिटी और उन लड़कों का ही होना चाहिये और उन कालेजेज का ही होना चाहिये । मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं जो इसके समर्थन में बोले कि क्या उनके पास निस्संदेह इस बात का सबूत है कि युनीवर्सिटी का प्रत्येक बालक कम्पलसरी यूनियन चाहता है, क्या उनकी यह बात निर्विवाद रूप में मान ली जाय कि युनिवर्सिटी का हर एक बालक यह चाहता है कि उसके ऊपर जबरन यह नियम लगाया जाय कि तुमको रुपया देना होगा और चाहे तुम चाहो या न चाहो इस यूनियन का सदस्य बनाना पड़ेगा ?

ऐसा मालूम होता है कि विद्यार्थियों की मांगें और उनके हित की बात युनिवर्सिटी से विरोध खाते हैं । युनिवर्सिटी की संस्था मिल मालिकों की तरह से है और यह विद्यार्थी मजदूरों की तरह से हैं और दोनों के परस्पर विरोध चल रहा है और जब तक इस विरोध को त्याग करके एक औजार विद्यार्थियों के हाथ में नहीं रहेगा तब तक उनका काम किसी तरह से नहीं चल सकता है ।

मैं श्रीमन्, थोड़ा सा विषयांतर में जरूर चला गया, इसके लिये आप से क्षमा मांगूंगा । लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि यह प्रवृत्ति किसी राजनीतिक दल की रही तो वह इस देश को और विद्यार्थियों को ऐसे खंदक में ले जायगा जिस से देश कभी नहीं उठ सकेगा । इतना बड़ा क्षेत्र हमारे और आपके सामने है और जहां आपका कोई राजनीतिक विरोध हमारे साथ है तो हम और आप उस अखाड़े में लड़ सकते हैं । हम जीत सकते हैं या आप जीत सकते हैं । आप यहाँ बैठ सकते हैं और हम वहां बैठ सकते हैं । लेकिन आप विश्वास रखिये कि यदि हम इस बात के लिये प्रयत्न करेंगे कि हम इन भोले-भाले विद्यार्थियों को, जिनके माता-पिता हम नहीं जानते कि कितने कष्ट सहकर वह इन लड़कों को कालेज तथा स्कूलों में शिक्षा के लिये भेजते हैं, यह विश्वास रख कर कि हमारे लिये यह एक साधन होगा, हमारे जीवन में यह एक लकड़ी का काम करेगा, उनको हम राजनीतिक पेचों में खींचने के लिये, महज इसलिये कि हमारा राजनीतिक बल जरा सा बढ़ जायगा, उनके बीच में घुसते हैं । मुझे अफसोस हुआ जब कि श्री मदन मोहन उपाध्याय ने यह कहा कि यदि उनमें कांग्रेस की यूनियन्स होतीं तो यह बिल में जरूर होता । मैं समझता हूं कि इससे यह झलक तो मिली कि उनको यदि इधर बैठने का मौका मिला तो उनकी तरफ से ही विधेयक बनेंगे जैसा कि वह कहते हैं । लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम हमेशा इस बात के लिये रहे और आगे भी हमें इन विद्यार्थियों में इस प्रकार की मनोवृत्ति नहीं पैदा करनी चाहिये क्योंकि उसके दुष्परिणाम हम देख चुके हैं । मुझे तनिक भी इस विचार को व्यक्त करने में डर नहीं है कि इस प्रकार की जो यूनियनबाजी हो रही है उससे हमारी आने वाली संतानों का लाभ नहीं हो सकता, और अगर ये कालेज और युनिवर्सिटी में न हों तो हमारे बच्चों का इससे बड़ा कल्याण होगा । अगर कोई चाहे तो कर सके और न चाहे तो न करे, इस प्रकार से विधेयक में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः चूंकि इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री राजनारायण—मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे गेम्स फीस और ट्यूशन फीस भी कम्पलसरी रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—ऐसा तो आप सोचते होंगे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४ में धारा 27-A की उपधारा (२) में उपभाग (i) के बाद निम्नलिखित उपभाग (j) रख दिया जाय—

"(*j*) Formation of compulsory student unions and other matters concerned with its formation."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—श्रीमन्, मेरे अमेंडमेंट का क्या हुआ ?

अधिष्ठाता—आपका तो संशोधन में संशोधन था, इसलिये संशोधन के गिर जाने से वह स्वतः गिर गया ।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—सम्भव था कि अगर मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता तो भवन उस संशोधित संशोधन को मान लेता।

अधिष्ठाता—ऐसा नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में नयी धारा 27-Aकी उपधारा (5) की पंक्ति ५ में शब्द "members" के पश्चात् तथा शब्द "voting" के पूर्व शब्द "present and" बढ़ा दिये जायं और पंक्ति ६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"or by a simple majority to return the same for reconsideration."

श्रीमान् जी, उपधारा के अन्तर्गत ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल जो आर्डीनेंस बनायेगी वह सीनेट के पास जायगा और फिर चान्सलर के पास जायगा। सीनेट उसके ऊपर पहली मीटिंग में विचार करेगी। उसके बारे में सीनेट को इस उपधारा में यह अधिकार दिया गया है कि उस पर विचार करने के बाद या तो सीनेट उसको स्वीकार कर ले या अगर सीनेट को वह स्वीकार नहीं है तो अगर उसका दो-तिहाई बहुमत हो जाय तब वह उसे अस्वीकार कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सीनेट का बहुत बड़ा बहुमत उस आर्डीनेंस को पसंद नहीं करता है और दो-तिहाई बहुमत उसके अस्वीकार करने के पक्ष में नहीं है तो मजबूरन उस आर्डिनेंस को उसे स्वीकार करना होगा। इस प्रकार अल्पमत की बात बहुमत को स्वीकार करनी होगी। यह एक बड़ी पेचीदा बात हो जाती है। इसलिये मेरा विचार है कि ऐसी हालत में जब कि सीनेट का बहुमत उसको पसंद न करता हो लेकिन अगर दो-तिहाई बहुमत उसके पक्ष में न हो तो सीनेट को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि ऐसी स्थिति में वह उस आर्डीनेंस को साधारण बहुमत से पुनर्विचार के लिये कौंसिल के पास भेज दे।

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे यह मंजूर है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २४ में नई धारा 27-A की उपधारा (5) की पंक्ति ५ में शब्द "members" के पश्चात् तथा शब्द "voting" के पूर्व शब्द "present and" बढ़ा दिये जायं और पंक्ति ६ के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"present and or by a simple majority to return the same for reconsideration"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड २४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५

२५--मूल अधिनियम की धारा २८ और २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय: यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा २८ और २९ के स्थान पर एक नई धारा का रखा जाना।

"28 (1) The authorities 'and the Boards of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances:

(*a*) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(*b*) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations; and

(*c*) providing for all other matters solely concerning such authorities and Boards as are not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Executive Council may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulation made under this section or the annulment of any Regulation made under sub-section (1) by an authority other than the Senate :

Provided that any authority or Board of the University which is dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final.

(4) The Executive Council shall make Regulations, laying down—

(*i*) the courses of study for various examinations of the University ;

(*ii*) the assignment of subject to the various Faculties; after receiving drafts of the same from the Academic Council.

The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions.

(5) No Regulation shall be made in respect of matters which are to be provided for by Statutes and Ordinances under this Act."

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खण्ड २५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २६

२६--मूल अधिनियम की धारा ३० में वर्तमान धारा को उपधारा (१) के रूप में परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) में रख दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३० का संशोधन।

"(2) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise (for the purpose of admission to a course of study for a degree) any degree conferred by any other University

as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

श्री राम नारायण त्रिपाठी—प्रधिष्ठाता महोदय, मैं खण्ड २६ का विरोध करना चाहता हूं। खण्ड २६ की उपधारा (२) इस प्रकार है—

"The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise (for the purpose of admission to a course of study for a degree) any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

मेरा मतलब खासतौर से यहां "The University shall not, save with the previous sanction of the State Government."

"शैल नाट सेव विद दि प्रीवियस सेंक्शन आफ दि स्टेट गवर्नमेंट" से है। माननीय शिक्षा मंत्री जी तो यूनिवर्सिटी के एटानामस नाम ही से काफी चिढ़ते हैं। लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी के एटानामस में बाधा डाली जाय, या खलल डाली जाय यह एक विवादपूर्ण विषय हो सकता है। कम से कम एकेडेमिक मामलों में युनिवर्सिटी को एटोनोमस होना चाहिये। इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी मान सकते हैं। इस उपधारा का जो प्राविजन है उसमें यह है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो किसी और ऐसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन के समक्ष मान कर किसी विद्यार्थी को बी० ए० या एम० ए० में प्रवेश का अधिकार दे सकती है। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वह मुनासिब समझ कर और स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर इस तरह की कोई व्यवस्था की जा सकती है। यह तो कोई आर्थिक मामला है नहीं। एक्जीक्यूटिव निर्माण के प्रश्न को, सिनेट निर्माण के प्रश्न को तो किसी हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन यहां तो एकेडेमिक मामला है। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कहा गया है कि एकेडेमिक आटोनामस पूर्णतया यूनिवर्सिटी के हाथ में रहना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप मेरी यह बात मान लें और इसको इस तरह से कर दें:—

"Concurrence of the Universities of Allahabad and Lucknow and of such other Universities as are established."

चूंकि इलाहाबाद और लखनऊ युनिवर्सिटी में यही प्रोविजन है इसलिये यह रखा गया है। यह न आप समझें कि यह किसी और कारण से है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्री अध्यक्ष महोदय....

अधिष्ठाता—आप कोई संशोधन पेश करना चाहते हैं तो पेश कीजिये, वरना जो विरोध आप कर रहे थे वह शुरू कीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा विरोध कायम है। मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी आटानामी में इंटरफियरेंस न करें। युनिवर्सिटी अटोनामी में यह इंटरफिरेंस स्टेट गवर्नमेंट का नामुनासिब है।

श्री हरगोविन्द सिंह---अटानामी का यह मतलब नहीं होता कि जिस इम्तिहान को चाहे अपने बी० ए० या एम० ए० के बराबर मान ले वह कोई ऐकेडेमिक अटोनामी नहीं होती। युनिवर्सिटी अटोनामी के मतलब यह होत हैं कि उसका स्टडर्ड ठीक रह। और इसीलिये रखा गया ह कि जिस एक्जामिनेशन को चाहे अपने बी० ए० और एम० ए० के बराबर न मान ले। यही लखनऊ युनिवर्सिटी में रखा गया है और उसी को यहां रख दिया गया है जिसमें स्टैंडर्ड लो न हो क्योंकि जैसे आप अपनी बी० ए० की डिग्री के बराबर किसी इम्तहान को मान लें तो मैं समझता हूं कि जो स्नातक बी० ए० पास हो वह उसका बेकार हो जायगा और वह आगरा युनिवर्सिटी में भरती हो जायगा। उसको रोकना चाहिये। इसलिये जो स्टैंडर्ड हो वह सब जगह का बराबर हो और उसको रखना चाहिये। इसलिये माननीय त्रिपाठी जी ने जो विरोध किया है वह ठीक नहीं है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खण्ड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

२७--मूल अधिनियम की धारा ३१ में — यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के अंतिम शब्द "and all examiners shall be appointed by the Executive Council" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(3) At least one-half of the number of paper setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college."

(३) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नई उपधारायें (४) तथा (५) के रूप में जोड़ दी जायं :--

"(4) The examiners in each subject shall be appointed by the Vice-Chancellor in the manner prescribed by the Statutes.

(5) Every person appointed as examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र---श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(3) There shall be at least two paper setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners, other than Post-graduate Examinations, in each subject, shall be persons not in the service of the University or an affiliated college, whereas, there shall not be even one for any subject in the Post-graduate Examination, in the service of the University or an affiliated college."

[श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को यहां पर बारबार कहा गया है और मेरा स्वयं भी ऐसा विचार है कि शिक्षा का स्तर हमारे प्रदेश में और देश के अन्दर गिरता जा रहा है। उसको ऊपर उठाने की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि पास होने के कुछ २,३ तरीके हैं जिनको लड़के इस्तेमाल करते हैं। एक तो यह है कि यह पता लगाया जाता है कि परीक्षक कौन है उसके द्वारा किस किताब में और किस सबजेक्ट पर जोर दिया गया है तथा किस चेप्टर पर हिन्ट दिया गया है। दूसरा यह है कि जब परीक्षा हो जाती है तो लड़के कन्वेंसिंग करना शुरू कर देते हैं और जो परीक्षक होते हैं उन पर किसी तरह से प्रभाव डलवाया जाता है और कोई न कोई सोर्स निकाल कर कुछ नम्बर बढ़वा लिये जाते हैं। तीसरा "तिकड़म" जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि इम्तहान के पास करने में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे जमाने में तो यह तिकड़मबाजी नहीं चलती थी और पूरे तौर पर तिकड़म मैं जानता भी नहीं हूं क्योंकि विद्यार्थी जीवन से बहुत दिनों से अलग हूं। फल यह होता है कि हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन अगर परीक्षकों की नियुक्ति बाहर से हो और उनका कालेज से सम्बन्ध न हो तो इस दिशा में अधिक लाभ हो सकता है। यदि बाहर के परीक्षक हों तो उनका पता चलाना भी कठिन हो जायगा और वह लोग भी किसी दूसरी प्रकार से ही उन कापियों की जांच करेंगे। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर वह इस बिल को लाए हैं कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और हमारे यहां से करप्शन दूर हो वह मकसद इस बिल के द्वारा तभी दूर हो सकता है जब कि इस प्रकार से इस पर ध्यान दिया जाय।

हमारी शिक्षा का स्तर इतना नीचा हो गया है कि बाहर की युनिवर्सिटियां भी इस बात को कहती हैं। अगर हमारे यहां के शिक्षार्थियों को उचित योग्यता प्राप्त न कराई गई तो उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया जायेगा। इन सब बातों पर ध्यान देते हुये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना आवश्यकीय हो गया है। अस्तु सदन इसे स्वीकार कर के शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में सहायता होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, निस्सन्देह आगरा युनिवर्सिटी की स्थिति की ओर ध्यान देते हुये यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। उसकी स्थिति ऐसी है कि यह संशोधन मान लेना ठीक होगा लेकिन उसमें दो बातों की दिक्कतें हैं। एक तो शायद बाहर के एगजामिनर्स ठीक से न मिल सकें क्योंकि बड़ी भारी युनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी संख्या की जरूरत है। दूसरे वहां के लोगों में इससे पूर्णतया विश्वास हो जायगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि हो और उनको यह तो बिल देख कर ही मालूम हो गया होगा कि उनके प्रति कम से कम इस बिल में ऐसा सोचा जा रहा है कि उनसे जिस आदर्श की आशा की जाती है उसको उन्होंने नहीं रखा है। इसलिये उनको पूर्णतया परीक्षाओं से अलग रखना ठीक न होगा। इसलिये मैं श्री वासुदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २७ के उपखण्ड (२) में धारा ३१ की उपधारा (3) के बजाय निम्नलिखित रख दिया जाय—

"While in post-graduate examinations at least one-half of the paper setters and chief examiners in each subject shall be teachers who are not in the service of the Agra University or its affiliated colleges, in other examinations at least one paper setter and Chief Examiner in each subject which has more than one paper shall be a teacher who is not in the service of the Agra University or its affiliated colleges as far as possible one-half of the Deputy Chief Examiners shall be teachers who are not in the service of the Agra University and its affiliated colleges. The co-examiners shall be appointed in the manner determined by the Statutes, provided that not more than one-half of them in each subject shall be persons other than teachers of the Agra University or its affiliated colleges."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कोरम नहीं है, श्रीमन्।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही फिर आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर भाषण देना नहीं चाहता लेकिन एक दिक्कत पेपर सेटर्स में आवेगी कि जहां पर एक इम्तहान के लिये तीन तीन पेपर्स होते हैं, वहां पर किस प्रकार आधा होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि जहां पर तीन पेपर हों वहां दिक्कत न हो। बहुत साफ यह नहीं हो पाया है कि ३ पेपर्स जहां पर हो जायेंगे तो क्या डेढ़ डेढ़ का हिस्सा बंटेगा बाहर वालों के, और अन्दर जो एम्पलाईज हैं अफिलिएटेड कालिजेज के? तो इससे माननीय मंत्री अगर कुछ सफाई कर दें तो कुछ सल्युशन हो जायगा वर्ना मेरा संशोधन इसको साफ करता है। इसलिये उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, जो इसमें रखा गया है वही ठीक है। उसमें तो रखा गया है कि—

"At least onehalf of the number of paper-setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college;"

तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं रह जाती।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—लेकिन उससे वह बात साफ नहीं होती जो मैंने पहले कही थी कि तीन पेपर्स में से कैसे हिस्सा होगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—वहां लिखा तो है "as nearly as possible."

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८—३५

२८—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारायें (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३३ का संशोधन।

"(2) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the State Government for purposes of audit. The State Government shall appoint an Auditor possessing appropriate professional qualifications and engaged in the active practice of his profession and shall determine the scale of his remuneration. After audit the accounts and balance sheet together with the Audit Report shall be published by the Executive Council in the Government *Gazette* and copies thereof shall be submitted to the Senate and to the State Government."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के रूप में निम्नांकित बढ़ा दिया जायं :—

"(3) It shall be lawful for the State Government to require any person, who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amount provided in the financial estimates or in violation of any provision of this Act, the Statute or the Ordinance, to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३५ का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३५ में शब्द "Body of the University" और शब्द "the matter" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय :

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances".

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३६ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ३६ में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा की संख्या बदल कर उपधारा (१) कर दी जाय :

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body whether of the University or outside shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be a member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३७ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द "members" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३९ का निकाला जाना।

३३—मूल अधिनियम की धारा ३९ निकाल दी जाय।

३४—(ए) पद "Rajputana" जहां कहीं भी मूल अधिनियम में आया हो, निकाल दिया जाय।

पद 'राजपूताना' का निकाल दिया जाना और "Academic Board" के स्थान पर "Academic Council" का रखा जाना।

३४—(बी) मूल अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द "Academic Board" आये हों उनके स्थान पर शब्द "Academic Council" रख दिये जायं।

३५—मूल अधिनियम, आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२, अथवा इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए, इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के बाद किसी भी समय चांसलर किसी भी व्यक्ति को वाइसचांसलर नियुक्त कर सकते हैं और ऐसी नियुक्ति करने के लिए धारा ९ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस चांसलर इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइसचांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों और कार्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २८ से लेकर ३५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३६

३६—मूल अधिनियम की धारा ४० के बाद धारा ४०—ए के रूप में निम्न-लिखित जोड़ दिया जाय:

"40-A. The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in relation to the transition from the provisions of this Act, as it existed prior to its amendment by the Agra University (Amendment) Act, 1953, (hereinafter referred to as 'the Amending Act'), to the provisions of this Act, as amended by the Amending Act, by order published in the official *Gazette*—

(*a*) direct that this Act, amended as aforesaid, shall during such period as may be specified in the order, take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient; or

(*b*) direct that till such time, not exceeding one year from the commencement of the Amending Act, as the University Authorities are constituted or appointed under and in accordance with this Act, amended as aforesaid, the powers, duties and functions, exercisable or dischargeable by such University Authorities shall be exercised and discharged by the corresponding authorities established on the date immediately before the commencement of the Amending Act; or

(*c*) direct that any Statute or Regulation in force at the date immediately preceding the coming into force of the Amending Act shall continue in force subject to such alteration, modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient, until superseded by anything done or any action taken under this Act, as amended by the aforesaid Act ; or

(*d*) make such other temporary provision for the purpose of removing any such difficulty as it may deem fit to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made affer twelve months from the date of the commencement of the Amending Act."

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ३६ में धारायें ४० तथा ४०-ए निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:—

"(*a*) Section 40 of the Principal Act and proposed section 40-A be substituted by the following sections :

40. Any officer or authority of the university exercising any functions under this Act, immediately before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, (hereinafter referred to as "the Amending Act") shall continue to exercise such functions until the corresponding new officer or authority is appointed, elected or constituted in accordance with the provisions of this Act as amended by the Amending Act or the Statutes as adopted or modified under this Act.

40-A. The State Government may, by notification in the official *Gazette*, frame such new Statutes and make such adaptations and modifications in the Statutes in force immediately before the commencement of the Amending Act as in its opinion may be necessary or expedient to bring the provisions of the Statutes into accord with the provisions of this Act as amended by the Amending Act. Provided that nothing in this section shall be deemed to empower the State Government to frame any new Statutes or make any adaptation or modification of Statutes after the expiration of six months from the commencement of the Amending Act, and provided further that Statutes so framed, adopted or modified by the State Government under this section shall be sumbmitted to the U. P. Lagislature for its approval."

इसमें हम यह चाहते हैं कि जो स्टेट्यूट्स बनाये जायं वह लेजिस्लेचर के सामने अप्रूवल के लिये आवें। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके पहले एक संशोधन और आ चुका है जिसको मैंने इसीलिये अस्वीकार किया था कि उसमें भी लेजिस्लेचर के सामने लाने की बात थी। उसी बिना पर मैं इसका विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता—क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी नहीं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३६ में धारायें ४० तथा ४०-ए निम्नलिखित रूप में रख दी जायं—

"(*a*) Section 41 of the Principal Act and proposed section 40-A be substituted by the following sections :

41. Any officer or authority of the university exercising any functions under this Act, immediately before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, (hereinafter referred to as "the Amending Act") shall continue to exercise such functions until the corresponding new officer or authority is appointed, elected or constituted in accordance with the provisions of this Act as amended by the Amending Act or the Statutes as adopted or modified under this Act.

41-A. The State Government may, by notification in the official *Gazette*, frame such new Statutes and make such adaptations and modifications in the Statutes in force immediately before the commencement of the Amending Act as in its opinion may be necessary or expedient to bring the provisions of the Statutes into accord with the provisions of this Act as amended by the Amending Act. Provided that nothing in this section shall be deemed to empower the State Government to frame any new Statutes or make any adaptation or modification of Statutes after the expiration of six months from the commencement of the Amending Act, and provided further that Statutes so framed, adopted or modified by the State Government under this section shall be submitted to the U. P. Lagislature for its approval."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड ३६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, को और अधिक संशोधित करने का विधेयक — यू० पी० एक्ट ८, १९२६।

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, आगरा युनिवर्सिटी एक्ट, १९२६, में संशोधन करना आवश्यक है, — यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३, कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह धारा और धारायें ३५ और ३६ उस दशा को छोड़कर जिसके लिये इसमें व्यवस्था की गई है, तुरन्त प्रचलित होंगी और अन्य धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद, किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम से संशोधित आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, के अनुसार, युनिवर्सिटी अथारिटीज के सामान्यतः उपर्युक्त संगठन के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करना जिसके अन्तर्गत स्टेट्यूट्स बनाना (framing of Statutes) भी है, वैध होगा, किन्तु धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी आज्ञा को मानते हुये, इस प्रकार संगठित कोई भी युनिवर्सिटी अथारिटी तब तक सत्तारूढ़ (come into being) न हो सकेगी अथवा कार्य आरम्भ नहीं कर सकेगी जब तक दूसरी धारायें प्रचलित न हो जायं,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक वाक्य द्वारा मिले अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कोई भी स्टेट्यूट्स तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, के अधीन की गयी कोई बात या किये गये किसी कार्य द्वारा वे अधिक्रांत (superseded) न हो जायं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड १, शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविंद सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)—सूचना की कोई खास बात नहीं है। कल माननीय न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक के संबंध में अपना सुझाव पेश करेंगे कि वह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। उसके बाद फिर यह जो और बिल्स आर्डर पेपर पर हैं वे लिये जायेंगे। अगर यह बिल कल खत्म न हुये तो मैं चाहूंगा कि २६ तारीख यानी सटरडे को सेशन हो जाय। हमारा खयाल यह है कि २६ तक अगर हम काम पूरा कर सकें, तो फिर हम कुछ दिनों के बाद सेशन करें। मगर मैं यह चाहता हूं कि जितना हमारा एजेंडा है वह हो जाय और मैं समझता हूं कि वह हो सकता है बगैर किसी दिक्कत के। इसलिये २६ के लिये अनुमति सदन दे दे कि उस रोज बैठ जायं। २७ से फिर बैठने की जरूरत न हो कई कारणों से। कुछ यह कहा गया कि पब्लिक सरविस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके लिये समय दिया जाय। फिर पीछे जब सेशन होगा तो उसके लिये दो घंटे या लंच के बाद जैसा समझा जायगा समय दे दिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जनवरी में होगा?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—यह फिर बाद में ठीक बतलाया जायगा कि कब होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन यह है कि २४ तारीख तक हम लोग बैठ ही रहे हैं, तो २४ को देख लें कि कितना काम होता है। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सब बातें हो जायेंगी कि कौन-कौन सी बातें विशेष आवश्यक हैं। मुख्य मंत्री से बातें करने के बाद फिर जब हमने एजेंडा को देखा, तो फिर हमने सोचा कि मुख्य मंत्री से फिर बात करें। लेकिन पता लगाने से मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री कहीं चले गये हैं। अगर आवश्यक समझा जायगा तो २४ तारीख को ही तय कर लेंगे कि आगे क्या करना है।

अधिष्ठाता—जैसा कार्यक्रम है उसके मुताबिक तय कर लें।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—असल बात यह है कि २७, २८ और २९ को हमारे मित्र जो उधर बैठे हैं उनको सूट नहीं करता और मैं चाहता हूं कि उनको इन दिनों अवकाश मिले। वे इन दिनों जो कुछ काम करना चाहें उसे कर सकें। अगर हो सके तो २६ को बैठें। इसको हम पहले ही बैठ कर तय कर लेंगे।

अधिष्ठाता—इस पर २४ तारीख को विचार कर लेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ५७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२१ दिसम्बर, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

मत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

सूची

साल	क्षेत्रफल	उत्पादन मात्रा
१९५०–५१	१८२.२	४१,८०५ मन
१९५१–५२	२४५.०	१,२५,७७३.६ मन
१९५२–५३	६४२.०	३,०८,४४९ मन २ सेर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

ट्रैक्टर्स की सूची तथा उनके मूल्य और उन कम्पनियों के नाम जहां से खरीदे गये

क्रम-संख्या	फर्म/कम्पनी का नाम	संख्या	मूल्य (रुपयों में)	विवरण	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
१	मेसर्स पाशा भाई पटेल एन्ड कम्पनी, बम्बई	१	९६,३०५	ए० सी० एच० डी० १९	
		१३	४,१६,९५३	ए० सी० एच० डी०१०	
		१२१	२२, ७३, ५९०	ए० सी० एच० डी० ७	
		१	४३,३५८	ए० सी० पावर ग्रेडर	
२	सर्वश्री मुन्ना लाल ऐन्ड सन्स, कानपुर	६	२,४६,९७१	आनसेली ट्रैक्टर	
		२१	४,०२,७८०	उस्ट्रैक ट्रैक्टर	
		५	७३,६५०	सिम्पसन ट्रैक्टर	
		६	५,३४,०००	केटर पिलर डी० ८	
३	सर्वश्री बाल्फार्ट ब्रदर्स, कलकत्ता	१	४३,९६६	इन्टर नेशनल टी० डी० १८	
		२४	७,९२,७६५	,, ,, ,, १४	
		२०	२,९३,१५५	,, डब्लू० ,, ९	
		१०	१,१६,३५१	,, टी० ,, ९	
४	सर्वश्री बी० के० खन्ना एन्ड कम्पनी, नई दिल्ली।	२५	३,७९,३११	एम० एम० ट्रैक्टर्स	
५	सर्वश्री मार्शल सन्स एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	२	२२,३००	फील्ड मार्शल व्हील टाइप	
		२	३२,४६७	,, क्रालर टाइप	
६	सर्वश्री विलियम जेक्स एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	७	८५,९२९	ओलिवर बी०डी० ट्रैक्टर	
		१	३२,४६७	ओलिवर बी० डी० एच०ट्रैक्टर	
		९	३,०१,८६६	ओलिवर डी० डी० ट्रैक्टर	
		६	१,८०,६३६	ओलिवर डी० डी० एच० ट्रैक्टर	
		४	२,१८,३२०	ओलिवर एफ० डी० ई० ट्रैक्टर	
					पुराना स्टाक
७	सर्वश्री कान्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट कम्पनी, कानपुर	४२	५,३३,६००	मैसी हैरिस ५५ के०	
		२०	१,८९,७०३	मैसी हैरिस ४४ के०	
		४	२९,७७४	मैसी हैरिस ३० के०	
८	सर्वश्री जान फाउलर एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	१४	३,५९,८०४	एफ० डी० ३ ट्रैक्टर्स	
९	सी० टी० ओ०, नई दिल्ली	१	१८,६२६	एफ० डी० २ ट्रैक्टर्स	
०	एम० टी० वी० ,एयर क्राफ्ट सालवेज डिपो	४	८,५४०	केस ट्रैक्टर्स	

क्रम-संख्या	फर्म/कम्पनी का नाम	संख्या	मूल्य (रुपयों में)	विवरण	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
११	कानपुर इंजीनियरिंग स्टोर्स	४	५३,१८१	केस० एल० ए०	पुराना स्टाक राजासाहब भदरी को बेचा गया।
१२	अमेरिकन डिस्पोजल्स	४	४५,३२०	केटर पिलर डी० ७	
		१	१३,०००	केटर पिलर डी० ५०	
		१	१२,०००	केटर पिलर डी० ४०	पुराना स्टाक
१३	यू० पी० कामरशियल कारपोरेशन	९३	७,९०,६८४	फोर्डसन ट्रैक्टर्स	
		३	५३,१५०	,, हाफ ट्रैक	पुराना स्टाक
१४	सी० टी० ओ० नई दिल्ली	१५	१,०९,४१६	फर्गुसन	
१५	लैन्ड लीज	१	४,७००	आलिवर ८८ केडी	पुराना स्टाक
		२	१८,९२३	,, ८० केडी	,,
१६	सर्वश्री ट्रैक्टर्स (इंडिया) लिमिटेड	८	१,५०,२८७	केटर पिलर डी० ६	
		८	२,६९,८४०	,, डी० ४	
१७	लैन्ड लीज	१	१०,०००	आर० डी०४ ट्रैक्टर	
१८	सर्वश्री यूनाइटेड मशीन कम्पनी	२	६,५९२	बी० एम ०ब० गार्डेन ट्रैक्टर	
१९	सर्वश्री मार्शल सन्स एन्ड कम्पनी	१	२,८१०	रोटरी हू किचेन ट्रैक्टर	
२०	सर्वश्री फार्म इक्विपमेंट कम्पनी	१	२,७२०	विलियर्स गार्डेन ट्रैक्टर	
२१	सी० टी० ओ०, नई दिल्ली	१४	६६,८२४	फोर्डसन मेजर	
		१९	९९,७४०	जान लियर्स	स्पेयर्स का मूल्य भी शामिल है।
२२	सर्वश्री बर्टफोड जेम्स एन्ड कम्पनी, बरेली	२	३२,२००	एन० एच० माडेल ७४४ डी०	
२३	फार्म मिकेनिजेशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ	२	१८,२२०	फरगुसन ट्रैक्टर्स	
२४	डिस्पोजल्स	२	११,६००	केटर पिलर डी० ४	
२५		१		आर० डी० ४	ये चार ट्रैक्टर्स शासकीय यांत्रिक फार्मों पर पहले ही से वर्त्तमान हैं। इनके मूल्य इत्यादि के विषय में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।
		२		टी० डी० ९	
		१		आई० एच० सी० फारमल	
		५५८	९५,०१,३९४		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

तराई व भाबर गवर्नमेंट स्टेट्स, नैनीताल में नये बसने वालों को तराई व भाबर गवर्नमेंट स्टेट्स खास टर्मस रिमाइण्ड, १९४८ के अनुसार निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं :--

तराई और भाबर के तमाम गाँवों में सिवाय ५५ बोक्सा गाँवों को छोड़ कर जो नये काश्तकर बसाये जाते हैं वह मौरूसी काश्तकार हो जाते हैं।

तराई १--लगान--वह जमीन जो ५ साल पहले से जोती न गयी हो निम्नलिखित लगान पर दी जायगी :--

पहले २ साल में--कोई लगान नहीं लिया जायगा।

३रे, ४थे और ५वें साल-- जोते हुए क्षेत्र में २ आने बीघा या पूरी जोत पर १ आना बीघा।

६वें और ७वें साल में--जोते हुए क्षेत्र पर ४ आने बीघा या पूरी जोत पर २ आना बीघा।

८वें और उसके बाद के सालों में--लगान चालू बन्दोबस्त की दरों के हिसाब से कम से कम ६० प्रतिशत पूरी जोत से लिया जावेगा।

२--उपरोक्त शर्तों के अधीन जो काश्तकार जमीन लेगा और वह अपनी जोत के किसी हिस्से या पूरी जोत को चारों तरफ से दीवार या तार से घेर लेगा तो उसके लिये इतने क्षेत्र का लगान तीसरे और चौथे साल के लिये भी माफ कर दिया जायेगा। अगर बहुत से काश्तकार मिल कर अपनी जोतों के चारों ओर इस सूरत में दीवार या तार लगवा लेंगे तो उनको भी उनके हिस्से के अनुसार यह रियायत दी जायेगी।

३--जो काश्तकार नमूने के अनुसार अपनी जमींन पर जमींन दिये जाने ८ साल के अन्दर पक्का मकान बनवायेगा तो उसको भी लगान में सुविधा दी जायेगी।

४--कर्जे--इन काश्तकारों को लैन्ड इम्प्रूवमेन्ट्स लोन्स ऐक्ट के अधीन कर्जे भी दिये जायेंगे।

५--लकड़ी और चराई की रियायतें--लकड़ी और चराई की रियायतें भी नियमों के अनुसार इन काश्तकारों को दी जायेंगी।

६--सुपरिंटेंडेंट तराई व भाबर काश्तकारों की जरूरत की लिहाज से--

(अ) छप्पर डालने का सामान।

(ब) मकानों, दीवारों और सिंचाई की नालियों के लिये चूना, तार व खम्भे भी दे सकते हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर।)

श्री रमेश चन्द्र शर्मा जी के प्रश्न संख्या ४८ में वर्णित सूची--

क्रम-संख्या	गाँवों के नाम
१	मलहीपुर
२	वाजिदपुर
३	सुनाबन
४	फरमानपुर
५	तिलोकपति
६	सिहौली
७	क्योरीपुर
८	कंधारपती
९	बमहानपुर
१०	बैतीकलाँ
११	तमारीपुर
१२	बैती खुर्द
१३	नेवाजगढ़
१४	पाठनीपुर
१५	सराय गोपाल
१६	सुल्तानपुर
१७	शिखपुरा
१८	गौरा
१९	लौआ
२०	छितौना कलाँ
२१	सलाहपुर
२२	शिवपुर
२३	छितौना खुर्द
२४	बनेहरा
२५	लौरपुर
२६	दसौपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये ताराँकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर।)

चोरी गई हुई मिसलों की सूचीः—

नम्बर सिलसिलेवार	दफा		नाम फरीकैन		
१	१८०	..	अमर बहादुर	बनाम	महाबल
२	१४४	..	बच्चा	,,	बचई
३	४९	..	दूधनाथ	,,	महेश
४	५९	..	मुन्ना	,,	राम दवर
५	५९	..	मथुरा	,,	कस्तूरी
६	४७६	..	मथुरा	,,	कस्तूरी
७	१८०	..	मु० सुराज देवी	,,	सुन्दर
८	२८८	..	रामदेव	,,	रामस्वरूप
९	४९	..	रामजस	,,	अम्बिका
१०	४९	..	रामराजी	,,	रामनिहोर
११	२८८	..	गौरी शंकर	,,	भैयालाल
१२	२८८	..	लल्लू खां	,,	सुन्दर
१३	२८८	..	मुहम्मद मोईन	,,	हबीब
१४	१२	..	छतरपाल	,,	एम० टिलकी
१५	५९	..	अधिलाख	,,	विशुन
१६	५९	..	नसीर	,,	अकबाल
१७	५९	..	नसीर	,,	अकबाल
१८	५९	..	लल्लू	,,	रामप्रसाद
१९	५९	..	जगरूप	,,	मु० परताबी
२०	१२	..	विश्वनाथ	,,	शिवमूरत
२१	२८८	..	बंशीधर	,,	बच्चा
२२	५९	..	चेखुरी	,,	छंगन
२३	इक्जीक्यूशन	..	दलपत	,,	रामबहादुर
२४	१४४	..	रेखई	,,	राम खेलावन
२५	रिस्टोरेशन	..	ओंकारनाथ	,,	रामसुन्दर
२६	,,	..	संतू	,,	झगरू
२७	४९	..	रम्भन	..	गया
२८	रेस्टोरेशन	..	ओंकारनाथ	,,	रामसुन्दर
२९	४९	..	सुखराज	,,	हंसराज
३०	४९	..	रामनरेश	,,	गंगा
३१	२८८	..	सोमारू	,,	रामफेर
३२	२३२	..	झुगुना	,,	हुबराज
३३	रिस्टोरेशन	..	विदेशी	..	काशी
३४	१८०	..	झुरनपत	,,	रामनिहोर
३५	१८०	..	फजल करायैन	,,	बिहारी
३६	१८०	..	,,	,,	फेरू
३७	इक्जीक्युशन	..	रघुबीर	,,	जगरूप

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नम्बर सिलसिलेवार	दफा		नाम फरीकैन		
३८	५९	..	मोहिबअली	,,	हुब्बन
३९	५९	..	जोखन	,,	राजदेव
४०	४९	..	श्रीराम	,,	राजाराम
४१	४९	..	रजेसरा	,,	देवसरन
४२	रेस्टोरेशन	..	राम सिंह	,,	त्रिबेनी
४३	रेस्टोरेशन इक्जीक्यूशन	..	शंकर	,,	गहंगू
४४	,, ,,	..	जै नाथ	,,	बासदेव
४५	,, ,,	..	रामदास	,,	रामचरन
४६	१४४	..	रेखई	,,	रामखेलावन इक्जी-क्युशन फाइल के साथ
४७	,,	..	,,	,,	,,
४८	,,	..	,,	,,	,,
४९	,,	..	,,	,,	,,
५०	,,	..	,,	,,	,,
५१	४९	..	रामजस	,,	अम्बिका
५२	इक्जीक्यूशन	..	प्रेमबिहारी	,,	गुरूदीन
५३	१८०	..	झूरी	,,	सुन्दर
५४	५९	..	भगवती प्रसाद	,,	गयादीन
५५	५९	..	रघुनाथ	,,	शिवमूरत
५६	५९	..	घिराऊ	,,	अद्याशंकर
५७	रेस्टोरेशन फाइल के साथ	..	शिव नारायन	,,	बच्चा
५८	,,	..	रामदुलार	,,	रामसुन्दर
५९	,,	..	,,	,,	,,
६०	,,	..	रामनाथ	,,	लोकपत
६१	,,	..	,,	,,	,,
६२	,,	..	शिवमुरत	,,	झरहग
६३	,,	..	,,	,,	,,
६४	,,	..	,,	,,	,,
६५	,,	..	,,	,,	,,
६६	,,	..	,,	,,	,,
६७	,,	..	,,	,,	,,
६८	,,	..	,,	,,	,,
६९	रेस्टोरेशन	..	ठाकुरदीन	,,	,,
७०	,,	..	वासदेव	,,	महानन्द
७१	,,	..	,,	,,	,,
७२	,,	..	,,	,,	,,
७३	,,	..	,,	,,	रामसमुझ
७४	,,	..	जगन्नाथ	,,	राजकरन
७५	,,	..	सुभान	,,	अंगू

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३–६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

राजकीय यांत्रिक कृषि क्षेत्र, हेमपुर पर चारों की उत्पत्ति का विवरण

क्रम संख्या	फ़सल का नाम	१९४८–४९				१९४९–५०				१९५०–५१				१९५१–५२				१९५२–५३			
		उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय
		मन				मन				मन				मन				मन			
१	हरी चरी	१,८६४	१,८६४	..	..	१,९००	१,९००			३,१४०	३,१४०			४,८९१	४,८९१			१,२९८	१,२९८		
२	हरी मक्का चारा	..	..	..	..	१,८००	१,८००			१,१४५	१,१४५			२५१८	२,५१८			१,१८३	१,१८३		
३	हरी बरसीम	१,०२७	१,०२७	..	..	५,७७४	५,७७४			७,५८७	७,५८७			३,६७०	३,६७०			३,७९०	३,७९०		
४	हरी जई	..	..	..	..	६७२	६७२			..	..			७,३५४	७,३५४			४,२०३	४,२०३		
५	हरी गुआर	..	..	..	..	..	..			..	..			५,७४५	५,७४५			१,७२७	१,७२७		
६	हरा सोयाबीन	..	..	..	..	..	..			..	..			..	..			६००	६००		
७	हरी लाही	..	..	..	..	..	..			..	..			२,७३१	२,७३१			..	..		
८	करबी	११५	११५	..	..	..	..			१,७७५	१,७७५			२,०२८	३८०	१६,४८	१,६४८	६,१२०	६,१२०		
९	पुआल ..	५६	५६	..	..	१,९१७	१,९१७			८,५८४	८,५८४			६,५६४	३,८८४	२,६८०	१,००५	४००	४००		
१०	भूसा गेहूं	७६०	५७९	१८१	५४३	१,७२८	१,७२८			६,४६०	६,४६०			१,४३६	१,४१७	१९	४९।।।=)	९५०	९५०		
११	भूसा जौ	..	..	..	..	४००	४००			१,४३५	१,४३५			१,२२५	१,२२५			१००	१००		
१२	भूसा चना	..	..	..	..	४००	४००			२,०५२	२,०५२			१,८७३	१,८११	६२	७७।।)	३००	३००		
१३	भूसा जई	..	..	..	..	..	..			४००	४००			१,९५०	१,९५०			..	..		
१४	भूसा मटर	..	..	..	..	..	..			..	..			४७०	४७०			..	..		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर ।)

श्री खुशीराम जी के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ में वर्णित सूची --

क्रम संख्या	मालिकों के नाम	क्षेत्रफल एकड़ों में
	तहसील हलद्वानी	
१	मेजर आई० एस० बक्शी, इकबाल सिंह और अन्य ..	१००
२	श्रीमती विशनी देवी, वेवा पत्नी श्री दीवान सिंह पालनी ..	१००
३	श्री भगवान दास गोयल	११०
४	श्री महेन्द्र सिंह और श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ..	१३६
५	श्री छनर्नासिंह और ५ अन्य	१२१
६	श्री सतीश कुमार और २ अन्य	१६६
७	श्री निजामुद्दीन और २ अन्य	१४२
८	श्री हरीदत्त	१००
९	श्री गोपीनाथ सिंघल	१००
	तहसील कालाढूंगी	
१०	कर्नल पद्म सिंह	१७२
११	,, चन्दन सिंह	१४५
१२	श्री निर्मल किशन	१००
१३	श्री हरीराम बेणीराम	१०८
१४	श्री जगजीत सिंह	१३३
१५	श्री बालमुकुन्द चोपड़ा	१००
१६	श्री आर० एल० उप्पाल	१००
१७	सर्वश्री विद्याभूषण और अन्य	४९७
१८	दी कुमार रेजीमेंटल फार्म	१५६
१९	सर्वश्री जगन्नाथ वजीरचन्द और अन्य ..	२१९
२०	सर्वश्री ब्रह्मकिशोर और अन्य	२४२
	तहसील रामनगर	
२१	डा० दलेलसिंह और अन्य	१७६
	तहसील बाजपुर	
२२	श्री विद्यासागर अग्रवाल	१००
२३	श्री ओम् प्रकाश	१००
२४	केप्टन इन्द्र सिंह	२००
२५	श्री चन्दा सिंह	१००
२६	श्री बैसाका सिंह	१३९
२७	ब्रिगेडियर गुरदीपसिंह	५००
२८	केप्टन बहादुर सिंह	१००
२९	श्री ग्यान सिंह	१००
३०	केप्टन देवदार सिंह	१००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	मालिकों के नाम			क्षेत्रफल एकड़ों में
३१	श्री ज्ञान सिंह	..	..	१००
३२	श्री अजयाब सिंह	..	..	१००
३३	श्री भगत सिंह	..	..	१००
३४	केप्टन प्रीतम सिंह	..	..	१००
३५	,, सूरज सिंह	..	..	१००
३६	,, उधम सिंह	..	..	१००
३७	,, बालासिंह	..	..	१००
३८	श्री घासीराम	..	..	१००
३९	श्री इकबाल सिंह	..	..	१००
४०	श्री हरदीप सिंह	..	..	१००
४१	मेजर ए० के० अकमल	..	..	१००
४२	लेफ्टिनेंट आत्मासिंह	..	..	१००
४३	मेजर रामसिंह	..	..	१००
४४	केप्टन राजेन्द्रनाथ	..	..	१००
४५	श्रीमती रघुवीर कौर	..	..	१००
४६	सरदार शिवदेव सिंह	..	..	१००
४७	लेफ्टिनेंट कृपाल सिंह	..	..	१००
४८	,, जगीत सिंह	..	..	१००
४९	मेजर गुरदयाल सिंह	..	..	१००
५०	केप्टन हरवंशसिंह	..	..	१००
५१	श्री पानसिंह बुक्सा	..	..	१००
५२	सर्वश्री मोहनलाल श्यामसुन्दर लाल		..	४,८०५
५३	सर्वश्री नारायन शर्मा और अमरनाथ जेटली		..	१,०३४
५४	श्री हरी सिंह	..	..	१००

तहसील किच्छा

५५	श्री किला चन्द	..	..	३९५
५६	सर्वश्री ब्रह्मस्वरूप बृजेन्द्र स्वरूप और अन्य		..	१,०५३
५७	श्री शमशुल हसन खां	..	..	३१८
५८	मेजर शिवदत्त सिंह	..	..	१००
५९	श्री हरी सिंह	..	..	१००
६०	श्री चतुरपाल सिंह	..	..	१००
६१	श्री जानकी कुंवर	..	..	१००
६२	श्री शैल कुंवर	..	..	१००
६३	सर्वश्री दर्शन सिंह और अन्य	..	..	२०५
६४	मेजर रिखी	..	..	१००
६५	ब्रिगेडियर कुलवन्तसिंह	..	..	१००
६६	श्री चन्दनलाल डुंगर	..	..	१००
६७	श्री कन्हैयालाल डुंगर	..	..	१००
६८	श्रीमती छैलावती	..	..	१००
६९	श्री बालचन्द	..	..	१००
७०	श्रीमती श्रीदेव	..	..	१००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	मालिकों के नाम			क्षेत्रफल एकड़ों में
७१	श्रीमती कलावती वर्मा	..	..	१००
७२	श्री हैदर खां	..	..	१००
७३	श्री इकबाल अहमद	..	..	३४९
७४	श्री एच० के० सिंह	..	..	१००
७५	श्री रतन कुंवर	..	..	१००
७६	श्री देवपति चक्रवर्ती	..	..	१००
७७	श्री विकावत जी	..	..	१००
७८	सर्वश्री एस० प्रताप नरायन शिवनरायन		..	५,१९३
७९	श्री सरवतयारखां, दराबी किच्छा	..	..	२५०

तहसील सितारगंज

८०	श्री जोगेन्द्र सिंह	..	..	१८४
८१	सर्वश्री बचन सिंह और अन्य	..	..	४६६
८२	श्री इकबाल सिंह	..	..	२१५
८३	श्री दाहर सिंह	..	..	५००
८४	श्री बीर सिंह और अन्य	..	..	५००
८५	श्री बासदेवसिंह	..	..	२००
८६	सर्वश्री रामसुमेर और अन्य	..	..	७३४
८७	श्री दामोदर प्रसाद	..	..	४६०
८८	श्री फतेह सिंह	..	..	२३३
८९	सर्वश्री जद सिंह और अन्य	..	..	३९२
९०	,, अनसूया प्रसाद सिंह और अन्य		..	२,६१८
९१	सर्वश्री सज्जन सिंह और अन्य	..	..	२,९९८
९२	,, बलवन्तसिंह और अन्य	..	..	१,०५७
९३	अनसूया सिंह और अन्य	..	..	१,८४०
९४	,, ,, ,,	..	..	६००
९५	,, इकबाल और अन्य	..	..	८५०
९६	श्री अजुध्या सिंह	..	..	५००
९७	श्री कुलदीप सिंह	..	..	२७५
९८	श्री रघुवीर सिंह	..	..	१,१०७

तहसील खटीमा

९९	श्री ए० पी० प्यानटर	..	..	३६६
१००	श्री एम० डी० स्टांग	..	..	१००
१०१	श्री लछमन सिंह	..	..	१००
१०२	श्री विन्द्रावन बिहारी	..	..	१००
१०३	श्री रूप नारायण	..	..	१००
१०४	श्री प्रेम नरायन	..	..	१००
१०५	श्रीमती चमेली देवी	..	..	१००
१०६	श्री हरिदर्शन सिंह	..	..	१००
१०७	डा० रामेश्वर सिंह, लखनऊ	..	..	१,१८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

उन लोगों की सूची जिन्हें किच्छा, नैनीताल, तराई और काशीपुर क्षेत्रों में ५०० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के खेत पट्टे पर दिये गये हैं :—

क्रम संख्या	नाम		क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टे देने की तारीख
१	श्री कामेन्द्र नारायण और श्री शिवनारायण	..	३,७८१	१–१०–१९३२
२	सर्वश्री बी० एस० भटनागर और बी० एस० वर्मा	..	१,०५३	१–४–१९३६
३	डा० रामेश्वर सिंह	..	१,१८९	१–७–१९५०
४	ब्रिगेडियर गुरदीपसिंह	..	५००	१८–५–१९४७ १७–११–१९४७
५	लाला मोहनलाल और श्यामसुन्दरलाल		४,८०५	१–४–१९१९
६	(१) श्री एस० एन० शर्मा, सरकार्स, तहसील बाजपुर (२) श्री ए० एन० जेतली	..	१,०३४	१–४–१९३२

काशीपुर

७	रानी पद्मावती धर्मपत्नी श्री हरिश्चन्द्र, राजसिंह	..	५९७	२२–७–१९५०
८	रामगढ़ लानू	..	२,०९१	२२–७–१९५०
९	सोदी महिन्द्र सिंह	..	५५७	२२–७–१९५०
१०	श्री बनारसी दास	..	५००	२२–७–१९५०

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०५ एल० ए०–१९५४—८५० ।